# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का नवां दिवस | सख्या ७



मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९५९

---

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

---

### शपथ ग्रहण

**श्री अध्यक्ष** : महुआ से निर्वाचित सदस्य श्री छुट्टनलाल।

(श्री छुट्टनलाल ने शपथ ग्रहण की)।

### तारांकित प्रश्नोत्तर

[ शिक्षा, राजस्व, बेसिक शिक्षा, खनिज आबकारी एवं कर, विकेन्द्रीकरण, सामान्य शासन, पुनर्वास तथा समाज कल्याण विभाग]

### विभिन्न कार्यों (Activities) की फीस

१८१. **मेजर श्री फतेहसिंह (भीम)** : Will the Education Minister be pleased to answer the following :-

1 What were the rates of the different activities fees collected from the students of different classes reading in the G. H. S. S. Ajmer, G. H. S. S. Beawar, G. H. S. S, Jodhpur and G. M. P. S. Jaipur during the Session 1958-59? Please place the details on the table of the House, giving the information separately for each school.

2. What are the orders and circulars issued from time to time authorising the collection of the activities fees in the Government Educational Institutions? Please place copies of these orders and circulars on the table of the House.

3. What was the total amount of the activities fees collected in the Government Girls Higher Secondary School, Beawar during the session 1958-59? Please give details separately for each type of the activity fee, showing income and expenditure and place them on the table of the House.

4. Is it a fact that the Head Mistress of the Government Girls Higher Secondary School, Beawar

# Page No.2



(मेजर श्री फतेहसिंह)

collected the Hand work fee of Rs. 6/- per head from all students in May, 1959 and spent the whole or part of the amount in meeting the entertainment expenses of the annual function of the school held on 14th May, 1959 ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले शुक्रवार को दूंगा।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : This point has been agitated for the last so many months and this question was raised even in the last Session on 4th September and the Hon'ble Speaker's observation was reserved for the next day. I gave notice for two months and I should be allowed to say that this is an insult of the House not to give information to the House.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : The reply is almost ready but there are so many circulars and the matter is of sufficient importance and therefore, I have submitted that the reply will be given next time.

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : On the next Friday, there will not be any sitting of the House.

**मेजर श्री फतेहसिंह** : Perhaps the Hon'ble Minister knows that on the next Friday we will not be sitting here and therefore, he is shrking the responsibility.

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : On the next turn.........

**श्री अध्यक्ष** : It is not a question of Hon'ble Minister's shirking the responsibility. Actually he has the answer but after I had discussed with the Hon'ble Member and the importance that he attaches to it I discussed it with the Hon'ble Minister. He has said that certain points are not clear and circulars are not available, he wants to reply on the next turn so that he could give full information. So we will take it on the next turn.

**मेजर श्री फतेहसिंह** : We have got all the information and circulars issued from time to time. It is surprising that the Hon'ble Minister does not have the information.

**श्री अध्यक्ष** : It may be surprising but it is quite usual.

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं देना चाहते तो साफ कह दें कि जवाब नहीं देना।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब अवश्य देंगे।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी सक्युलर्स और इन्स्ट्रक्शन्स देखने का सवाल है। मैं जोधपुर भी गया था एडीशनल डाइरेक्टर से डिस्कस करने के लिए लेकिन वहां कुछ घटनायें हो गई इसलिए डिस्कस नहीं कर सका।

**मेजर श्री फतेहसिंह** : We want his interpretation and not the interpretation of the Dy. Director. He is shielding the Head Mistress.

# Page No.3



श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

**बी. टी. सी. के एरियर की रकम का पेमेन्ट**

१६०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) अप्रेल, सन् ५० से जिन बी. टी. सी. को प्रवर श्रेणी में लिया गया है, उनके एरियर की रकम अप्रेल, सन् ५० ई० से अगस्त, सन् ५७ तक की अब तक क्यों नहीं मिली है ?

(२) सरकार कब तक इस एरियर की रकम का पेमेंट करने का विचार रखती है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जयपुर के बी. टी. सी. अध्यापकों को प्रवर श्रेणी में फिक्सेशन का एरियर महकमा हिसाब द्वारा एतराज किये जाने के कारण नहीं दिया जा सका है ।

(२) महकमा हिसाब (महा लेखापाल) से अब ट्रेजरी ऑफिसर, जयपुर को आदेश दे दिया गया है कि वह इन अध्यापकों के फिक्सेशन के बिलों को पास कर दें । अब इनको एरियर का पेमेंट शीघ्र ही मिल जायेगा ।

**प्रश्न संख्या १६१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १६२**

श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित)

**तहसील लूणकरणसर के कुछ काश्तकारों से अधिक तावान वसूल किया जाना**

१६३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५८-९ व १९५९-६० की वसूली के वक्त गांव भुवाला, धीरदान, तहसील लूणकरणसर के कुछ काश्तकारों से राजस्थान लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के खिलाफ राजस्व रेट के चार गुना से अधिक तावान वसूल किया गया ? अगर हां, तो किसकी आज्ञा से ?

(२) क्या उपरोक्त काश्तकारों पर तावान कायम करने से पहले सम्बन्धित पटवारियों द्वारा आदेश पुस्तिका में तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त किया गया था ?

(३) अगर नहीं, तो क्या पटवारी ने स्वेच्छा से तावान वसूल कर लिया ?

(४) अगर हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित पटवारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी और भविष्य में इस बात की व्यवस्था करेगी कि काश्तकारों पर जायज लगान के अलावा पटवारी गण, बिना अधिकृत आज्ञा के कोई सैस पेनल्टी आदि कायम न कर सकें ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त वसूली के वक्त तहसील लूणकरणसर के गांवों में कहीं लगान से एक गुना, कहीं दो गुना, कहीं चार गुना से छः गुना तक तावान वसूल

(श्री भीमसेन)

किया गया ? क्या बीकानेर तहसील में केवल एक गुना तावान वसूल किया गया ?

(६) अगर हां, तो क्या उपरोक्त अनधिकृत वसूल की गई धनराशि काश्तकारों को वापिस दी जायेगी या उसका भविष्य में एडजस्टमेंट कर लिया जायेगा?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। छः गुना तावान सरकार की आज्ञा संख्या एफ. १२।१८२। राजस्व।५५ दिनांक २०-१२-५५ के अनुसार सन् १९५८-५९ में वसूल किया गया। १९५९-६० का मतालबा तैयार नहीं हुआ है।

(२) जी हां।

(३)प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) सम्वत् २०१४ में खंड (१) में वर्णित ग्रामों में छः गुना तावान वसूल किया गया। संवत् २०१५ में चार गुना से अधिक तावान कहीं भी वसूल नहीं किया गया है। तहसील बीकानेर में एक गुना तावान वसूल किया गया है।

(६) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि आज्ञा सरकार नं० एफ. १२। १८२। राजस्व। ५५ दिनांक २०-१२-५५ के अनुसार ६ गुना तक तावान वसूल किया जा सकता है जिसका प्रावधान सेक्शन १८३ टिनेन्सी एक्ट में भी है।

**श्री भीमसेन** : क्या कारण है तहसील बीकानेर में ३ गुना लिया और और यहां पर ६ गुना लिया है ?

**राजस्व-मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : इसका कारण यह है कि जो किसान अन्-ऑथोराइज्ड काम करते हैं उनके बारे में रेवेन्यू ऑफ़िसर को अधिकार है कि वे अपनी इच्छा (डिस्क्रीशन) के माफिक एक गुना, दो गुना या छः गुना तक तावान वसूल कर सकते हैं। इन गांवों के लिए उन्होंने जितना लगाना उचित समझा उतना लगाया।

**श्री भीमसेन** : यह पटवारी पर डिपेन्ड करता है या रेवेन्यू ऑफिसर पर ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : टिनेन्सी एक्ट को मुलाहिजा करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें तहसीलदार को पॉवर्स दिये हैं।

**श्री भीमसेन** : मैंने यह जानना चाहा था कि क्या पटवारियों के डिस्क्रीशन पर अधिक लगा दिया गयाहै बिना तहसीलदार की मंजूरी लिये ही ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तहसीलदार की मंजूरी बिना नहीं लग सकता।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, पटवारियों ने अपनी इच्छा से कर लिया है।

**श्री सम्पतराम** : इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिना गवर्नमेंट की आज्ञा के वसूल नहीं किया गया है। टिनेन्सी एक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाइज करके सिक्स टाइम्स तक लगा सकता है। पटवारी भी इच्छानुसार नहीं लगाया जा सकता।

**श्री भीमसेन** : प्रश्न (४) में पूछा गया है कि क्या पटवारियों ने अपनी इच्छा से पैनेल्टी चार्ज की है और हायर ऑथोरिटी से पर्मिशन नहीं ली है ?

# Page No.5



**श्री सम्पतराम** : इस प्रकार के सवाल से, जहाँ तक हमने देखा, इस प्रकार की बात जाहिर नहीं होती। यदि आप उदाहरण पेश करेंगे तो जांच करायेंगे।

**प्रश्न संख्या १६४**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या १६५**

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

**बेसिक स्कूल, हथरोई और बेसिक स्कूल, रेजीडेन्सी रोड का एक ही मकान में चलाना**

१६६. **डॉ० चन्द्रकला** [ किशनपोल बाजार, जयपुर—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया ] : क्या मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि बेसिक स्कूल, हथरोई और बेसिक स्कूल रेजीडेन्सी रोड दोनों एक ही मकान में चलते हैं ?

(२) उक्त दोनों स्कूलों की स्थापना कब कब हुई ?

(३) प्रत्येक स्कूल में कितने कितने शिक्षक हैं तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

(४) प्रत्येक स्कूल में कक्षावार छात्र-संख्या कितनी है ?

(५) एक ही इमारत में दो अलग अलग स्कूल चलाने में सरकार का क्या उद्देश्य है ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां। परन्तु दोनों मकानों में पृथक-पृथक दरवाजे हैं।

(२) रेजीडेन्सी रोड स्कूल की स्थापना दिनांक ४-१-५६ तथा हथरोई स्कूल की स्थापना दिनांक ३०-४-४८ को हुई।

(३) रेजीडेन्सी स्कूल में ६ शिक्षक हैं—२ मैट्रिक ट्रेन्ड हैं, दो मिडिल ट्रेन्ड हैं, एक मिडिल तथा १ नॉन मिडिल। हथरोई स्कूल में ६ शिक्षक हैं। मैट्रिक ट्रेन्ड ४ हैं। मिडिल ट्रेन्ड १ तथा १ मिडिल क्राफ्ट।

(४) छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

रेजीडेन्सी स्कूल

कक्षा १ में ५४, २ में ३४, ३ में ३४, ४ में ३६ और ५ में २६। योग १८४।

हथरोई स्कूल

कक्षा १ में ३५, २ में १, ३ में ४१, ४ में ४३, ५ में १८। कुल १७२।

(५) कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। स्थानाभाव व परिस्थितिवश दोनों स्कूल एक ही इमारत में चलाये जाते हैं। प्राथमिक तथा रेजीडेन्सी रोड स्कूल इससे पूर्व दूसरे स्थान पर चलता था जो खाली करवाया गया था।

**डॉ० बहादुरसिंह** : दोनों स्कूल्स का एकीकरण क्यों नहीं कर दिया जाय ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : एकीकरण नहीं किया गया है, एक भवन में चल रहे हैं, अलग अलग दरवाजे हैं।

(हंसी)

**डॉ० बहादुरसिंह :** जब एक बिल्डिंग है, तो दो हैड मास्टर रखने पड़ते हैं, सारा काम दोहरा हो रहा है। उसको एक क्यों नहीं कर दें ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** संख्या को देखते हुए यह ठीक नहीं रहेगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन।

### राजासर भाटियान (लूणकरणसर) की जागीर के हिस्सेदारों को मुआवजा देना

१९७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजासर भाटियान, तहसील लूणकरणसर की जागीर में कितने हिस्सेदार हैं ? उनमें से कितनों को मुआवजा देना बाकी है?

(२) उपरोक्त हिस्सेदारों को मुआवजा अब तक न मिलने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या उनको मुआवजा चुकाने की आखिरी तारीख निश्चित की जा चुकी है ?

**उप-मंत्री, राजस्व** ( श्री सम्पतराम ) : (१) राजासर भाटियान के जागीरदारों की संख्या ४ है तथा माफीदारों की संख्या २० है। लूणकरणसर जागीर में केवल ७ माफीदार ही हैं। राजासर भाटियान के तीन जागीरदारों को मुआवजा दिया जा चुका है। एक जागीरदार द्वारा समय पर दावा पेश नहीं करने के कारण मुआवजा देना बाकी है।

(२) जागीर राजासर भाटियान तथा लूणकरणसर के माफीदारान के मुआवजे का अंतिम निर्णय हो चुका है। मुआवजे का अन्तिम निर्णय होने के बाद बोंड्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया को लिखा जा चुका है। बोंड्स की प्राप्ति पर चुकारा हो जायगा।

(३) इसका उत्तर भाग ( २ ) में आ गया है।

**श्री भीमसेन :** कोई तारीख निश्चित की जा सकती है इसके बारे में ?

**श्री सम्पतराम :** तारीख नहीं बता सकता। २६-१०-५६ को रिजर्व बैंक को लिखा है। बोंड्स आने के बाद इमीजियेटली भेज दिये जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह।

### रा० जैन हायर सेकेन्डरी स्कूल के सीनियर, टीचर, श्री महेशबिहारीलाल माथुर के खिलाफ कार्यवाही

१९८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मंत्री शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रा० जैन हायर सेकेन्डरी स्कूल, ब्यावर के सीनियर टीचर, श्री महेशबिहारीलाल माथुर के खिलाफ वहां की जनता ने व संस्था के प्रधानाध्यापक ने अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार की शिकायत उच्चाधिकारियों से की है ?

(२) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों पर सरकार ने कोई जांच की है ?

# Page No.7



उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जनता की ओर से नहीं। प्रधानाध्यापक ने रिपोर्ट की थी।

(२) जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जांच करने का क्या परिणाम निकला ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने अपनी सिफारिश एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के पास भेज दी। वहां उसके खिलाफ चार्ज शीट तैयार की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट कब इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने डिप्टी डाइरेक्टर के पास भेजी थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ६-८-५९ को।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि ६-८-५९ से लेकर अब तक डिप्टी डाइरेक्टर को चार्ज शीट देने का मौका नहीं मिला ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एडीशनल डाइरेक्टर को इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भेजी। वहां देख लिया कि सबूत है, तो चार्ज शीट तैयार की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जब सबूत है तो क्या यह उचित नहीं समझा कि उक्त अध्यापक को सस्पेन्ड कर दिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब कार्यवाही की जा रही है, मामला विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : सब कार्यवाही में क्या सस्पेन्शन भी शामिल है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : किस प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत है ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : यह मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

## नये आबाद ग्राम फरोकाबाद का लगान वसूल करना

१९९. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील टोंक में कोई ग्राम फरोकाबाद के नाम से आबाद हुआ है ? अगर हां, तो कब और किन किन शरायत पर ?

(२) क्या यह सही है कि जब से ग्राम आबाद हुआ है, तब से आज तक उस ग्राम का लगान वसूल नहीं हुआ है ? अगर हां तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। सन् १९४७ में मेवों को बसाने के लिये।

(२) यह बहुत सही तो नहीं है मगर ६ हजार रुपये वसूल करना बाकी है।

# Page No.8



**रावराजा श्री सरदारसिंह** : ९ हजार रुपये बाकी हैं, तो गांव की आबादी क्या है, कितनी ज़मीन है ? आपने कहा कि ९ हजार बाकी है, तो कुल लगान बाकी है या कुछ लगान वसूल करने के बाद ९ हजार रुपये बाकी रहे हैं ?

**श्री सम्पतराम** : माननीय सदस्य को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। १९४७ में १०० फेमिलीज यहां पर आबाद हुई। इसके बाद दंगे फिसाद में कुछ फेमिली भाग गई और २८ फेमिली बाकी रही। उसके बाद यह तय किया था कि लगान नहीं लिया जाय। इससे बाद भी कुछ फेमिली भागी और कुछ आई। संवत् २०१२ के बाद लगान तय हुआ। कुछ लगान में से बाकी है और कुछ वह है जो भागने आदि के कारण वसूल नहीं हो सका। उसमें से भी डेढ़ हजार वसूल हो गया है। बाकी रुपया वसूल करने जा रहे हैं। जो २८ फेमिलीज बची हैं, उनमें से कुछ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें लगान बाकी नहीं हो। इस मामले को सेटिल करने के बाद जो निश्चित् तौर पर रिकवरेबल अमाउन्ट होगा, वह वसूल किया जायगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या १९४७ में जो आबादी थी, वही इस वक्त है ? और क्या गांव की भूमि इधर उधर लगा दी गई है ?

**श्री सम्पत राम** : जी नहीं, कुछ भूमि २८ फेमिलीज के पास है, कुछ नजदीक के गांव के काश्तकारों के पास है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : आपने फर्माया कि ९ साल से लगान वसूल नहीं किया गया। तो क्या यह शर्त थी, जिस समय उन्हें आबाद किया कि ९ साल तक लगान नहीं लिया जायगा ?

**श्री सम्पतराम** : टोंक स्टेट ने शर्त बनाई, किस आधार पर दिया, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए जवाब देना मुश्किल है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मैं कहता हूँ कि ९ वर्ष से लगान वसूल नहीं हो रहा है, आप कहते हैं कि जवाब देना मुश्किल है। आपको जवाब मंगाना चाहिए था।

**श्री सम्पतराम** : लगान के मामले को मैंने साफ कर दिया। अब आप चाहते हैं कि किन किन शर्तों पर उन्हें वहां आबाद किया गया, वह रिकॉर्ड नहीं मिला है कि क्या शर्त थी। जो गांव के लोग हैं उन्होंने कहा कि ९ साल का लगान माफ किया था, जिस समय आबाद किया था। मैंने आपको कहा है कि जो अमाउन्ट रिकवरेबल है, उसको वसूल करने की कोशिश करेंगे।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जब कागजात नहीं मिलते हैं तो कैसे जांच करेंगे ?

**श्री सम्पतराम** : जांच करने के बहुत से साधन होते हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : वे बता दीजिये कि कौन कौन से साधन होते हैं।

**श्री सम्पतराम** : सम्बन्धित एम० एल ए. से पूछा जायगा, सरपंच से पूछेंगे, पार्टीज से पूछेंगे, ऑफिसर्स से पूछेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): रावराजा से पूछेंगे या नहीं ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : टोंक डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं जिनमें दो तीन वर्ष से लगान वसूल नहीं हुआ ? क्या मालपुरा में नहीं हुआ ?

**श्री सम्पतराम** : ऐसा कोई गांव नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न संख्या २००।

**श्री सम्पतराम** : आपकी जानकारी में कोई गांव हो तो बता दीजिये।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न संख्या २००।

**प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स** (Prospecting license.)

२००. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रोस्पेक्टिंग के समय जो माल निकाला जाता है, उस माल पर अधिकार सरकार का होता है ?

(२) क्या यह सही है कि प्रोस्पेक्टिंग के लाईसेन्स होल्डर्स सरकार के अधिकारियों से मिल कर, प्रोस्पेक्टिंग के समय निकाला हुआ माल स्वयं रख लेते हैं ? यदि नहीं, तो पिछले पांच वर्षों की तालिका सदन की मेज रखी जावे, जिनके द्वारा यह बताया जा सके कि इन वर्षों में किन किन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लीज़ में कन्वर्ट किये गये और कन्वर्शन के समय, प्रोस्पेक्टिंग के समय में निकला हुआ कितना माल, किस किस फर्म ने गवर्नमेंट के अधिकार में दिया ?

**उप-मंत्री, खनिज** (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स रूल २३ एम० सी०-आर० के तहत दिये जाते हैं। जिसमें दर्ज है कि लाइसेन्सी उस सीमा तक, जो सैकेन्ड शिड्यूल में दी हुई है, बिना किसी पेमेन्ट के ले जा सकता है। इस सीमा से अगर माल जो दुगने से अधिक नहीं बैठता है तो प्रथम शिड्यूल में दी हुई दर के अनुसार रॉयल्टी देकर ले सकता है। इसके अलावा सोना, चांदी प्रेशियस स्टोन या माइका जितनी भी तादाद में निकालें प्रथम शिड्यूल में दी हुई रॉयल्टी की दर से ले जा सकता है।

(२) प्रोस्पेक्टिंग द्वारा निकाला हुआ माल लाइसेन्स होल्डर के पास ही रहता है। कायदे के अनुसार उसके स्टेटमेंट्स लाइसेन्स होल्डर्स सरकार के पास भेजते हैं। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स जो माइनिंग लीज़ में परिवर्तित किये गये हैं उनकी सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। यह माल सरकार के अधिकार में रखने की आवश्यकता नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स को लीज़ में कन्वर्ट करते समय, जितना प्रोस्पेक्टिंग के समय माल निकलता हैं, उसका स्टेटमेंट लीज़ होल्डर गवर्नमेंट को पेश करता है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह तो मैंने जवाब में निवेदन किया कि ऐसे स्टेटमेंट लाइसेन्स होल्डर सरकार के पास भेजते हैं।

# Page No.10



**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह समझा जाय कि किसी भी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर, जिसका लाइसेन्स लीज में कन्वर्ट हुआ है, उससे रॉयल्टी इस सम्बन्ध में वसूल नहीं की गई है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऐसा था कि जो रूल्स बने हुए थे १९५३ तक, उसके अनुसार जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर माल निकालता तो उनको रायल्टी देने पर बेचने की इजाजत दी जाती। शिड्यूल में दिये हुए माल से एक्सेस के लिए प्रावधान मौजूद नहीं था। चुनांचे राजस्थान सरकार की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा गया और उनके आदेशानुसार शिड्यूल में दिये से बाकी बचा हुआ जो माल है, वह सरकारी माल माना जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : जिस समय भारत सरकार ने इस प्रकार का परामर्श दिया, उसके बाद सरकार के अधिकार में इस प्रकार का माल आया है ? दूसरे यह है कि जब रॉयल्टी की कन्डीशन्स के अनुसार रॉयल्टी देकर माल लेने का प्रश्न था, तो उस समय ऐसे लीज़ होल्डर्स से रॉयल्टी वसूल की है या नहीं, अगर की है तो कितनी की है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह मामला १९५७ में तय हुआ। १९५३ में, जो कुछ इसमें दिया हुआ है, माइनिंग कन्सेशन रूल्स के अनुसार, उसमें प्रावधान नहीं था, चुनांचे क्लेरीफिकेशन १९५७ में हुआ था। इससे पहले प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स से निकाला हुआ माल, जो शिड्यूल में दिये हुए माल से एक्सेस है, रॉयल्टी देकर ले जाने की इजाजत दी गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कहा था कि वह माल सरकारी माल होगा। चुनांचे उन लोगों को नोटिस दिया गया कि आपने जो माल एक्सेस निकाला वह सरकारी माल माना जायगा।

**श्री भैरोंसिंह** : १९५७ के बाद जब भारत सरकार ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, उसके बाद किसी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर्स का माल सरकार के अधिकार में आया या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने निवेदन किया कि उसके बाद सबको कह दिया कि एक्सेस में निकाला हुआ जो माल है, वह सरकारी माना जायगा। उसका सरकार के कब्जे में आने का प्रश्न नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि भारत सरकार की सलाह के अनुसार सन् १९५७ के बाद, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम जो माल निकला है, उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर का अधिकार न होकर सरकार का है और सरकार को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : यह नहीं है, सरकार को अधिकार में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया है। वह सरकारी माल माना जायगा। जितना माल रहेगा वह सरकारी माल माना जायगा और उसको सरकार को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय कि जिस समय यह माल मिलता है प्रोस्पेक्टिंग के टाइम का उस पर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर का कोई अधिकार नहीं रहता ? गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दे ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें लिखा हुआ है : 'He will not carry it away.' यह कहीं नहीं लिखा है कि वह उसी वक्त हैंड ओवर कर दे।

**श्री भैरोंसिंह** : उसी समय हैंड ओवर नहीं कर दे पर मेरा प्रश्न पिछले पांच वर्षों के बारे में है। ५७ के बाद में सरकार ने ऐसा माल अपने अधिकार में लिया या नहीं और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स होल्डर्स ने सरकार को इस प्रकार का माल हैंड ओवर किया कि नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : एक्च्युअली हैंड ओवर करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ओर से स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि इतना माल पड़ा हुआ है, जितना उनको अलाउड है वह वे ले जाते हैं और बाकी का पड़ा रहता है जो गवर्नमेंट का है।

**श्री श्रीमानसिंह (बयाना)** : एक्सेस होता है वह किसकी प्रोपर्टी है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : It is the property of the Government now.

**श्री भैरोंसिंह** : जब गवर्नमेंट की प्रोपर्टी है तो सरकार के सामने स्टेटमेंट आया कि इतना माल सरकार का है तो गवर्नमेंट ने उस पर पजेशन किया या नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने अर्ज किया कि That must be deemed to be in the possession of the Government.

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि वह सरकार का माल माना जाता है तो दो स्थिति हो जाती है। एक तो यह कि खर्चा वगैरह निकाल कर सरकार इस स्थिति में पहुंचे कि वह पूरा नहीं पड़ता इसलिये पजेशन में नहीं लेंगे। दूसरी स्थिति यह होती है कि कानून के अनुसार सरकार का माल है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिये आपने क्या किया है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जो कुछ माल वहां पड़ा रहता है उसके एक्स्पेन्सेज डिडक्ट करने के बाद में कॉस्ट प्राइस मालूम कर ली जाती है; बेचने की बात होती है तो बेच दिया जाता है, वर्ना पड़ा रहता है। एक्च्युअल पजेशन लेने की कोई बात नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : यही पूछते हैं कि बेचते हैं कि नहीं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, उसके बाद बेचा जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा क्वेश्चन यह है कि पिछले पांच वर्षों की तालिका सदन की मेज पर रखी जावे, जिसके द्वारा यह बताया जा सके कि इन वर्षों में किन किन के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स लीज में कन्वर्ट किये गये और कन्वर्शन के समय, प्रोस्पेक्टिंग के समय में निकाला हुआ कितना कितना माल, किस किस फर्म ने गवर्नमेंट के अधिकार में दिया ? इसका जवाब नहीं दिया।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने साफ जवाब दे दिया है।

**श्री अध्यक्ष** : जितना सामान बेचा है उसकी तो लिस्ट होगी जितना गवर्नमेंट ने अपना जान कर बेचा उसकी जानकारी या लिस्ट है क्या ?

# Page No.12



**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, वह स्टेटमेंट भी मौजूद है, लेकिन आपने यह पूछा नहीं, आपने सिर्फ यह पूछा कि क्या सरकार के अधिकार में ले लिया गया है ?

**श्री अध्यक्ष** : अधिकार में नहीं लिया पर अपना समझ कर बेच दिया। आपने अधिकार में नहीं लिया पर अधिकार में माना गया और बेच दिया, ये दोनों एक ही बात है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : एक्सपेन्सेज डिडक्ट करने के बाद में बेचा है।

**श्री भैरोंसिंह** : मुझे यह इत्तला नहीं दी है कि कितना बेचा है ?

**श्री अध्यक्ष** : हमारी वह चीज मानी गई, फिजिकल पजेशन में नहीं लिया पर कानूनन तो वह हमारा हो गया।

**श्री भैरोंसिंह** : फिजिकल पजेशन लिया नहीं और डिस्पोज ऑफ किया है, यह कैसे ? स्टेटमेंट उनको देना चाहिये था कि किस किस से रॉयल्टी वसूल की। फैक्ट यह है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होल्डर्स ने गवर्नमेंट को एक पैसा भी नहीं दिया। मैं उनको इन्फार्मेशन दे रहा हूँ कि एक पैसा भी रॉयल्टी का नहीं चुकाया और जब यह मामला ज्यादा कन्ट्रोवर्शियल बना तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रेफर किया और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कहा कि रॉयल्टी ही नहीं, माल आपको लेना चाहिये।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : Information of the Hon'ble Member is totally wrong.

**श्री भैरोंसिंह** : It is totally correct. I can challenge it.

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : I tell you that the goods...बहुत से ऐसे आते हैं गुड्स कि जिनको फ्री ले जाने का शिड्यूल में है, वह ले गये बाकी के हैं उनकी रॉयल्टी दी है।

**श्री भैरोंसिंह** : हाउस में रख दीजिये वह स्टेटमेंट। मैं चैलेन्ज करता हूँ उस स्टेटमेंट को।

**श्री अध्यक्ष** : उस स्टेटमेंट को हाउस में रख दीजिये, माननीय सदस्य देख लेंगे।

**प्रश्न संख्या २०१**

श्री धर्मपाल पंवार।

( अनुपस्थित )

श्री मूलचन्द डागा।

## महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के सामने मजदूरों की बस्ती के बीच मिडिल पाठशाला भवन के निर्माण का विचार

२०२. **श्री मूलचन्द डागा** ( पाली ) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के सामने मजदूरों की बस्ती के बीच मिडिल पाठशाला भवन का निर्माण करने का विचार रखती है ?

(२) क्या इसके लिये महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के मालिक ने कुछ रकम देने का वायदा किया था ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (१) जी हां।

(२) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स की तरफ से अध्यक्ष नगरपालिका ने यह वायदा किया है कि श्री उम्मेद मिल्स की तरफ से ८००० रु० प्राथमिक पाठशाला हेतु दिया जायगा यदि राज्य सरकार शेष धन भवन निर्माण हेतु दे।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह वायदा कब किया था ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : करीब साल भर हो चुका है।

**एक माननीय सदस्य** : तारीख बताइये ?

(हंसी)

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

## कोटा में ठेकेदार द्वारा भांग का निर्धारित दर से अधिक भाव पर बेचा जाना

२०३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) कोटा नगर में भांग बेचने का ठेका किन किन व्यक्तियों को, कितने कितने में गत पांच वर्षों में दिया जाता रहा है ?

(२) भांग के खेरुज व थोक बेचने की अलग अलग दर क्या है ?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार आजकल निर्धारित दर से अधिक भाव पर खुले आम भांग बेचता है ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। अगर ठेकेदार नियम की अवहेलना करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**श्री दयाकृष्ण विजय** : क्या इस प्रकार की शिकायत वहां के वैद्यों द्वारा वहां के अधिकारियों को दी गई है ?

**श्री सम्पतराम** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं जानकारी दूँ कि इस प्रकार की शिकायत वहां के वैद्यों ने की है कि जब वे लोग दुकान पर जाते हैं तो ठेकेदार निश्चित दर से ज्यादा पैसे लेता है और इस बात की शिकायत की है।

**श्री सम्पतराम** : मैंने निवेदन किया न कि मेरी जानकारी में नहीं है। नीचे की लेवल पर हो सकती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा।

## जिला परिषदों के गठन हेतु नियुक्त सरकारी कर्मचारी

२०४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

२ अक्टूबर, १९५९ के दिन जिन जिला परिषदों का गठन हुआ, उनमें कुल कितने

(श्री मूलचन्द डागा)

सरकारी कर्मचारी सरकार को नियुक्त करने पड़े, और कितने कितने कर्मचारी, किस किस श्रेणी के, कितनी कितनी तनख्वाहों के एक जिला परिषद् में आवश्यक माने गये हैं ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**गृह मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास–मुख्य मन्त्री की ओर से ) : कुल १७६ कर्मचारी सरकार को नियुक्त करने पड़े। भिन्न भिन्न जिला परिषदों के लिये जितने कर्मचारी आवश्यक समझे गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

**श्री मूलचन्द डागा** : क्या कारण है कि जयपुर और उदयपुर में ३ कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारी रखे गये हैं जब कि जोधपुर में दो कनिष्ठ लिपिक और २ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे गये हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है :

१. जहां बारह से ऊपर पंचायत समितियां हैं वहां ३ कनिष्ठ लिपिक और ३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

२. जहां ८ से अधिक १२ तक पंचायत समितियां हैं वहां दो दो।

३. जहां आठ या आठ से कम पंचायत समितियां हैं वहां दो दो।

**श्री मूलचन्द डागा** : १७६ कर्मचारियों से कितना खर्चा पड़ा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : खर्च के लिये आपने दर्याफ्त नहीं फर्माया।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास।

**नराणखेड़ा में अलाट की गई भूमि**

२०५. **श्री शिवचरणदास** (मान्डल) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ८-१०-५८ को नराणखेड़ा तहसील रायपुर में बाईस व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई थी ?

(२) यदि हां, तो वह कौन कौन व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि पर उनको कब्जा अब तक नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप–मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) :
(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, क्योंकि भूमि अलॉटमेंट के बारे में कुछ मुद्दों पर कलेक्टर ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहा था वह भेज दिया गया है। उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तहसीलों को लिख दिया गया है।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**श्री शिवचरणदास** : वह स्पष्टीकरण क्या है ?

**श्री सम्पतराम** : जिस जमीन का अलॉटमेंट ५८ में हुआ, गवर्नमेंट ने थोड़े दिन बाद निश्चित किया कि जितनी इस तरह की लैंड है वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दी जाय और वह कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड लैस टिनेन्ट्स की होनी चाहिये । इस निश्चय के कारण एक दम सारे अलॉटमेंट को रोक दिया गया तो इस पर भी पजेशन देने से कलेक्टर ने रोक दिया । अलॉटमेंट की सारी कार्यवाही हो चुकी थी सिर्फ एक्चुअल पजेशन नहीं दिया था । कलेक्टर ने यह मामला गवर्नमेंट को रेफर किया कि ऐसे मामलों में जिन पर की अलॉटमेंट की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है पर एक्चुअल पजेशन नहीं दिया गया है, क्या इस तरह के मामलों पर भी यह ऑर्डर लागू होता है, क्या इस तरह के मामलों में भी पजेशन देना बन्द कर दिया जाय । इसके लिये गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

**श्री शिवचरणदास** : आपने कब्जा देने के लिये आदेश दे दिया है क्या ?

**श्री सम्पतराम** : इस प्रकार का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है । यह आदेश दिया गया है कि जो अलॉटमेंट के नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार वैधानिक तरीके से अलॉटमेंट हुआ है तो कब्जा दे दिया जाय, अन्यथा नहीं ।

**श्री शिवचरणदास** : इस मामले में वैधानिक तरीके से ऑलटमेंट किया जाना मानते हैं या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : यह तो कलेक्टर देखेगा । रूल्स के माफिक है तो पजेशन दे देगा ।

**श्री शिवचरणदास** : आपके विचार से पजेशन दे देना चाहिये या नहीं ?

**श्री सम्पतराम** : इसके बारे में मैं अपने विचार देने में असमर्थ हूँ । यह तो कलेक्टर के देखने चीज है । अगर अलॉटमेंट गलत हुआ है तो पजेशन नहीं दिया जावे और गलती नहीं हुई तो दे दिया जावे ।

**श्री शिवचरणदास** : आपने जो अलॉटमेंट करने का समय रखा है उससे पहले अलॉटमेंट हुआ है उनको पजेशन देने में सरकार को क्या एतराज है ।

**श्री सम्पतराम** : मैंने अपने उत्तर में साफ कहा है कि अगर अलॉटमेंट की सारी कार्यवाही हो चुकी है और अलॉटमेंट गलत नहीं है और उसमें सिर्फ पजेशन देना ही बाकी रहा है तो दे दिया जावे । मगर इस बात को देखा जावे कि अलॉटमेंट जो हुआ है वह ठीक है या नहीं ।

**श्री शिवचरणदास** : यह आपने कौन सी तारीख को भेजा ?

**श्री सम्पतराम** : यह १०-१२-५९ को।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : यह १०-१२-५९ कब की तारीख है ।

**एक माननीय सदस्य** : इसका अलॉटमेंट कब हुआ ?

**श्री जनार्दनराय नागर** : हर जगह की यह शिकायत है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ। वहां पर ३०० अलॉटमेंट भूमिहीनों को रोक दिया है। हम इस बात को जानना चाहते हैं कि आपने कितने अर्से पहले कलेक्टरों को आदेश भेजे और क्या कलेक्टर ने अर्जियों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया या नहीं। साल डेढ साल से रुका हुआ पड़ा है।

**श्री सम्पतराम** : यह तो वेग प्रश्न है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : It is very regrettable. Perhaps he does not know the meaning of the word 'vague'.

**श्री भैरोंसिंह** : खास तौर से साहित्य एकेडेमी के सभापति के लिये।

**श्री सम्पतराम** : मैंने साफ तौर से बताया है कि १२-१०-५६ को स्पष्टिकरण करके भेज दिया है। अगर आप किसी खास केस का कहें तो उसके लिये जानकारी करके बता सकते हैं मगर आम तौर से यह कहना की अलॉटमेंट सब जगह रुका पड़ा है, इसको मैंने वेग बताया है। आपने जो शिकायत की थी कि आपके यहां अलॉटमेंट रुके पड़े हैं उसके लिये भी लिख दिया गया है कि अगर नियमानुसार अलॉटमेंट हो तो पजेशन दे दिया जावे।

**श्री जनार्दनराय नागर** : पता नहीं आपने कब दिया है। आपका आशीर्वाद है और वरदान है और वह फलीभत न होता है तो फिर क्या किया जाए।

**श्री सम्पतराम** : अब जब माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जावेंगे तो उनको पता चल जावेगा कि सब कार्य नियमानुसार हो रहा है।

**श्री शिवचरणदास** : यह अलॉटमेंट ६-१०-५८ को हुआ है। आपने १०-१२-५६ को स्पष्टीकरण किया है। एक साल के बाद आपने स्पष्टीकरण किया है। आपकी भूमिहीन लोगों के साथ यह सहानुभूति है।

**श्री सम्पतराम** : मेरी तो है या नहीं मगर आपने सिद्ध कर दिया है कि आपकी भी है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। डॉ० चन्द्रकला।

## राजकीय प्राथमिक शाला, नाहरी का नाका ( जयपुर )

२८६.. डा० **चन्द्रकला** [ किशनपोल बाजार, जयपुर—डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय प्राथमिक शाला, नाहरी का नाका ( जयपुर शहर ) की स्थापना कब हुई ?

(२) इस समय इस शाला में कितने अध्यापक काम करते हैं ? उनके नाम, योग्यता तथा कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इस शाला में कक्षावार छात्रसंख्या कितनी है ?

(४) शाला के पास कितने कमरे, कितनी लम्बाई चौड़ाई के हैं ? क्या यह सच है कि

# Page No.17



( डा० चन्द्रकला )

यह शाला एक छोटे से छप्पर में चलती है ? यदि हां, तो छप्पर की लम्बाई कितनी है ?

(५) सारी स्थिति को देखते हुए क्या सरकार उक्त शाला के लिए समुचित मकान की व्यवस्था यथाशीघ्र करेगी ?

**उप-मंत्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) :**

(१) दिनांक १६ जनवरी, १६४४.

(२) इस समय इस शाला में ४ अध्यापक काम करते हैं जिनकी योग्यता, नाम तथा कार्यकाल निम्न प्रकार हैं :

| नाम | योग्यता | नियुक्ति दिनांक |
|---|---|---|
| १. श्री भंवर शर्मा | प्रवेशिका पी. टी. सी. | १-७-४८ |
| २. श्री द्वारकाप्रसाद | जे. टी.सी. | २६-७-४८ |
| ३. श्री सूर्यनारायण | ,, | २०-७-५० |
| ४. श्रीमनमोहन पारीक | एस. टी. सी. | १३-८-५६ |

(३) क्लासवार छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

| कक्षा | संख्या |
|---|---|
| १ | ३३ |
| २ | ३६ |
| ३ | १६ |
| ४ | १३ |
| ५ | १७ |
| कुल योग | १२१. |

(४) यह शाला एक किराये के भवन में चलती है जो १८ बाई १८ है । छप्पर व पेड़ों के नीचे भी कक्षायें चलती है ।

(५) भवन व्यवस्था. भवन, निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि पर निर्भर है ।

**डा० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) :** क्या एक कमरे में ५ कक्षाएं चलती हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** पेड़ के नीचे भी पढ़ाते हैं ।

**एक माननीय सदस्य :** क्या यह कोई आश्रम है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** आश्रम नहीं स्कूल है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। २०७। श्री भैरोंसिंह।

**रतनगढ़ एस. डी. एम. द्वारा फैसला दो बार लिखा जाना**

२०७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या यह सही है कि रतनगढ़ के एस. डी. एम ने मुकदमा मिसल नं० ४३८। ५८ उनवानी बालू बनाम गणपत वगैरह का फैसला दो बार अलग अलग तारीखों में लिखा था तथा कोर्ट में फैसला प्रोनाउन्स करने के बाद फाड़ कर फैंक दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि यह फैसला अदालत में प्रोनाउन्स करने के बाद लिखवाया गया ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायत भी की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) अन्तिम फैसला किस तारीख का और किसके हाथ का लिखा हुआ है ?

**उप-मंत्री राजस्व** ( श्री सम्पतराम ) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो आ चुका है मगर इसमें कुछ स्पष्टिकरण लेना चाहता हूँ। इस लिये इसका जवाब कल या अगली टर्न के लिये रख दिया जावे।

**श्री भैरोंसिंह :** अध्यक्ष महोदय, कल अगर इसका जवाब दिया जाता है तो पहले ही दे दिया जावे तो ठीक रहेगा अन्यथा बाद में समय नहीं रहता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** नैक्स्ट टर्न पर ले लिया जावे।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट २०८। डा० चन्द्रकला।

**एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापिकाओं को ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिलवाना**

२०८. **डा० चन्द्रकला** [ किशनपोल बाजार, जयपुर—डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा ] : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सन् १९५३ से अब तक कितनी अध्यापिकाओं को पूरे वेतन पर एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिए भिजवाया गया तथा इनमें से कितनी अध्यापिकाओं को ट्रेनिंग से सफल होने के पश्चात् ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिया गया ?

(२) क्या यह सच है कि बहुत सी एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापिकाऐं, जिन्हें सरकार द्वारा पूरे वेतन पर ट्रेनिंग दी गई थी, अब तक मिडिल ग्रेड में ही कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि इन अध्यापिकाओं की नियुक्ति के पश्चात् नई अध्यापिकाएं सीधी मैट्रिक ग्रेड में नियुक्त कर ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) मैट्रिक ग्रेड में नई अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाने से पहले इन ट्रेन्ड

( डॉ० चन्द्रकला ) -

मैट्रिक अध्यापिकाओं को मिडिल ग्रेड से मैट्रिक ग्रेड पर प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ।

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(१) २५५ अध्यापिकाओं को भिजवाया गया । १६५ को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड दे दिया गया है ।

(२) जी हां । कुछ अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो मिडिल ग्रेड में कार्य कर रही हैं । क्योंकि वरिष्टता में न आने के कारण मैट्रिक ग्रेड नहीं दी गई ।

(३) जी हां । क्योंकि अनट्रेन्ड मिडिल ग्रेड की समस्त पोस्टें अनट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड में बदल गई हैं इसलिये नई मैट्रिक पास अध्यापिकाओं की नियुक्ति अनट्रेण्ड मेट्रिक ग्रेड में ही हो सकती है ।

(४) इनको मैट्रिक ट्रेण्ड ग्रेड दिलाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

**ग्राम चिलेश्वर के जागीरदार की जागीर चाकराना को २००) रु० से कम आय के बावजूद ग्रहण किया जाना**

२०६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा, तहसील मांडल, ग्राम चिलेश्वर के दो जागीरदार, श्री दीपसिंह व केशरसिंह की जागीर चाकराना सन् १६५४ में ही ग्रहण कर ली गई है जबकि उनकी जागीर की आय २००) से कम है ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १६५८ में उक्त जागीरदारों के नाम चार वर्ष का लगान बकाया निकाल कर रकम की वसूली के साथ साथ जागीर अधिग्रहण की सूचना दी गई है ।

(३) यदि हां, तो उनकी जागीर २००) रु० से कम आय की होने के बावजूद भी सन् १६५४ में किस आधार पर ग्रहण की गई ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** ( श्री सम्पतराम ): (१) जी हां ।

(२) इनके जिम्मे संवत् २०११ से २०१५ तक का लगान बाकी होने से वसूली की कार्यवाही हुई । यह सही नहीं है कि अधिग्रहण की सूचना लगान वसूली के साथ दी गई ।

(३) मुख्य जागीर चिलेश्वर सन् १६५४ में रिज्यूम करने से उनके द्वारा दी चाकराना माफी व जागीर भी उसी के साथ रिज्यूम की जाकर लगान कायम हुआ है ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि २००) की जागीरें १६५७ में रिज्यूम हुई ?

**श्री सम्पतराम** : यह तो ठीक है ।

**श्री भैरोंसिंह** : जब यह ठीक है तो ये जागीरें जो दो सौ रुपयों से कम की थी इनको १६५४ में क्यों रिज्यूम की गई ?

**श्री सम्पतराम** : इसका कारण यह था कि इसको ये मेन जागीर का पार्ट मान कर इसको रिज्यूम कर ली गई थी । बाद में जो

# Page No.20



( श्री सम्पतराम )

निर्णय लिया गया उसमें इस प्रकार की जागीरों को अलग माना गया था।

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह निर्णय, दो सौ रुपयों वाला, यह जागीर रिज्यूम हुई उसके पहले हुआ या बाद में ?

**श्री सम्पतराम :** इसके रिजम्प्शन के बाद में हुआ है ।

**श्री भैरोंसिंह :** मेरा यह प्रश्न है कि जब आपने सन् १९५७ में २००) से कम की आय की जागीरों को रिज्यूम किया तो फिर इसको सन् १९५४ में रिज्यूम क्यों किया गया ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): इसको उप-जागीर की सब-ग्रान्ट मान कर रिज्यूम किया गया था। सब-ग्रान्ट आर्डिनरी जागीरदारी के साथ रिज्यूम की। माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही थी वह दे दी है। यह रिज्यूम होने के बाद प्योरली जुडिशियल मामला है। अगर जागीर कमिश्नर ने गलत फैसला किया तो इसके लिये रेवेन्यू बोर्ड में जा सकता था और उसको अपील करने का अधिकार था।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट। श्री रामनारायण वर्मा।

**माध्यमिक शाला, सुल्तानपुर में स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करना**

२१०. **श्री रामनारायण वर्मा** ( पीपल्दा सु० ) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) माध्यमिक शाला, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद (कोटा) में इस समय कितने विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं ?

(२) क्या विद्यार्थियों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार कौन कौन स्थानों पर बैठाया एवं पढ़ाया जाता है ?

(३) स्थानाभाव की वर्तमान स्थिति कब से चल रही है ?

(४) क्या सरकार उक्त समस्या के हल के सम्बन्ध में कोई सक्रिय कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) इस शाला में इस समय ३५१ विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं।

(२) जी नहीं। कक्षा ६ से ८ वीं तक के छात्र सरकारी इमारत में बैठाये जाते हैं व पढ़ाये जाते हैं तथा प्राथमिक कक्षाओं के छात्र एक किराये के मकान में बैठाये व पढ़ाये जाते हैं।

(३) सन् १९५५ व ५६ से चली आ रही है।

(४) उक्त समस्या के हल के लिये सरकार हर संभव वैधानिक प्रयत्न बराबर कर रही है।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री हीराभाई।

**जिला बांसवाड़ा में व्याप्त भूखमरी को दूर किया जाना**

२११. **श्री हीराभाई** ( कुशलगढ़ ) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

( श्री हीराभाई )

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की समस्त तहसीलों में अधिक वर्षा होने के कारण तमाम खरीफ की फसलें नष्ट हो चुकी हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या उक्त जिले को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ?

(३) क्या उक्त जिले में अधिकांश वर्षा से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट वहां के सम्बन्धित अधिकारियों ने राज्य सरकार के पास भेजी है ?

(४) यदि हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ ? उपरोक्त जिले के लोगों में व्याप्त भुखमरी को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**उप मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम ) :

(१) यह सही नहीं है। केवल मक्का में आठ आने तक व तिल, मिर्च, कपास में चार आने से छः आने तक नुकसान होने का अनुमान है।

(२) जी नहीं।

(३) हां सरकार को प्रश्न १ के उत्तर में बताये नुकसान की सूचना मिल चुकी है।

(४) अभी गश्त गिरदावरी के नतीजे पूर्णतः एकत्रित होकर सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। अतः यह नहीं बताया जा सकता है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। बांसवाड़ा जिले में चावल की फसल ठीक होने से भुखमरी का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्माण विभाग एवं विकास खंडों द्वारा चलाये गये कार्यों से आवश्यक राहत मिलती रहेगी।

**श्री हीराभाई** : सम्बन्धित विभाग से सरकार को कब रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी ?

**श्री सम्पतराम** : जिलाधीश ने हमको सूचना ३०-१०-५६ को दी है।

**श्री हीराभाई** : जिलाधीश से क्या सूचना मिली ?

**श्री सम्पतराम** : इसका उत्तर दे चुका हूँ।

**श्री हीराभाई** : कपास के विषय में बताया और कहा गया कि कपास में चार आना ही नुकसान हुआ जबकि बहुत नुकसान हुआ बांसवाड़ा की समस्त तहसीलों में। किस किस में कपास की पैदावार ज्यादा होती है ?

**श्री सम्पतराम** : जिले का सवाल पूछ रहे हैं इसलिये मैंने आपको पहले ही एप्रोक्सिमेटली जवाब दिया है। कितने खसरा नम्बर में कितना कितना नुकसान हुआ है इसकी डिटेल्स तो खसरा गिरदावरी पूरी होने पर ही दी जावेगी।

**श्री हरिप्रसाद यादव** ( वल्लभ नगर-सु० ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि गिरदावरी होगी। उस जिले में काफी नुकसान हुआ है। पिछड़ी जाति के लोगों के खेत खुर्द बुर्द हो चुके हैं। गिरदावरी कब तक हो जावेगी ?

**श्री सम्पतराम** : गिरदावरी तो हो चुकी है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** : फिर इनको क्या सहायता मिली है ? वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न स्पष्ट है और यह सारे जिले के लिये है। इसलिए आपको सारे जिले के लिए स्पष्ट जवाब देना चाहिये।

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि जहां कहीं पर नुकसान का सवाल होता है तो उसकी फील्ड टू फील्ड गिरदावरी होती है। चूंकि सारे जिले के लिए पूछा है तो जो मोटे रूप में उसका जवाब हो सकता है वह दिया जा चुका है। हर खेत में कितना नुकसान हुआ है यह गिरदावरी से ही प्रकट होगा। जहां तक रेमिशन और सस्पेन्शन का सवाल है, तो कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे और उस पर एक्शन लिया जावेगा।

**श्री हीरा भाई** : भुखमरी पैदा होने की कोई सम्भावना नहीं है, यह किस आधार पर बताया जब कि रिपोर्ट ही आप के पास नहीं आयी है। आपको मालूम ही नहीं है। वहां पर वाकई भुखमरी फैल रही है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भुखमरी तो हर वक्त बांसवाड़ा के माननीय सदस्य बताते ही रहते हैं। फसल अच्छी है। मक्का में नुकसान हुआ है, तिल और मिर्ची में चार आना नुकसान हुआ है। रबी की फसल अच्छी है। न बहुत है, न अकाल है और न ही भुखमरी है।

**श्री हीरा भाई** : मिनिस्टर महोदय को मालूम होना चाहिए कि अभी खरीफ की फसल की ही रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं हुई है तो फिर किस आधार पर उन्होंने बताया कि रबी की फसल अच्छी है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आधार बता दिया।

**श्री किशना राम** (रतनगढ़) : बांसवाड़ा में कभी मंत्री महोदय नहीं पधारे, फिर कैसे जवाब दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : सब जगह नहीं जाते हैं लेकिन जवाब देते ही हैं।

**श्री हीरा भाई** : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्फार्मेशन देना चाहता हूँ कि वहां का इलाका पहाड़ी इलाका है। जहां मेड़ बन्दी और तालाब वगैरह हैं वहां तो चावल पकता है बाकी तमाम पहाड़ी इलाका है। वहां का मुख्य अनाज ही मक्का है। इसके अलावा और कोई अनाज पैदा नहीं होता। आपने बारानी कपास बताया लेकिन वहां पर एक पैसे का भी नहीं निकल सकता; आप स्वयम् जाकर जांच करलें। आपने जांच की और कपास बारह आनी निकल गया तो विधान सभा से मैं स्तीफा देता हूँ और बारह आनी नहीं निकले तो फिर आप स्तीफा दे दें।

(हंसी)

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

## सिरोंज सब-डिविजन (मध्य प्रदेश में स्थित कर्मचारियों को राजस्थान में स्थानान्तरित कर लिया जाना

२१७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिस समय सिरोंज मध्य प्रदेश में विलीन हुआ उस समय इस सब-डिविजन में कितने ऐसे कर्मचारी थे जो राजस्थान के अन्य भागों से वहां स्थानान्तरित थे ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने उन सब राजस्थानी कर्मचारियों को विलीनीकरण

# Page No.23



( श्री दयाकृष्ण विजय )

से पूर्व राजस्थान में स्थानान्तरित कर लिया था ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास-मुख्य मंत्री की ओर से ) : (१) १५ ।

(२) केवल एक को छोड़ कर, जिसने अपनी इच्छा मध्यप्रदेश जाने की प्रकट की थी, सब को राजस्थान में स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : वे एक सज्जन कौन हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : श्री नागसिंह, जागीर अकाउन्टेन्ट ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : श्री महेन्द्रसिंह पुलिस के इन्सपेक्टर थे और सिरोंज में थे तो क्या वे राजस्थान में स्थानान्तरित हो गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : श्री महेन्द्रसिंह का नाम मेरी फाइल में नहीं है । १५ में से एक ने आप्ट किया है और १४ ने राजस्थान ओफ़र किया है ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : जिन्होंने राजस्थान को ओफ़र किया वे राजस्थान में नहीं आये हैं और काफी दूर चले गये हैं । श्री महेन्द्रसिंह का नाम मैं बता ही रहा हूँ ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसकी जानकारी करनी पड़ेगी ।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : मैं जानकारी दे रहा हूँ ।

**श्री अध्यक्ष** : डॉ० चन्द्रकला ।

## सिटी कैम्प के शरणार्थियों को दूसरी जगह बसाया जाना

२१३. **डा० चन्द्रकला** [किशनपोल बाजार, जयपुर–डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या पुनर्वास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सिटी कैम्प के शरणार्थियों को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह बसाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(२) यह योजना कब से चल रही है और कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

(३) इस योजना को क्रियान्वित होने में इतनी देर क्यों लग रही है ?

(४) क्या यह सच है कि जिस जगह पर इन लोगों को बसाने की योजना थी, वहां अब नगरपालिका की कूड़े की गाड़ियां खाली होती हैं ?

**उप मंत्री पुनर्वास** (श्री सम्पतराम): (१) जी हां, । सिटी कैम्प के शरणार्थियों को नुमाइश कैम्प से हटाकर चांदपोल गेट के बाहर सीकर हाउस के पास बसाने की योजना है ।

(२) यह योजना करीब तीन साल से चल रही है । आशा है कि इस वर्ष यह कार्य सम्पूर्ण हो जावेगा ।

(३) इस योजना को क्रियान्वित करने में देरी का कारण सर्व प्रथम तो उपर्युक्त स्थान का न मिलना था । अब सीकर हाउस के पास चांदपोल गेट के बाहर जमीन महकमा जंगलात से सरकार ने इस योजना के लिये ले ली है । वहां पर २५० गज के प्लाट देने

# Page No.24



( श्री सम्पतराम )

की स्कीम भारत सरकार को भेजी थी, किन्तु उन्होंने स्कीम के अनुसार केवल १०० गज के प्लाट देने का आदेश दिया है। जिस पर शरणार्थी रजामन्द नहीं हैं अतः भारत सरकार केवल १०० गज जमीन के लिए ही १००) कर्जे के देगी। राजस्थान सरकार ने शरणार्थियों को आदेश दिया है कि यदि वे २५० गज के प्लाट ही लेना चाहते हैं तो १५० रुपये उनको स्वयं को देना होगा। शरणार्थियों ने बाकी रकम १५० रुपये के हिसाब से देना स्वीकार किया है किन्तु रकम अभी जमा नहीं हुई है। दूसरे से मकान बनाने के लिए भारत सरकार की स्कीम के अनुसार ५००) रु० की सहायता (grant) देना है। उसकी मंजूरी भी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। आशा है यह मंजूरी जल्दी ही प्राप्त हो जावेगी और यह योजना इस वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित हो जावेगी।

(४) जी हां, इसके लिए नगरपालिका के अधिकारियों को लिखा गया है कि वे कूड़ा डालने का स्थान (dumping ground) को कहीं दूसरे स्थान पर ले जावें। नगरपालिका के अधिकारियों ने अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से उपयुक्त स्थान की मांग की है सो जल्दी ही उपलब्ध कर दिया जावेगा।

**डा० बहादुरसिंह** : क्या यह सच है कि जिस स्थान पर बस्ती बसाना चाहते हैं वहां पर पानी भर जाता है ?

**श्री सम्पतराम** : यदि छोटे मोटे गड्ढे हो तो वे ठीक हो सकते हैं।

**डा बहादुरसिंह** : जहां पानी भर जाता है तो वह स्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

**श्री सम्पतराम** : ऐसी कोई बात नहीं है। स्पोट तो मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन कोई गड्ढा हो तो मिट्टी डाल कर ठीक किया जा सकता है और उस जमीन को मकान बनने के काबिल बनाया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

## कोटा जिले में नियुक्त स्थानों पर ८ साल से कार्य कर रहे राजपत्रित अधिकारी

**२१४. दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में ऐसे कितने राजपत्रित राज्याधिकारी हैं जो उन्हीं स्थानों पर लगभग ८ साल से कार्य कर रहे हैं, जहां कि वे नियुक्त किये गये हैं।

तालिका सदन की मेज पर नाम तथा काल सहित रखने की कृपा करें।

**गृह मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास—मुख्य मंत्री की ओर से) : कोटा जिले में केवल एक राजपत्रांकित राज्याधिकारी श्री गोवर्धनसिंह झाला, तहसीलदार, तहसील बड़ौद है जो जिला कोटा में दिनांक ९–११–१९४९ से कार्य कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

## रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट्स को रिवाइज्ड पे स्केल दिया जाना

**२१६. श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

# Page No.25



( श्री दयाकृष्ण विजय )

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने रेवेन्यू अकाउन्टेन्टों की पे स्केल को रिवाइज किया है ? यदि हां, तो किस सन् में ?

(२) क्या यह रिवाइज्ड पे स्केल जयपुर जिले के सभी रेवेन्यू अकाउन्टेन्टों को दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, सन् १९५७ में। रेशनेलाइज्ड पे स्केल जो दिनांक १-३-५६ से लागू है।

(२) जी नहीं। सूचना अभाव के कारण कुछ अकाउन्टेन्टों को अभी तक ग्रेड नहीं मिल पाया है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने तहसीलों से सूचना मांगी है। सूचना आने पर उनको नए ग्रेड में वेतन दे दिया जावेगा।

**श्री दयाकृष्ण विजय** : सन् ५७ से जब रिवाइज्ड स्केल किया है तो उनको दो साल तक नए ग्रेड्स न देने का क्या कारण है ?

**श्री सम्पतराम** : सूचना के अभाव के कारण नहीं दी जा सकी। कुछ को तो मिल चुकी है लेकिन सरकार के कहने पर पी. एस. सी. ने इम्तिहान रखा था। उसका परीक्षा फल निकल चुका है। इन्हीं कारणों से कुछ देर लगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सूरजमल।

## जोधपुर तहसील के गांवों के अनुसूचित व पिछड़ी हुई जाति के लोगों को सहायतार्थ दी गई धनराशि

११५. **श्री सूरजमल** (फलोदी-सु०) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर तहसील के गांवों के अनुसूचित व पिछड़ी हुई जाति के लोगों को समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में किन किन कार्यों के लिए, कितनी कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई ? विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उप-मन्त्री, समाज कल्याण** (श्री भीखाभाई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

## करौली में गर्ल्स हाई स्कूल खोलना

२१७. **श्री बृजेन्द्रपालसिंह** [(करौली) : श्री अनोपसिंह (बालोतरा) द्वारा पूछा गया ]: Will the Education Minister be pleased to states :—

1. Is it a fact that the Government has sanctioned to establish a Girls High School at Karauli ?

2. If so, when will the construction of the school building commence ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
1. It is under active consideration of the Government.

2. No new building shall be constructed.

**श्री अनोपसिंह** : Has there eebn any sanction about it ?

# Page No.26



**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : No, it is still under consideration.

## शेरगढ़, फलौदी के अकालग्रस्त गांवों में रिलीफ कार्य

२१८. **श्री सूरजमल** (फलौदी-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) शेरगढ़, फलौदी के कितने गांवों में गत वर्ष सावणू फसल बिलकुल ही नहीं हुई व कितने गांव अकालग्रस्त हैं ?

(२) उक्त गांवों के लिये आज तक कौन कौन से रिलीफ वर्क, कहां कहां पर खोले गये, तथा इनके लिये कितनी धन राशि दी गई ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : सम्वत् २०१६ में अनावृष्टि से खरीफ फसल में नुकसान होने के कारण तहसील शेरगढ़ के १८ एवं तहसील फलौदी के ६६ ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

(२) तहसील शेरगढ़ के १० ग्रामों में नाडी व तालाब खुदवाने के कार्य किये जिनमें ५,००० रुपये की स्वीकृति दी गई तथा तहसील फलौदी के १८ ग्रामों में नाडी खुदाई के कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनके लिये १६,०००) की स्वीकृति दी गई।

## तहसील आहोर तथा बाली जवाई में भूमि एकीकरण कार्य

२१९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुरा) :— क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील आहोर, जिला जालोर तथा तहसील बाली, जवाई, जिला पाली में भूमि का एकीकरण कराया गया है ?

(२) यदि हां, तो किस एकीकरण में प्रत्येक तहसील में सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि इस रकम को वसूल करने के लिये इन तहसीलों के काश्तकारों पर टैक्स लगाया गया है, यदि ? हां, तो कितना टैक्स और किस हिसाब से ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसे काश्तकारों से भी टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिनकी भूमि के सम्बन्ध में एकीकरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(५) क्या यह सही है कि भूमि एकीकरण की कार्यवाही चालू करने से पहले विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐसा टैक्स न लगाने का कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो फिर यह वसूली की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

(६) भूमि एकीकरण विभाग के आंकड़ों के अनुसार किस किस तहसील में, कितनी कितनी भूमि इस एकीकरण की कार्यवाही से प्रभावित हुई है ? इसमें चाही कितनी तथा बारानी कितनी ?

(७) इन तहसीलों में प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी भूमि गैर-काश्त है, इसमें चाही कितनी और बारानी कितनी ?

(८) क्या यह सही है कि उपरोक्त टैक्स के कारण इन तहसीलों के काश्तकारों में असन्तोष है तथा उन्होंने सरकार के सामने

# Page No.27



( श्री भैरोंसिंह )

भी इसके लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) तहसील पाली तथा आहोर में क्रमशः लगभग १,७६,०५० रु० और २,६२,७५७) हुआ है।

(३) जी नहीं। टैक्स नहीं बल्कि कन्सोलिडेशन फीस वसूल की जाती है। जिसकी दर निम्न प्रकार है :

| क्षेत्र | तुरन्त वसूली होगी | तीन वर्ष के बाद वसूल होगी |
|---|---|---|
| प्रोजेक्ट | ३) | ४) |
| फरटाइल | २) | २) रु० ५० न. पै. |
| डेजर्ट | ५० न. पै. | ७५ न. पै. |

(४) जी नहीं। जिन काश्तकारों के पास पहले से ही काम्पेक्ट होल्डिंग होती है वह भी एकीकरण के फलस्वरूप शामिल होती है। अतः उनसे भी उक्त फीस ली जाती है।

(५) जी नहीं।

(६) तहसील पाली व आहोर के ४६ गांवों में कार्य समाप्त हो चुका है। प्रभावित होने वाली जमीनों का विवरण इस प्रकार है

| | चाही | बारानी | नहरी |
|---|---|---|---|
| पाली | २१४३६ | २८०४८ | ३४०७५ |
| आहोर | २७६२२ | ६३०५६ | २६६०६ |

(७) यह विस्तृत सूचना है। किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी दी जा सकती है।

(८) जी हां। काश्तकारान का प्रार्थनापत्र राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

**श्री भैरोंसिंह** : यह कन्सोलिडेशन फीस खर्चे के आधार पर फिक्स की जाती है या यों ही फिक्स की जाती है ?

**श्री सम्पतराम** : खर्चे को ध्यान में रखकर किया जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा सवाल यह है कि कन्सोलिडेशन पर जो खर्चा होता है कुल उसके आधार पर यह फीस तै की जाती है या दूसरे फैक्टर्स के आधार पर की जाती है ?

**श्री सम्पतराम** : मैंने आपके प्रश्न के भाग ३ के उत्तर में कहा है इससे साफ जाहिर होता है कि कन्सोलिडेशन के खर्चे के अनुपात से ही फीस ली जाती है। फिर भी एक स्टेन्डर्ड तो कायम करना ही होता है कि जिससे लेने वाले को भी और देने वाले को दोनों को ही सहूलियत रहे।

**श्री भैरोंसिंह** : तो इससे क्या यह समझा जावे कि जालोर में फीस इम्पोज की है वह खर्चे के अनुपात से की है ?

**श्री सम्पतराम** : हां, यह तो ठीक है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसी अनुपात से की गई है तो क्या आप यह बतावेंगे कि इस दृष्टिकोण से प्रत्येक एकड़ के पीछे फी व्यक्ति के ऊपर कितना पैसा इम्पोज करने का आपका अनुपात आता है।

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : यह फीस इम्पोज करना, कन्सोलिडेशन फीस मुकर्रर करना सरकार के अधिकार में है। कानून के अनुसार हमने इसको पहले जोन्स में डिवाइड किया। जैसे जवाब में है, प्रोजेक्ट, फरटाइल और डेजर्ट एरिया में। और इन एरियाज़ में जो कन्सोलिडेशन का खर्चा होगा उसको ध्यान में रखते हुए यह कन्सोलिडेशन फीस मुकर्रर की गई। इण्डिया में दूसरी स्टेटें हैं उनके मुकाबिले में यह बहुत कम है।

**श्री भैरोंसिंह** : कन्सोलिडेशन एक्ट के अनुसार जोन्स में डिवाइड करके आपने अलग अलग फीस पहले से प्रेस्क्राइब कर रक्खी है वह क्या है, बताने की कृपा करें ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह फीस और जोन्स सब गजट में शाया हो रहा है। आप उसमें आप देख लें।

**श्री भैरोंसिंह** : पहले से ही गजट में शाया हो जाने का मतलब तो फिर यह है कि खर्चे के अनुपात का कोई दृष्टिकोण नहीं रक्खा गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं जवाब दे चुका। That was one of the factors which the Government took into consideration while fixing the fees of consolidation.

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि कन्सोलिडेशन एक्ट के अनुसार उन लोगों से फीस वसूल नहीं की जाती जो इससे बिलकुल एफेक्ट नहीं होते ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह बिलकुल गलत है। हर एक आदमी इससे एफेक्ट होता है। यह किस तरह एफेक्ट होते हैं यह समझ लीजिये। खाली कम्पेक्ट ब्लॉक से नहीं एफेक्ट होता और भी तरह से एफेक्ट होता है। एक तो अफेक्ट होता है लैंड रेकार्ड गांव के होने से, उसे अपटूडेट मेन्टेन करने से, कामन लैंड, ग्रेजिंग लैंड, वेस्ट, Roads, Hospitals, Schools, Drinking wells Reservoirs etc. सबके लिये जमीन सैट अपार्ट की जाती है and every resident of that village is affected. Therefore, the charge of consolidation fees is perfectly justified.

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि ऐसे गांवों से भी फीस वसूल की गई है जिनमें कन्सोलिडेशन सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कहीं कन्सोलिडेशन ही नहीं हुआ तो वहां क्या सवाल हुआ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई गांवों से फीस वसूल की गई जहां कोई कन्सोलिडेशन की कार्यवाही नहीं हुई ?

# Page No.29



**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं आपका सवाल समझ नहीं सका कि यह सवाल अराइज कैसे हुआ। जब कन्सोलिडेशन हुआ ही नहीं तो कैसे फीस वसूल की गई। आपको किसी पर्टीकुलर गांव की शिकायत है तो आप बताइये। हमारे ध्यान में तो ऐसी कोई चीज है नहीं कि कहीं ऐसा हुआ हो। आपको जानकारी है तो बताइये।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उन गांवों के प्रतिनिधियों ने राजस्व मन्त्री के सामने प्रतिनिधित्व किया इस बात का और फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, और फीस उसी तरह वसूल की जा रही है जो नहीं की जानी चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : राजस्व मंत्री के पास तो सौ दो सौ रिप्रेजेन्टेशन और दरख्वास्तें रोज आती हैं। आप किसके लिये कहते हैं उनका नाम बतावें तो पता लगे।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जवाई बांध से नीचे आने वाले गांवों में से १८ गांवों ने मिलकर, उनकी फहरिस्त चाहते हों, तो मैं देता हूं, राजस्व मन्त्री के सामने रिप्रेजेन्टेशन किया था कि हमारे गांव कन्सोलिडेशन कार्यवाही में नहीं आते पर फिर भी फीस हमसे वसूल की जा रही है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके लिये आप इन १८ गांवों के नामों की फहरिस्त मुझे दे दें, टाइम और नोटिस भी दें ताकि मैं जानकारी हासिल कर सकूं और इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जो इस तरह की फीस ली गई है या ली जा रही है उसे सरकार अवैध समझेगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ऐसी फीस वसूल की नहीं जा सकती।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : तो सरकार के सामने कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे इन गांवों से भी फीस वसूल की जा रही है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह आपकी और उनकी (श्री भैरोंसिंह) जानकारी में है। मैंने कभी नहीं कहा।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : क्या राजस्व मन्त्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि उन लोगों ने इस बारे मे कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया कि सौ दो सौ रिप्रजेन्टेशन रोज होते हैं, इसके लिये भी किया होगा। निश्चित तो मैं क्या कह सकता हूं।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : इसका यह अर्थ हुआ कि आप ऐसे मामलों में ध्यान नहीं देते। आपको याद नहीं कि ऐसे मामले में रिप्रजेन्टेशन हुआ या नहीं जो एक महत्वपूर्ण मामला है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ध्यान तो आप नहीं देते।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ) : Why don't you have a small department where you can look after properly.

**श्री लक्ष्मीचन्द** : अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उप-मन्त्री राजस्व ने यह कहा कि प्रार्थनापत्र विचाराधीन है, वह कौन सा प्रार्थना-पत्र है ?

# Page No.30



**श्री सम्पतराम** : वह तो रेट ऑफ फीस पर है।

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नम्बर ८ बिलकुल स्पष्ट है, "उपरोक्त टैक्स के कारण इन तहसीलों के काश्तकारों में असन्तोष है तथा उन्होंने सरकार के सामने भी इसके लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?" इसका जवाब नहीं दिया गया।

**श्री सम्पतराम** : मैंने कहा न कि रिप्रजेन्टेशन उन्होंने किया और वह सरकार के विचाराधीन है। सरकार उस पर विचार कर रही है।

**श्री भैरोंसिंह** : आप तो कह रहे थे कि रिप्रजेन्टेशन नहीं आया। क्या यह सही है कि वह रिप्रजेन्टेशन इस बात का है कि उनसे यह फीस वसूल की जा रही है, जो नहीं की जानी चाहिये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नहीं, वह इस बात का है कि हमारे पर फीस ज्यादा है वह कम होनी चाहिये। यह प्रश्न विचाराधीन है। कोई गांव कन्सोलिडेशन में नहीं आया और फिर भी उससे फीस ली जा रही है, इस प्रकार का रिप्रजेन्टेशन नहीं आया।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : जो सरकार के प्रश्न विचाराधीन है, उनकी फीस जो वसूल की जा रही है उसकी वसूली विचार-काल तक के लिये स्टे करेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नहीं करेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आज के प्रश्न समाप्त हुए। कल का एक प्रश्न है।

## स्थगित प्रश्न

### कृषि सहकारी समिति आसीन्द (भीलवाड़ा)

१८६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आसीन्द कृषि सहकारी समिति, जिला भीलवाड़ा को ग्राम आमेसर तथा उसके आस पास की भूमि नियमों के विपरीत राजस्व अधिकारियों द्वारा अलाट की गई है ? यदि हां, तो क्यों और किनके द्वारा ?

(२) क्या यह सही है कि जितनी भूमि अलॉट किये जाने के आदेश जारी हुए थे, उससे ज्यादा भूमि पर इस समिति ने अधिकार कर लिया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस समिति के अधिकार में गोचर भूमि भी है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(४) क्या इस भूमि के अलॉटमेंट करने से पहले इस बात की जांच की गई थी कि इसके सदस्य भूमिहीन काश्तकार हैं तथा ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और कौन कौन सदस्य किस किस श्रेणी के काश्तकार पाये गये ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय तहसीलदार ने समिति को सरकार से ट्रैक्टर के लिए लोन दिलाने की भी सिफारिश कर दी जब कि वह अलॉटमेंट नियमित रूप से समिति को नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री सम्पतराय): (१) यह अलॉटमेंट अब राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है क्योंकि सहकारी समिति ने काफी खर्चा करके भूमि सुधार ली थी इसलिए राजस्थान सरकार ने इस शर्त पर कि बैटर-मेंट लेवी और प्रीमियम वसूल किया जावेगा, स्वीकार किया है।

(२) जिस १८९ बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा किया है उससे उसको बेदेखल किए जाने की आज्ञा दी जा चुकी है। तथा सम्बन्धित तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिये गए हैं।

(३) जी नहीं। जितनी भूमि सहकारी समिति को अलॉट करने के हेतु सिफारिश की गई थी उतनी भूमि के अलावा बाकी की भूमि को वापिस लिए जाने के आदेश हो चुके हैं।

(४) जी नहीं। इसकी जांच करके भूमि अलॉट की थी।

(५) जी हां, लोन दिए जाने की सिफारिश राज्य सरकार को की थी।

**श्री भैरोंसिंह** : इसका उत्तर नहीं आया कि जिस जमीन को अलॉट किया गया था वह नियमों के विपरीत नहीं था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी नहीं। सिर्फ इतना ही विपरीत हुआ था कि अलॉटमेंट का अधिकार कमेटी को नहीं था। पर उन्होंने अपने अख्तियारात से आगे जाकर अलॉट कर दिया। इसमें चूंकि तहसीलदार ने नियमों को इग्नोर किया इसलिये उसके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं पर अलॉटमेंट को सरकार ने सैंक्शन कर दिया है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उस कमान्डेड एरिया के अलॉटमेंट के संबंध में गजट में जो रूल बने थे वे गजट में पब्लिश हुये थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**: यह अलॉटमेंट करीब '५७ में हुआ जब कि उस वक्त रूल्स नहीं थे, बल्कि '५३ के अलॉटमेंट के रूल्स फोर्स में थे। उस वक्त कमान्डेड एरिया के रूल्स नहीं बने थे।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उस विज्ञप्ति के अनुसार कमान्डेड एरिया वह घोषित कर दिया गया था और उसके रूल '५३ के लागू न होकर '५८ में बने लागू किये गये थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह सही है पर वे '५७ में लागू नहीं हो सकते थे। वह अलॉटमेंट इर्रेगुलर था पर उन्होंने अपने खर्चे से उसमें इम्प्रूवमेंट आदि कर लिए इसलिये और चूंकि वह कोआपरेटिव फार्मिंग की सोसाइटी थी और सरकार की नीति कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की है इसलिए अलॉटमेंट को तो सही कर दिया गया। मगर तहसीलदार और कमेटी ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया इस वजह से तहसीलदार के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा रहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : जब अलॉटमेंट इर्रेगुलर हुआ तो उन लोगों को क्यों देते हैं ? उनसे वापिस क्यों नहीं ले लेते ?

**श्री दामोदरलाल :** इसकी सरकार ने कोई आवश्यकता नहीं समझी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उसमें काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब उसको बन्द कर देना प्रोडक्शन को कम करना है। फिर सरकार की पॉलिसी कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना है इसलिये उसको मन्जूर कर लिया।

**श्री भैरोंसिंह :** सरकार की यह पॉलिसी एग्रीकल्चरिस्टों की कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की है कि कांग्रेस के लोगों की जो अनुकल्चरिस्ट हैं जो सोसाइटी बनती है उसको देने की ?

**श्री दामोदरलाल व्यास:** कांग्रेस वालों को भी खेती करके जिन्दा रहने का अधिकार है, यह भुलाना नहीं चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह :** यह जरूर है। पर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को भूमि न दी जावे। क्या सरकार की यह मन्शा है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनको भूमि की दरकार है, जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं उनको तो पहले प्रिफरेन्स नहीं दिया जावे और जो कभी खेती नहीं करते, केवल कांग्रेस के नाम का बिल्ला लगाते हैं उनको प्रिफरेन्स देती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जितनी तकलीफें उनकी हैं और जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उसको ध्यान में रख कर सरकार ने निर्णय किया है।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Are you in a position to state as to how much investment was there of this co-operative society when you regularised this order ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** Certainly. They have developed that land with heavy investment.

**श्री श्रीभानसिंह :** I want the quantum of the investment., Sir.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** That I cannot give you at the moment, but I can tell you that they have purchased tractor and other machinery. They have spent lot of money for developing that land.

**श्री भैरोंसिंह :** क्या यह सही है कि जिस समय इसे रेगुलेराइज़ नहीं किया गया उस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस समिति को १५ हजार का लोन दिलाया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** That has been accepted.

**श्री भैरोंसिंह :** जब इर्रेगुलर था अलाटमेंट और मामला सरकार के विचाराधीन था तो इस बीच में लोन क्यों दिया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** आप जवाब को पढ़ते तो आपको मालूम हो जाता कि इसीलिए तहसीलदार के खिलाफ डिपार्टमैन्टल एन्क्वायरी हम करा रहे हैं। उसने लोन को सैंक्शन कर दिया बगैर गवर्नमेन्ट द्वारा अलॉटमेन्ट की सैंक्शन किये जाने से पहले ही।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : लोन सैंक्शन फिर क्यों किया गया ?

# Page No.33



**श्री दामोदरलाल व्यास** : सैंक्शन तो किया कलेक्टर ने। तहसीलदार ने रिकमन्ड किया था, यह उसकी गलती हुई और इसकी जांच हम करा रहे हैं तहसीलदार के खिलाफ।

**श्री भैरोंसिंह** : जिस ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर रखा था उसको छोड़ने के सम्बन्ध में कब आदेश दिया, वह अब तक छुड़ाई गई या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तारीख तो याद नहीं। आदेश जरूर दे दिया है कि उस जमीन से उसको बेदखल कर दिया जावे।

**श्री भैरोंसिंह** : उस आदेश की कम्प्लायेन्स हुई या नहीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह सूचना नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : तो क्या यह समझा जावे कि जिस जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया गया उस जमीन में कोई इन्वेस्टमेन्ट नहीं किया गया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप कुछ भी समझें। पर यह समझकर आर्डर दिया है हमने कि जो जमीन अलॉट नहीं हुई उस पर काबिज नहीं रहने दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : समझने न समझने का सवाल नहीं है। सरकार ने सारा अलॉटमेंट गलत किया। पर चूंकि उन्होंने उस भूमि पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस इन्वेस्टमेन्ट के कारण को लेकर कहा जा रहा है कि जो इर्रेगुलर अलॉटमेंट हुआ उसको भी इस कारण पर सरकार रेगुलेराइज करने जा रही है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट पॉइन्ट आफ व्यू से सरकार रेगुलेराइज़ कर रही है तो उसी पॉइन्ट आफ व्यू से मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस जमीन पर उन्होंने गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया पर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको भी क्यों नहीं सरकार रेगुलेराइज़ करने जा रही है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने इन्वेस्टमेन्ट के अलावा और भी फैक्टर्स बताये हैं। सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिङ्ग को एन्करेज करने के लिये उनको रेगुलेराइज़ किया गया। आखिर उनका कोई कसूर नहीं है। जिस अलॉटमेन्ट कमेटी को अधिकार नहीं था और उसने अलॉट कर दिया और तहसीलदार ने भी अपने अधिकार से बाहर जाकर रिकमन्ड कर दिया तो इसमें कोऑपरेटिव का क्या कसूर है। तो उनकी गलती की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम पीनेलाइज़ नहीं कर सकते। यह पॉइन्ट था। दूसरा उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेन्ट कर दिया। तीसरी बात जो ऐतराज कर रहे हैं और जिसका इजेक्ट करने का आर्डर दिया है वह पोजीशन जमीन की ऐसी है कि वहां बहुत से ऊंचे ऊंचे टीले हैं। वह काश्त के काम जमीन आ नहीं सकती। इस वास्ते यह ऑर्डर दिया है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसमें टीला एक भी नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह तो आप कह सकते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसकी कोई आवश्यकता नहीं। गवर्नमेन्ट को इन्हेरेन्ट पावर हैं नॉन जुडिशियरी के।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अपील के पावर हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. १८ म. प.)

**भीलवाड़ा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मजदूरों को वेतन न मिलने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव**

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास द्वारा भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के मजदूरों को वेतन न मिलने आदि सम्बन्धित विषय पर आई है।

यह मामला इतना विशेष महत्व का नहीं है कि सदन का जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है उसको स्थगित कर इस पर विचार किया जावे। सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास जो सूचना है वह चाहें तो सदन को दे सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय.......

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री, श्रम मंत्री की ओर से) : I am giving a statement. I think you will be satisfied after hearing it. I think reply would be to your satisfaction.

**श्री मुरलीधर व्यास** : स्थगन प्रस्ताव है। इसमें सिर्फ महीने का वेतन ही नहीं, वेतन के अतिरिक्त ....

**श्री अध्यक्ष** : मैंने यही तो कहा कि और उनसे सम्बन्धित विषय पर आपने दिया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, लेबर ऑफिसर भीलवाड़ा की रिपोर्ट इस प्रकार है :—

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लि० भीलवाड़ा के श्रमिकों को मैनेजमेंट ने वेजेज़ नहीं दिये। लेबर ऑफिसर को इसलिये हिदायत की गई है कि वह उन वर्करों के क्लेम को पेमेन्ट ऑफ वेजेज ऑथोरिटी के समक्ष प्रस्तुत कर दे। वे क्लेम, लेबर वैलफेयर ऑफिसर भीलवाड़ा ने प्रस्तुत कर दिये।

इस दरमियान में यह सूचना प्राप्त हुई कि मैनेजमेंट तैयार माल ले जा रहा है। यह सूचना प्राप्त होने पर लेबर इन्सपेक्टर को हिदायत की गई कि पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ ऑथोरिटी के सामने दरख्वास्त पेश करके स्टे ऑर्डर इस बारे में ऑब्टेन कर लें। इस पर उसने दरख्वास्त पेश की। स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया गया है। माल पर अटैचमेंट का ऑर्डर प्राप्त हो गया है और उम्मीद है कि प्रोपर्टी जल्दी अटैच हो जावेगी।

जहां तक लेबर डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, हर मुमकिन कोशिश इस बात की की जा रही है कि वे लेबर को हर तरह की राहत दिला सके और उनकी लेजिटिमेट डिमान्ड्स पूरी हो सके।

**श्री मुरलीधर व्यास** : अध्यक्ष महोदय, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा यह मतलब है कि मिल बन्द हो गई है काम ठप्प हो गया है, मैनेजमेन्ट ने मिल को लिक्विडेशन में दे दिया है। अब यदि मिल लिक्विडेशन में

( श्री मुरलीधर व्यास )

जाती है और १५०० मजदूर बेकार हो जाते हैं तो सरकार क्या प्रयत्न कर रही है कि यह स्थिति न आवे, मजदूर बेकार न हों, दो तीन महीने के वेजेज का सवाल तो बहुत छोटा सा है। बड़ा सवाल तो उनके बेकार होने का है। इस बात पर लेबर सत्याग्रह भी कर रहा है। इन सब बातों पर सरकार ने कोई रोशनी नहीं डाली। खाली लीपापोती कर दी है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि आगे जाकर अगर यह मिल लिक्विडेशन में चली जाती है तो सरकार ने इन मजदूरों के लिये क्या सोचा है। यह मुख्य प्रश्न है। सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना की यह सबसे बड़ी मद है कि बेकारों को काम दिलावेगी। अब बेकारों को काम देना दूर, जिनको काम मिला हुआ है वे बेकार होने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है और जिनका असर सारे शहर पर पड़ रहा है तो इस पर सरकार क्या सोच रही है। इसलिये यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी कुछ स्पष्टीकरण करेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): इस बारे में इतना ही कहना इस समय उपयुक्त होगा कि यह विषय भी उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार के साथ चर्चा में है और जल्दी ही उस सम्बन्ध में निर्णय किया जावेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : भारत सरकार से क्या चर्चा चल रही है? क्या मिल पर अपना कब्जा करके चलाने की बातचीत चल रही है? अगर यह बात चला रही है सरकार तो सोचेंगे कि सरकार ठीक कर रही है। तो अगर यह स्थिति साफ हो जाय तो ठीक बात है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह निवेदन किया कि इसके सभी प्रोज और कोन टेक ओवर करने के बारे में एन्क्वायरी प्रोसीड करती है कि इस बारे में क्या स्टेप लिये जावें, क्या किया जावे। इस विषय में बातचीत हो रही। कल ही खुद मैंने दिल्ली में हमारे भारत के जो उद्योग मन्त्री हैं उनसे भी बातचीत की है।

**श्री मुरलीधर व्यास** एक विशेष अधिकार का प्रश्न और है ....

**श्री अध्यक्ष** : इसकी सूचना आपको भेज दी गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उसकी सूचना इस प्रकार से दी गई है कि यह मसला जहां से चल रहा है ...

(घंटी)

**श्री अध्यक्ष** : यह यहां पर बहस का विषय नहीं है। जो व्यवस्था दे दी गई है उसे आप स्वीकार करें।

**श्री मुरलीधर व्यास** : पंचायत का साल भर से चार्ज नहीं दे रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : Order, Order please. Hon'ble Member, Order please.

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : Why don't you go to N.E.F.A. border also

**श्री अध्यक्ष** : आप कृपया बैठ जायें। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है और दूसरे तरीके इसके अलावा अख्तियार करने के हैं और आप उनको अख्तियार न

Page No.36



( श्री अध्यक्ष )

करके स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ही इसको हल कराना चाहते हैं तो उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती । उसके अस्वीकार होने की सूचना आपको दे दी गई है उसके बाद में भी यहां पर खड़े होकर भाषण देना शुरू कर दें तो ऐसा ठीक नहीं है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : १२ महीने से कार्यवाही चल रही हैं तो सरकार उस पर कोई कदम उठा रही है, यह भी कह दें तो ठीक है ।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार की तरफ से मैं कैसे कह सकता हूँ कि वह कार्यवाही कर रही है या नहीं । यहां पर सदन में उसे पेश करने की इजाजत नहीं देते क्योंकि वह पुराना मामला है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह तो सदन में ज्यादती है ...

**श्री अध्यक्ष** : जिनके बारे में मैंने मना कर दिया है उसको पुनः रेज़ करने की कोशिश माननीय सदस्य न करें ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आप ही बतायें एक साल तक पंचायत को चार्ज नहीं दिया जाये ....

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको निवेदन कर चुका हूं । ऑर्डर प्लीज़ ।

(घंटी)

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें आपको कुछ कदम उठाने चाहिये ....

**श्री अध्यक्ष** : मैं निवेदन करूंगा कि आप सदन के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं और जो व्यवस्था दे दी जाती है उसके बावजूद भी और भाषण देते रहेंगे तो इस सदन की कार्यवाही आगे कैसे चलती रहेगी । सवाल यह है कि आपने एडजोर्नमेंट मोशन रखा है और उसको अस्वीकार कर दिया गया है । अब कार्यवाही होती है या नहीं, प्रजातंत्र कैसा है कैसा नहीं है क्या यह मसले इस समय यहां उठाने के हैं ? आप को खुद को विचार करना चाहिये ।

एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना आई है उस पर विचार हो रहा है और उस पर कल व्यवस्था दे दी जायेगी ।

कल क्लॉज ३ के सेक्शन ३० डी पर विचार-विमर्श हो रहा था और माननीय मन्त्री महोदय के जवाब के लिए स्थगित किया हुआ था । कुछ संशोधन प्रस्तुत कर दिए गए थे । अब श्री श्रीभानसिंह अपना भाषण जारी रखें ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रिविलेज मोशन आया है उसके बारे में मैं आज कुछ कह दूँ क्योंकि मैं कल उपस्थित हो नहीं पाऊंगा । मैं समझता हूँ कि जो अभी इन्डस्ट्रियल एडवाइज़री कौंसिल के अन्दर जनरल कन्सेशन्स के बारे में कहा गया उसके लिए कुछ अर्ज कर दूँ ।

**श्री भैरोंसिंह** : On a point of order Sir, पहले हाउस को पता लगे कि प्रिवलेज मोशन क्या है और जिनको बोलने का अधिकार है वह अपने राइट को एक्सरसाइज़ करेंगे या नहीं, उसके बाद में मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो अच्छा रहेगा ।

# Page No.37



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि कल के बजाय परसों इस पर व्यवस्था दें तो ठीक रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : परसों रख लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह।

(१२. २४ म० प०)

**राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८**

(प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर खंडश : विचार विमर्श)

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने प्रश्न उठा वह यह था कि जब कि राजस्थान में सीलिंग इम्पोज़ कर दी जावे तो जितनी लैन्ड निकले उस पर कितना कम्पेन्सेशन दिया जाये। सदन में एक राय तो यह थी कि कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये मगर रेट्स पर कुछ डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन थी। एक जो माननीय सदस्य पी० एस० पी० से आते हैं उनकी यह राय थी कि बिलकुल ही कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाये। जैसा कि मैंने कल कहा था कि दोनों रायों से मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूँ क्योंकि पहले मैंने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टीकल ३१ के अन्दर यह दिया हुआ है कि कोई भी प्रोपर्टी एक्वायर या रिक्वीजिशन नहीं की जायेगी बिना कम्पेन्सेशन के। मगर उसमें एक यह भी है कि कोई एक प्रिन्सिपल ले डाउन करना चाहिये और वह प्रिन्सिपल इस बिल के अन्दर भी है। जो माननीय सदस्य सलूम्बर से आये हैं उनके जो अमेंन्डमेंट में है उसमें भी एक सिद्धान्त है। दोनों जो सिद्धान्त हैं बिल के और अमेन्डमेंट के वे दोनों अलग अलग हैं। इससे पहले मैंने यह बताया कि मैं दोनों सिद्धान्तों को क्यों नहीं मानता और सदन से भी मैंने निवेदन किया कि इनको नहीं माना जाय। मैंने सदन को यह बताया कि हमें भारतवर्ष के अन्दर एक इस तरह के समाज की रचना करनी है जिसका सिद्धान्त सोशियल इक्वेलिटी पर हो, इकानोमिक इक्वेलिटी पर हो। या यह कहा जाये कि जस्टिस के सिद्धान्त पर समाज का निर्माण हो। जब हम जस्टिस के प्रिन्सिपल को लेते हैं, उसी प्रिन्सिपल को अगर हम एप्लाई करते हैं यह लेकर कि अगर हम प्रोपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लें तो वह जस्टिस नहीं है। उसमें चाहे रूस से प्रेरणा मिले या चीन से प्रेरणा मिले लेकिन हमारे संविधान के तहत हम उसको जस्टिस नहीं कह सकते। जस्टिस उसी को कहेंगे कि जिस तरह एक संविधान के तहत काम हमको करना है और उसमें जो सिद्धान्त दिए हुए हैं कम्पेन्सेशन के उस कम्पेन्सेशन के सिद्धान्त को एक्सेप्ट करते हुए एक क्वेन्टम निर्धारित करें और उसका क्राइटेरिया ऐसा हो कि जिसको हम लें। आदमी, समूह, कलेक्टेवली, ग्रुप या फेमिली है वह खुश हो। तो जब हमें समाज का निर्माण इक्वेलिटी के बेसिस पर करना है जिसमें डिस्कन्टेन्ट न हो और सब तबके स्ट्रांग हो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया जरूर ढूंढना पड़ेगा और वह तरीका स्लाइडिंग स्केल का है। जब तक हम कम्पेन्सेशन के मसले को इस तरह एडोप्ट नहीं करते तब तक हम जस्टिस नहीं कर सकते। न जिससे हम जमीन लेते हैं उसको जस्टिस दे सकते हैं। एक हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के बारे में यहां

( श्री श्रीमानसिंह )

सदन में दो तीन बार कहा गया। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सीलिंग के अन्दर बहुत से काश्तकारों पर भी इफेक्ट पड़ेगा और लाखों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। जब इसका इफेक्ट होना है तो यह देखना है कि एक ओर जागीर एबोलिशन एक्ट के अन्दर जागीरदारों को कितना कम्पेन्सेशन दिया, दूसरी तरफ जमींदारों को भी कम्पेन्सेशन दिया और जहां एक टिनेन्ट का सवाल आता है, जिसको टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रोपर्टी राइट्स फील्ड्स के अन्दर दिए। जब टिनेन्ट्स का प्रश्न आता है तो यह नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार के फाइनेन्सेज इसको परमिट नहीं करते हैं। राजस्थान सरकार के अगर फाइनेन्स परमिट नहीं करते थे तो आपने भूस्वमियों के लिए ५ करोड़ की लाइबिलिटी ली भूस्वामियों की ओर राजस्थान के काश्तकारों की कोई पोजीशन के अन्दर कोई डिफरेन्स नहीं है। इकोनोमिक पोजीशन वही की वही है। ५ करोड़ की लाइबिलिटी उनके लिए ले सकते हैं तो काश्तकारों को उनकी जमीन से डिप्राइव करने के लिए कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, और कम्पेन्सेशन की वह स्केल, जैसा कि मैंने कहा, स्लाइडिंग स्केल हायर लैंड का रख दें या हायर लैंड रेवेन्यू का रख दें, यानी कोई क्राइटेरिया इवोल्व कर सकते हैं। हायर लैंड रेवेन्यू हो तो कम्पेन्सेशन लोअर हो यानी हायर लैंड रेवेन्यू पर लेते हैं तो लोअर कम्पेन्सेशन देते हैं और लोअर लैंड पर देते हैं उसको हायर कम्पेन्सेशन देते हैं। इस तरह से स्लाइडिंग स्केल रखें तो जस्टिस कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि हमारे प्लानिंग के अन्दर धक्का पहुंचेगा। आखिर राजस्थान सरकार यानी गवर्नमेंट लाइबिलिटीज लेती जा रही है तो प्लान में किस तरह से प्रोग्रेस कर सकेंगे? एक दृष्टिकोण यह हो सकता है, मगर प्लानिंग में प्रोग्रेस चाहते हैं और साथ ही सोशल रिफार्म्स भी लेना चाहते हैं। लैंड का डिस्ट्रिब्यूशन जिसको हम सोशल मेजर्स कह सकते हैं, उस मेजर को हम क्या छोड़ दें? उन मेजर्स के जो कॉन्सीक्वेन्सेज हैं उन कॉन्सीक्वेन्सेज के लिए जो बर्डन कॉन्सीक्वेन्सेज का है, और जब तक उन कॉन्क्वेन्सेज को मंजूर करने को तैयार नहीं है तो प्लानिंग की सबसे सोशल रिफार्म्स पर निर्धारित है, जैसे २ हम सोशल रिफार्म्स से सोसाइटी में इक्विटेबिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे वैसे वैसे सोसाइटी के अन्दर से डिस्ट्रब्यूशन को हटायेंगे। एक केवल मेटेरियल बेनिफिट ही हमारा सिद्धान्त होता, तो एक मेटेरियल बेनिफिट एक केपिटेलिस्ट सोसाइटी के अन्दर भी होता है। मेटीरियल प्रोग्रेस होती है। कम्युनिस्ट कन्ट्रीज के अन्दर भी मेटीरियल बेनिफिट होता है। हमारा मेटीरियल बेनिफिट सिद्धान्त नहीं है। मेटीरियल बेनिफिट भी हो, मेटेरियल प्रोग्रेस भी हो, उसके आधार पर हम सोशल प्रोग्रेस को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। इकोनोमिक प्रोग्रेस के लिए सोशल प्रोग्रेस बहुत एसेन्शियल है। दोनों को साथ साथ लेते हैं तो जो कॉन्सीक्वेन्सेज सोशल प्रोग्रेस के हैं उन कॉन्सीक्वेन्सेज को बीअर करना पड़ेगा। मगर बीअर कैसे किया जाय? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उनको बीअर कैसे किया जाय। मैं इस पॉलिसी से सहमत नहीं हूँ जो कि राजस्थान, हमारी

( श्री श्रीभानसिंह )

गवर्नमेंट ने एडोप्ट की है, और वह पालिसी है कि हम को ४ लाख लैंडलैस को भूमि देना है और उनसे हम कोई पेमेन्ट नहीं लेंगे। यानी एक कामन पेमेन्ट का प्रश्न चल रहा है इसको मैं कहूँ कि यह एक सेन्टीमेन्ट का प्रश्न नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पॉलिसी से फायदा नहीं होता है कि लैंडलैस को, जैसा कि पी. एस. पी. के माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि लैंडलैस को किस तरह से जमीन दे देंगे वह उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। पैसा नहीं रहेगा तो कहां से कम्पेन्सेशन के लिए पैसा लायेगा। कम्पेन्सेशन की लाइबिलिटी गवर्नमेंट स्टेट पर नहीं लेनी चाहती है। आज अगर हम कम्पेन्सेशन के इस प्रश्न में उसकी कुछ न कुछ सेल्फ लिक्विडेटरी स्कीम बनाते हैं तो लाइबिलिटी बीअर करनी नही पड़ती है। क्या यू. पी. गवर्नमेंट में कांग्रेस पॉवर के अन्दर नहीं आई है? मगर यू. पी. गवर्नमेंट ने कम्पेन्सेशन अपने पास से नहीं दिया। उन्होंने जमींदारी एबोलिश की तो उन्होंने कम्पेन्सेशन रियेलाइज किया। आखिर इसके अन्दर एक सिद्धान्त है। मैं यह मान कर चलता हूँ कि मैं सेन्ट पर्सेन्ट एडवोकेट नहीं करता हूँ कि लैंडलैस से पेमेन्ट पूरा लें लैंड का, मगर मैं इसको मानकर जरूर चलता हूँ कि इसमें लैंडलैस का कन्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिये। उसको अगर एक गिफ्ट की तरह दे दें तो लैंड की क्या गारन्टी है कि लैंड पर अच्छा कन्ट्रीब्यूशन करेगा जो अच्छी तरह प्लो करेगा। कुछ न कुछ चीज वह इस जमीन के अन्दर भी आयेगी कि जिस तरह से एक गिफ्ट के बारे में किया जाता है उसी तरह से यह गिफ्ट आफ लैंड होगी लैंडलैस के लिए और वह उसी तरह से ट्रीट की जायगी। एक एलीमेंट आफ सेक्रीफाइस जरूर उसके अन्दर होना चाहिये। एलीमेंट आफ सेक्रीफाइस क्या हो? जिस हद तक कोई लैंडलैस पे नहीं कर सकता चाहे चार लाख की संख्या में से ४ लाख पे नहीं कर सकता तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एक स्टेट बैंक खोले जो मनी प्रोवाइड करे लैंडलैस को और क्रेडिट प्रोवाइड करके उसको लैंड का पर्चेज कराये और लैंड का पर्चेज करके कम्पेन्सेशन पे करें। उसको स्टेट गवर्नमेंट को लैंडलैस की लाइबिलिटी लेनी चाहिये, उनको प्रोवाइड करने की लाइबिलिटी लेनी चाहिये। उनको केपिटल, जिस तरह से बुलॉक्स का केपिटल देगी, सीड का केपिटल देगी उसी तरह से गवर्नमेंट को यह लाइबिलिटी लेनी चाहिये कि जो लैंड पर्चेज करने की बात है वह कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से करें या लैंड मोर्गेज बैंक से या कोई स्पेशल क्रेडिट बैंक से लैंडलैस के लिए लैंड की वेल्यू का पैसा पे करें और उस पैसे से ही कम्पेन्सेशन टिनेन्ट्स को पे करें, और स्टेट गवर्नमेंट लैंडलैस से इन्स्टालमेंट के अन्दर रियेलाइज करें, वह स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेन्ड करता है कि लैंडलैस की क्या लाइबिलिटी हो? कितना वह एफोर्ड कर सकता है, कितने इन्स्टॉलमेंट पे कर सकता है? वह इन्स्टॉलमेंट स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। ३० या ४० टाइम्स का जितना इन्स्टॉलमेंट गवर्नमेंट फिक्स करना चाहे, वह लैंडलैस से फिक्स कर दे।

मगर यही प्रश्न नहीं है। इसके साथ-साथ लैंडलैस का प्रश्न आता तो मान लेते कि लैंडलैस के साथ में यह तरीका बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अनइकॉनोमिक होल्डिंग जो है वह भी बेनिफिट करेगी उसमें

# Page No.40



( श्री श्रीभानसिंह )

गवर्नमेंट ने लिखा है "May or may not take payment" अनइकॉनोमिक होल्डिंग के पास थोड़ा बहुत कैपिटल मौजूद है। उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की या इतना पैसा देने की ज्यादा जरूरत नहीं जितनी उसकी लाइबिलिटी है। अनइकॉनोमिक होल्डर अपने आप कन्ट्रीब्यूट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी की तरफ से या स्टेट एक्सचेकर की तरफ से उसके कम्पेन्सेशन की लाइबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट मीट कर ले। इससे हमारा प्लानिंग डिफीट नहीं करता है, और अगर वाकई में हम यह चाहते हैं कि लैंडलैस को लैंड के अन्दर इन्ट्रेस्ट बना रहे और लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो लैण्डलैस के ऊपर या अनइकानोमिक होल्डर्स के ऊपर कोई न कोई बर्डन इतना रखना पड़ेगा कि जिस बर्डन की वजह से वह ध्येय बना रहे। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक स्टेट से जो लोन लिया है लैंड पर्चेज करने का, बुलॉक्स पर्चेज करने का, सीड लेने का यानी कि स्टेट से जो उसने लोन लिया है उसको वह नहीं चुका सकता है। यह जो बर्डन लैंडलैस पर होगा यह बर्डन उसको एक इम्पीट्स, एक एनीशियेटिव देगा उस लैंड के अन्दर पूरा लेबर और सब लगाने करने को जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे कि as early as possible वह गवर्नमेंट के लोन को चुका सके। इस तरह से वह स्कीम ही सैल्फ लिक्विडेटरी हो जायगी। उससे स्टेट एक्सचैकर पर बर्डन नहीं आयेगा और प्लान भी सफर नहीं करेगा। कहा यह जाय कि कहीं पहले यह स्कीम एडोप्ट नहीं हुई है। मैं नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन यू० पी० जमींदारी एबोलिशन में यह स्कीम एडोप्ट की गई है और भी कई कन्ट्रीज में हुई है। राजस्थान ही यह श्रेय लेना चाहता है फर्स्ट होने का तो सीलिंग इम्पोज करने में वह फर्स्ट नहीं है और जगह भी ऐसा है। बहुत से ईस्ट युरोपियन कन्ट्रीज हैं वे कम्यूनिस्ट हो गये और जितने भी कन्ट्रीज हैं उन्होंने यह स्कीम लागू की और स्कीम लागू करके बहुत से लैंडलैस को और अनइकानेमिक होल्डर्स को इस तरह से प्रोवाइड किया है। कहीं पर लैंडलैस को प्रायोरिटी दी है तो कहीं पर अनइकॉनोमिक होल्डर्स को प्रायोरिटी दी है, मगर कहीं भी लैंड को एक फ्री गिफ्ट की तरह नहीं दिया गया। उन्होंने हमेशा कोई न कोई लाइबिलिटी लैंडलैस पर, कोई न कोई लाइबिलिटी अनइकॉनोमिक होल्डर्स पर जरूर रखी है। जहां भी वह फ्री गिफ्ट की तरह दी गई वहां फ्री गिफ्ट देने के साथ कम्पेन्सेशन या जो लैण्ड वैल्यू थी वह स्टेट ने टिनेन्ट को पे की है। अगर यह स्कीम एडॉप्ट करते हैं कम्पेन्सेशन देने की और स्लाइडिंग स्केल देने की तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूँ कि इससे टिनेन्ट्स की उन्नति होगी अगर उनमें कन्टेन्टमेंट रहेगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य जो कि रामराज्य परिषद् के हैं उन्होंने एक अमेंडमेंट रखा है कि उनके लिये रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट सेपरेट होनी चाहिये तो, स्लाइडिंग स्केल के अन्दर में दोनों बातें रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट भी मीट हो जाती है और सब बातें एक तरह से स्लाइडिंग स्केल के अन्दर मीट हो जाती हैं। यही एक सिस्टम है जो कि रिफार्म्स, जिसको कहा जाय for the greatest good of the greatest number इस रिफार्म्स के अन्दर मास डिसकन्टेन्टमेंट रहता है चाहे कम्पेन्सेशन की वजह से रहे, चाहे लैंड सीलिंग की वजह से रहे,

( श्री श्रीभानसिंह )

अगर इस मेजर की वजह से मास डिस्कन्टेन्टमेंट रहे तो उस डिग्री में पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हम इन्ट्रोड्यूस करेंगे । पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी समाज के अन्दर अगर रिफोर्म्स से आयेगी तो हर एक कोई उसको एक्स्प्लायट कर सकता है । तो मुझे निवेदन यही करना है कि सोशियल जस्टिस के नाते और इकोनोमिक जस्टिस के नाते और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के नाते कोई क्राइटेरिया ऐसा एडोप्ट करिये जिससे ऐसा हो जाय कि for the greatest good of the greatest number. तभी हो सकता है जब कि स्लाइडिंग स्केल यह सदन मन्जूर करे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, अभी भूमि के उच्चतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी निर्णय के उपरान्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के समक्ष यह आया है कि जो भूमि उच्च सीमा से अधिक हो उसको किस प्रकार से अवाप्त किया जाय। समस्या यह खड़ी होती है कि उस अवाप्त की हुई भूमि का मुआवजा दिया जाय या नहीं दिया जाय और यदि दिया जाय तो कितना दिया जाय, कैसे दिया जाय, किस आधार पर दिया जाय ? यह तो प्रायः निर्विवाद ही है कि जो भूमि अवाप्त की जाय उसका मुआवजा दिया जाना चाहिये क्योंकि वह हमारे संविधान में निहित है । आगे प्रश्न यह उठता है कि वह मुआवजा कितना हो ? उसके सम्बन्ध में दो, तीन प्रकार के विचार सामने आये हैं । एक तो जैसा कि प्रवर समिति ने रखा है कि उस भूमि का जहां जैसी मार्केट रेट हो, बाजार दर हो उसी प्रकार से मुआवजा दिया जाय । दूसरा इसमें एक संशोधन यह है कि बाजार रेट के स्थान पर जो मालगुजारी या लगान है उसका कुछ गुणा दिया जाय और उसके बीच का जो एक रास्ता अपने सामने आया है वह यह है कि मुआवजा दिया जाय लेकिन एक ही आधार पर नहीं दिया जाय बल्कि भूमि जिस मिकदार में ली जाय, कम या ज्यादा उसके अनुसार दिया जाय ।

जहां तक मेरा इस सम्बन्ध में विचार है, मैं समझता हूँ कि मार्केट रेटवाली जो बात रखी है वह तो उचित प्रतीत नहीं होती। उसका कारण यह है कि मार्केट रेट में बहुत कुछ इस प्रकार की स्थिति आयेगी जिससे जिनको मुआवजा दिया जायगा और जो देगा दोनों ही के लिए वह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । खास तौर से मार्केट रेट का जहां तक सम्बन्ध है । हर जगह की भूमि अलग अलग तरीके की होती है अलग अलग प्रकार का बीघा उनका बनता है । उदाहरण के तौर पर मैं भरतपुर का ही उदाहरण बताऊंगा । वहां पर जमीन का भाव बहुत तेज है क्योंकि जमीन कम है और लेनेवाले ज्यादा हैं इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर जमीन की कीमत बहुत होगी, और इतनी है कि २००, ३०० रुपया बीघा साधारण तौर पर दी जाती है और बीघा भी कच्चा बीघा जिसे कहना चाहिये, २।, २॥ बीघा का एक एकड़ बनता है । इस कच्चे बीघा का भाव भी २००, ३०० रुपया तक है । इतना ही नहीं हमारे सरकारी सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो भूमि बिजलीघर में ली गई है उस ८० बीघा जमीन के ६० हजार रुपये दिये यानि करीब ८००, ९०० रुपया बीघा जमीन पड़ी है । यदि इस प्रकार से जमीन का मुआवजा बाजार रेट से दिया जाय तो खैर, जिसके पास जायगा वह तो खुश होगा लेकिन जिसके पास से

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

जायगा उसके साथ घोर अन्याय होगा। वह देगा कहां से ? हो सकता है कि जहां १०, २० बीघा या २५ बीघा तक का मामला हो तो शायद ज्यादा नहीं है लेकिन जहां सो, दो सो या चार सो बीघा जमीन निकली तो ३०० रुपया बीघा या सात सो आठ सो रुपया बीघा के हिसाब से दिया जाय तो ये रुपये कहां तक पहुंचेंगे ? इसलिए कम से कम जो बाजार दर का प्रश्न है जो कि प्रवर समिति द्वारा उटाया गया है वह मौजूदा सूरत में अव्यव-हारिक और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। उसकी जगह यदि भूमि की मालगुजारी जैसी है उसका १५ या २० गुना जैसी भी उपयुक्त हो रखी जा सकती है। लेकिन वह भी सबके लिए एक सी हो इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। अभी बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है मैं उससे सहमत हूँ। वह रकम भी इस आधार पर चुकाई जाय कि थोड़ी भूमि जिनसे लेते हैं उनको ज्यादा रकम दो और जिनसे ज्यादा भूमि दिलाते हैं उनको अपेक्षाकृत कम दी जाय। एक माप-दण्ड निश्चित किया जा सकता है जिसमें २५ बीघा तक एक रेट रखी जाय और २५ से ५० तक ली जाती है तो कम रेट रखी जाय और ५० से ऊपर हो तो उससे भी कम रखी जाय। जैसा कि जागीरदारों और जमीदारों के लिए तरीका रखा है वही तरीका हम यहां भी बरत सकते हैं क्योंकि इससे सबके साथ न्याय होगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगर बड़ी बड़ी रकम यहां तय कर देंगे तो आखिर वह चुकाई कैसे जायगी, यह स्पष्ट नहीं है। यदि सरकार स्वयं अपने पास से देती है तो सरकार पर भी बहुत बड़ा दायित्व आकर पड़ता है। अभी कह नहीं सकते, यह बात स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की कितनी भूमि है। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से भी समस्या पैदा होती है। स्टेन्डर्ड एकड़ भी छोड़ी जाती है तो कहीं पर २००, ४०० बीघा हो सकती है और कहीं पर ५० बीघा हो सकती है और उसके बाद किससे कितनी भूमि ली जा सकती है यह फलाया जाकर मुआवजे की रकम फलाई जायगी तब मालूम होगा कि कितनी रकम बैठती है और उसको सरकार किस प्रकार से दे सकती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस रकम को एक साथ दिया जाय या नहीं ? कई मान-नीय सदस्यों ने आपत्ति की है कि वह रकम इस प्रकार नहीं दी जाय जिस प्रकार से बोंड के रूप में जागीरदारों और जमीदारों को दी गई है। वह रकम जैसे जैसे मुआवजा निश्चित हो एकमुश्त चुकाई जाय। वैसे देखने में यह सरल मालूम होती है और पाने-वाले के लिए भी सुविधा है लेकिन ऐसा करना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। इतनी बड़ी रकम को एक साथ देना, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार के लिये सम्भव प्रतीत नहीं होता। इसलिए ठीक यह होगा कि इस रकम को चुकाने में कुछ हिस्सा मुआवजे का एक मुश्त दिया जाना चाहिये और बाकी रकम बोन्ड्स के रूप में हो। यह जरूरी है कि यह सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह बोन्ड्स के भुगतान में लोगों को असुविधा न हो। कुछ महानुभावों की यह आपत्ति बिल्कुल ठीक है कि बोन्ड्स के भुगतान के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है और फिर भी नहीं मिलता उनको दिक्कत उठानी पड़ती है, काफी खर्चा और तकलीफ उठानी पड़ती है। यह सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि यदि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नियम में किसी प्रकार की अड़चन आती हो तो उसको दूर करें और बोन्ड्स का भुगतान ज्यादा से ज्यादा सरलता से हो सके, ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है।

कुछ महानुभावों की ओर से इस प्रकार की शंका भी उठाई गई, चाहे शंका उठानेवाले एक दो ही सज्जन हों कि क्या पता आगे सरकार बदल जाती है तो बोन्ड्स का क्या होगा ? यह शायद ऐसी बात कह दी जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। आज की सरकार चाहे किसी भी दल की है, बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, कितने ही दूसरी सरकारों से रुपयों की सहायता लेती है, और भी कई काम करती है। उसमें भय और आपत्ति नहीं उठती कि कल दूसरे दल की सरकार आती है तो क्या होगा ? बोन्ड्स ऐसी चीज है जिसका पालन सरकार चाहे कैसी हो, करती है इसलिए बोन्ड्स के लिये घबराने की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बोन्ड्स का भुगतान सुविधाजनक ढंग से होना चाहिये जिससे लोगों को असुविधा न हो।

एक यह सवाल उठता है कि यह जो भूमि अवाप्त की जायगी, इस पर बहुत कुछ कहा गया है, गरीब किसान हैं उनसे जमीन ली जाती है तो कई लोग मारे मारे फिरेंगे। मैं समझता हूँ वे किसान दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यह जो मुआवजा दिया जायगा वह दोनों ही प्रकार के किसानों को दिया जा सकता है। कुछ वास्तव में गरीब किसान हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन जिनके पास है, जो कि निश्चित सीमा निर्धारण है, इसके बाद २० एकड़, ३० एकड़ इतनी ही जमीन बचेगी। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े बड़े किसान भी हो सकते हैं। लेकिन न्याय यह चाहता है कि जहां तक उनको मिलनेवाली सुविधा का सम्बन्ध है उसमें कोई भी भिन्नता न की जाय, हर एक को एक प्रकार की सुविधा दी जाय। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मुआवजा कम या अधिक हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो बड़े किसान हैं, अच्छे खाते पीते किसान हैं, जिनके पास काफी भूमि रही है, चाहे वे जागीरदार या जमींदार की श्रेणी में न आये हों, उनको कोई विशेष असुविधा इस आधार पर नहीं हो सकती कि मुआवजे की रकम उनको कितनी मिलती है। जितने भी किसान की श्रेणी में आनेवाले लोग हैं, जिनसे भूमि ले ली जाय, उनका मुआवजा जरूर ज्यादा रखा जाय। जो बड़े बड़े किसान हैं, जिनसे ज्यादा जमीन आनेवाली है। उनको कम्पेन्सेशन कम दिया जा सकता है, यह विचारधारा मानने लायक है।

एक दूसरी चीज यह है कि जितनी भी देने लेने की प्रक्रिया है उसके लिए सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार जो उस सम्बन्ध के नियम हैं उनको जटिल न बनाये बल्कि वे इस प्रकार के नियम हों कि जिन किसानों से वह भूमि ली जाती है उनको जो मुआवजा देने का तरीका हो वह सर्वथा सरल हो, उसमें इस प्रकार की कोई दिक्कत न आये जिससे उनको यह कहने का मौका हो कि जमीन हमारी ली गई लेकिन उसका मुआवजा ठीक वक्त से नहीं दिया गया। तो मुआवजा दिया जाय, यह निश्चित है। मुआवजा दिया जाय तो इस तरह दिया जाय कि वह रकम मार्केट की दर की न होकर जो जमीन की रेट है उसकी कुछ गुना, १५

Page No.44



( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

गुना, २० गुना, जहां जैसी भूमि हो उस प्रकार रखी जाय। साथ ही साथ वह रकम एक साथ देना सम्भव नहीं होगा, इसलिए कुछ रकम एक साथ, कुछ आगे बोंड्स के रूप में दी जाय और अंत में उन बोन्ड्स का भुगतान का भी इस प्रकार का तरीका बनाया जाय कि उनको लेने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उसके अन्दर देने का विचार हो कि छोटे किसान से भूमि- अवाप्त की जाती है उनका मुआवजा अधिक हो और जो बड़े बड़े किसान हैं उनके मुआवजा की रकम कुछ कम की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार मुआवजा के प्रश्न को हल किया जाय तो जिन लोगों से भूमि ली जायगी उनके साथ भी पूर्ण न्याय होगा और साथ ही साथ जिन लोगों को भूमि दी जायगी अगर उनसे रकम ली जाती है तो उसका तरीका भी सरकार को सरल बनाना पड़ेगा क्योंकि अधिकांश वह भूमि लेनेवाले वे किसान होंगे जिनको हम भूमिहीन किसान कहते हैं। उनके पास इतनी रकम एक मुश्त देने के लिए नहीं होगी, इसलिए उनसे लेने का तरीका भी सरल होना चाहिए। इन शब्दों के साथ, जो संशोधन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : राव श्री नारायणसिंह।

**राव श्री नारायणसिंह** ( मसूदा ) : अध्यक्ष महोदय, धारा ३० जो पर दो दिन से विचार-विनिमय सदन में चला हुआ है और इसमें जो अहम विषय है। वह खास तौर से मुआवजे का विषय है। मुआवजे का प्रश्न जब जब उठता है और एक बड़ा भारी विचार भेद और विवाद शुरू हो जाता है और ऐसे समय में, यह कहने को मैं इजाजत चाहूँगा कि कभी कभी प्रगतिशीलता-वाद के अन्दर कुछ तथ्यों की तरफ से हमारी नजर घूम जाती है और हम कई तथ्यों को ठीक तौर से विचारने में कमी कर जाते हैं। आज मैं तो यह मानता हूँ कि मुआवजा न दिया जाय क्योंकि शोसलिस्टिक प्रकार की जहां व्यवस्था बनानी है और जहां हमें यह मूला-धार बनाना है कि सम्पत्ति, निजी सम्पति का विचार सारी सामूहिक आवश्यकता, सम्पत्ति और व्यवस्था है, उसके अन्दर डुबा दिया जाना चाहिए वहां वास्तव में मुआवजे का शब्द या मुआवजा कहना कुछ असंगत सा बन जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जहां एक प्रकार की समाज व्यवस्था करना चाहते हैं, जहां सारे समूह की जरूरत में वैयक्तिक जरूरत को डुबो देना चाहते हैं वहां उसको मुआवजा न देने का विचार करते हुए, उसको एम्प्लाय-मेंट पोटेन्शियल से इन्वेट करने की आवश्य-कता पड़ जाती है। यह देखने की आवश्य-कता पड़ जाती है कि सारी व्यवस्था उस प्रकार की हो कि एम्प्लोयमेंट पोटेन्शियल क्रियेट कर पायें और कितनी बेरोजगारी को हल करने में सफल हुए हैं। अगर हम उसके इन्वेशन के बराबर रोजगार पैदा कर पाये हैं और उनको दे सकते हैं, सारे व्यक्तियों को दे सकते हैं तो कह सकते हैं कि किसी निजी सम्पत्ति अथवा निजी चीज का मुआवजा न दिया जाय। लेकिन जब हम उस चीज में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाये, हमें मुआ-वजे की तरफ ख्याल करना पड़ेगा। आज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो राज-नैतिक व्यवस्था है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के मूलाधारों, कॉन्स्टिट्यूशन के विचारों में सन्निहित है और हमारी फाईव ईयर प्लान की जो पॉलसी बन रही है उनसे यह स्पष्ट

( राव श्री नारायणसिंह )

प्रदर्शित होता है कि हमारी एक मिक्स्ड इकॉनोमिक व्यवस्था है। उस प्रकार में कहूँगा कि एक मिक्स्ड पॉलिसी प्रयोग में लानी चाहिए। हम एक प्रकार के समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, जिसमें टोटेलीटेरियन तत्व कम आवें और प्रजातंत्रीय ढांचे से एक परसुएशन से इस तरह की पद्धति से हम हर एक व्यवस्था को मजबूती से चला पायें। आज यह हमें मानना पड़ेगा कि हमारा देश पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो प्लानिंग करना पड़ेगा, वह भी केवल हमें फंक्शनल प्लानिंग नहीं करना है, हमें स्ट्रैक्चरल चेंज लाना है, स्ट्रैक्चरल प्लानिंग करनी है। एक आमूल चूल परिवर्तन ढांचे में लाने जा रहे हैं और जहां आमूलचूल ढांचे का परिवर्तन करना चाहते हैं, हमें एक सामाजिक तत्व, जिसको हम परिवर्तित करना चाहते हैं उसको हमें एक प्रजातन्त्रीय ढंग से परिवर्तित करना होगा कि उस परिवर्तन के समय में वह कहीं ऐसी बीच की अवस्था में न रह जाय कि न इधर का और न उधर का। इसलिए मनोतात्विक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक आदि कई दृष्टियां से हम पुनः स्थापन की दृष्टि रखते हैं। इन मूलाधारों, मूल विचारों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ३१ बना था और उसमें मुआवजे का प्रावधान रहा। आज जब तक आर्टिकल ३१ है वह एक तरह से हमारे लिए एक मूल मंत्र हो जाता है। जहां भी हम समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं अथवा समाज के विशेष तत्व को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उस परिवर्तन के दौरान में हम उनको कहीं बीच की स्थिति में न छोड़ दें। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि एम्प्लोयमेंट पोटेन्शियल क्रियेट करनी है। वह जब आधार है तो हमें उसके बीच में पुनः स्थापित करने की इजाजत देनी होगी। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा सारा ढांचा एकतन्त्रवाद अथवा टोटेलीटेरियन कहा जा सकता है। हमारा ढांचा इस प्रकार का है जिसमें व्यक्ति का भी स्थान है, व्यक्ति का खुद का आगे बढ़ने का अधिकार रखा गया है और न केवल वह रोबर्ट की तरह, मशीन के पुर्जे की तरह टोटेलीटेरियन स्ट्रैक्चर में बंध गया बल्कि वह अलग अस्तित्व रखते हुए समूह के साथ चलने के प्रयास में है। ऐसी भूमिका में मुआवजे की तरफ एक रुखाई बरतना असामयिक हो सकता है और एक तोतानजरी भी कहला सकता है। आज हमने बिचोलियों को खत्म करते समय कई प्रकार के मध्यम वर्ग को अलग अलग प्रकार से मुआवजा दिया है।

१ म. प.

बम्बई में भी कई प्रकार के मध्यम वर्ग खत्म किये और कई प्रकार की व्यवस्थाएं रखीं। बम्बई के कानूनों में मध्यम वर्ग को खत्म करने के कानून बने, वहां लैंड एक्वीजिशन एक्ट के माफिक मुआवजा दिया। अलग अलग परिस्थितियां है, कुछ मध्यम-वर्ग उच्च स्थिति के थे, उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था बनाई। बड़ी बड़ी जागीरें थीं, उनके लिये मार्केट वेल्यू का यदि हम जांचाधार रखते तो ठीक नहीं रहता। यदि छोटे वर्ग का मध्यम वर्ग है, रेवेन्यू टेक्निकलिटीज़ में मध्यम वर्ग मान लिया, मैं उदाहरणार्थ अर्ज करना चाहता हूँ कि अजमेरम राज्य में ठेकेदारी और बिस्वेदारी खत

( राव श्री नारायणसिंह )

होने का बड़ा भारी असंतोष और प्रभाव पड़ा, उस असंतोष को जागीरदारी एबोलिशन से जो असंतोष हुआ वैसा। असंतोष नहीं मान सकते, यह पिजेन्ट्स प्रोप्राइटर्स का असंतोष है जनके पास कि दो दो चार-चार एकड़ जमीनें आती हैं। यह तो तवारिखी ऐसा चक्कर हुआ कि जिनको हम आज खेवटदार कहते हैं, उन कृषकों को एक विशेष प्रकार का स्वामित्व का अधिकार दिया इसलिए वे खेवटदार विस्वेदार बन गये पर केवल खेवटदार विस्वेदार नाम रख देने से तो वे बड़े नहीं माने जा सकते, यदि उनको नाम के तौर पर राजा महाराजा भी कह देते एक दो एकड़ के मालिक को तो इतना कह देने से वे राजा महाराजा या खेवटदार विस्वेदार नहीं हो जाते, उनकी स्थिति आज जो है वही रहती है। उस स्थिति में यदि हम विचार करें कि इस उन्मूलन कानून के अनुसार उनको मुआवजा मिलता है तो किसी की नैट इन्कम २५ रुपया आयेगी उसको कई सालों में फलाया जाकर गुणित करके मुआवजा मिलेगा, इससे क्या फर्क उनकी स्थिति में आता है। जहां सीलिंग को हम लागू कर रहे हैं तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, ३० एकड़ से ऊपर वाले कितने किसान होंगे, इससे ऊपर वाले कृषकों की इतनी अच्छी माली हालत नहीं हो सकती कि उनकी ३० एकड़ से ऊपर की भूमि उनके पास से लिये जाने के बाद वे किसी दूसरे वोकेशन में दूसरे किसी धन्धे में लग जायेंगे। १० मन गेहूँ जिसमें पैदा हो उसको एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना है तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ में ३०० मन गेहूँ पैदा होता है और उसकी कुल ३६०० रुपया आमदनी होती है, जिसमें प्रोडक्शन, सिंचाई वगैरह और लैंड रेवेन्यू का खर्चा आ जाता है। यह मैं मानता हूँ कि ३६०० रुपया आमदनी वाला काफी महफूज हालत में है फिर भी आज ३०० रुपया माहवार आमदनी बनती है, यदि केवल ३०० रुपये की आमदनी वाला है तो आज पे कमीशन और सब सिफारिश करते हैं वे ३०० रुपयों की आमदनी वालों तक महंगाई भत्ता देने का ख्याल करते हैं। तो आज की मंहगाई में ३०० रुपया की आमदनी वाला है वह महफूज हालत में नहीं माना जा सकता।

गंगानगर आदि इलाकों में लोगों ने मार्केट वेल्यू से जमीनें खरीदी हैं और उन्होंने उस जमीन की उन्नति की है, काफी खर्चा उस जमीन की तरक्की के लिये दिया है। तो हमें देखना है कि जो ३० एकड़ की बजाय ४० एकड़ खुद जोत रहा है और उसको और कोई आमदनी का जरिया नहीं है, केवल मात्र कृषि की आमदनी पर वह निर्भर करता है। उसके पास से १० एकड़ या ५ एकड़ जमीन लेते हैं तो हमें सोचना होगा कि उसको इसका कितना मुआवजा मिलेगा, तभी वह कृषि को अनुपात में रख सकेगा अपनी आमदनी को अनुपात में रख सकेगा, अन्यथा यह भी परिणाम हो सकता है कि वह खेती छोड़ कर भागेगा। अगर उसको इतना मुआवजा देंगे जो नगण्य होगा जिससे वह दूसरे तरीके से अपनी आमदनी की तरक्की की तरफ नहीं जा सकता, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। जो उसने अपनी भूमि में तरक्की की है, एक ही कलम में उसका सब कुछ खत्म हो

# Page No.47



(राव श्री नारायणसिंह)

जाता है।

बड़े-बड़े फार्म अमेरिका आदि में हैं, मैं उनकी सिफारिश नहीं करता। कोऑपरेटिव पद्धति को हमने अपनाया है उस पर हमें चलना पड़ेगा पर जो एक इकोनोमी का स्ट्रक्चर था, उसके स्थान पर दूसरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो हमें वह परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी कि वे लोग उसमें निभ सकें।

कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग्रामों में बनाने में आज कितनी दिक्कतें हमारे सामने पेश होती हैं। कोऑपरेटिव के लिये उनको तालीम, अनुभव हासिल कराना पड़ेगा, तभी कृषक इसकी ओर आवेंगे अन्यथा आज कोऑपरेटिव को कृषक समझता है कि यह भी शायद ऐसी गवर्नमेंट व्यवस्था है जिसमें हमारे सारे खेत छीन लिये जावेंगे, तो इस सारी भूमिका को संशुद्ध करना पड़ेगा। हम कोई टोटलिटेरियन तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीके से, परसुएशन के तरीके से बढ़ रहे हैं। तो हमें इस चीज को अंगीकार करना पड़ेगा और जिनसे छोटे जमीनों के टुकड़े लिए जावेंगे उनको राहत देने के लिए जायेंगे उनको राहत देने के लिए सोचना पड़ेगा।

आज कोई बड़ा तबका खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स का सवाल है, इस पर हमें सोच विचार कर अग्रसर होना पड़ेगा। रूस में भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ कदम उठाया गया था, हमने सुना है कि उन्होंने बलात् इस चीज को करना चाहा था तो कितने ही आन्दोलन वहां पर हुए। वहां पर एक तबके ने तो इतना ज़बरदस्त आन्दोलन किया कि वहां गोली भी चली और सैकड़ों हजारों की तादाद में खत्म भी हुए। स्टेलिन की एक नीति थी और ख़ुश्चेव की उसके बाद एक दूसरी नीति है वह भी धीरे धीरे कोआपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ा रहा है। इन्डिविज्युअल प्लाट्स जिनके पास नहीं हैं उनको थोड़ा बहुत साग सब्जी लगाने के लिये प्लाट्स दिये जा रहे हैं।

इन सब बातों को देखते हुए पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स पर अचानक एक दम ऐसा कड़ा आघात नहीं कर सकते कि जिससे उनका मानव जीवन ही एक दम छिन्न भिन्न हो जाय, हमारी एग्रो इकोनोमी एक दम अस्त व्यस्त हो जाय। वरना तीसरी पंच वर्षीय योजना में जिस कृषि उत्पादन के लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं, वहां हम नहीं पहुंच सकेंगे। हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी पूरे आंकड़े तो इस समय मेरे ध्यान में नहीं पर कई लाख टन से ओछे पड़ रहे हैं।

अन्न के लिहाज से हमें अपने देश को स्वावलम्बी बनाना है तो लैंड रिफोर्म्स की तरफ सोच विचार कर इस तरह से आगे बढ़ना है कि एग्रो इकोनोमी को आगे बढ़ा सकें। एग्रो इकोनोमी पर एक रिपोर्ट में यह दिया हुआ है : We should not apply the pincers into the body of the peasant whereby he may bleed and die. तो यह हमको खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज हम सीलिंग की तरफ आगे बढ़े हैं और हमें इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना चाहिये यह समय की मांग है और यह भी होना ही चाहिये। जब यह समय की मांग है तो यह भी होना चाहिये।

(राव श्री नारायणसिंह)

राजस्थान में चार लाख भूमिहीन लोग हैं उनको कहीं न कहीं जमाने की बात है। कल परसों ही एक माननीय सदस्य ने इस संबन्ध में आंकड़े बताये उनके कथनानुसार राजस्थान में जो भूमिहीन किसान हैं अथवा वे लोग जो एग्रीकल्चरल लेबर्र कहलाते हैं उनके आंकड़े कम आते हैं। हो सकता है कि उनका कहना सही हो और हमारे यहां भूमि ज्यादा हो तो इसके लिये हमें खुशी होनी चाहिये कि हमारी स्थिति जमीन के मामले में इतनी खराब नहीं है जितना की और देशों की है। माना की हमारे यहां जमीन है परन्तु जितनी भी जमीन है उसको हमें बांटना है और राजस्थान में सीलिंग आवेगा उसके द्वारा राजस्थान को कृषि में नई क्रान्ति पैदा करना है। यह मौका आ रहा है लेकिन हमें इसके साथ साथ यह बात भी याद रखने की है कि हम नये लोगों को बैठाने में कहीं ऐसा न कर बैठे कि पुरानों के विश्वास को ही खत्म कर दें। ऐसा न हो कि पुरानों का विश्वास ही हमारे में खत्म हो जावे और एग्रो इकोनोमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़े। यह तो हमने माना है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को ही बैस लिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास ३० एकड़ के बजाय ३५ या ४० या ५० एकड़ भूमि है जो कृषि के आधार पर धन्धा हुआ है, वे अपने अनुभवों से चलते आ रहे हैं और काम करते आ रहे हैं उनको अगर हटावेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखते हुए यह देखना है कि आज जो अलॉटमेंट है वे उस अलॉटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं ? अगर हम अमेरिका की तरफ और दूसरे देशों की तरफ वहां के लोगों के पास इन्डेविजुअल फार्म हैं उनको देखें तो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए नहीं देख सकते। हमारे यहां टीनेन्सी एक्ट है। उसके अनुसार किसी को पहले का अलॉटमेंट मानते हैं तो २४ या २५ गुना और रेन्टल वैल्यू का १५ गुणा का प्रावधान रखा गया। अगर इसी प्रकार का प्रावधान सीलिंग में आ जाता है तो एक एकड़ में १० मन गेहूँ के हिसाब से अगर गेहूं का भाव १५ रु० मन का लें तो १५.० रु० हुए। आज उसको इस हिसाब से १५.०) एक एकड़ पर मिलते हैं। अगर मूल पर लगावें तो काफी अन्तर होगा दूसरे दृष्टिकोण से करीब ३ हजार की मिल्कियत पड़ती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें यह नहीं कहना चाहिये कि आज हम इतने मलटीपल पर चलें कि लोग जिससे फायदा उठावें।

मैं मानता हूँ कि राजस्थान में सीलिंग देर से आया। अजमेर में हमारे बहुत पहले से सीलिंग था। इस दृष्टि से मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में कई ऐसे भूमिपति थे। मैंने सुना है उसके मुताबिक कहता हूँ कि कई हजार एकड़ भूमि उनके पास थी और जिनके पास हजार एकड़ भूमि होती है वह ७०० एकड़ अपने पास रखता है और ३०० एकड़ दूसरों के पास रहती है। तो यह ठीक है कि उन लोगों के पास जिनके पास बहुत अधिक भूमि है उन पर यह सीलिंग लगे। मगर यह कहां तक ठीक है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय ४० या ४५ या ५० एकड़ भूमि हो तो वह ज्यादा भूमि उससे छीन ली जाय........

**एक माननीय सदस्य** : जिन लोगों के पास ५५ और ६० एकड़ भूमि है उसके लिये क्या ?

Page No.49



श्री नारायणसिंह : ५० एकड़ नहीं ५५ और ६० एकड़ भूमि सही। उन भूमि-पतियों पर हमें पूरी तरह से विचार करना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि उनको किस तरह से मुआवजा दिया जावे और मार्केट वेल्यू का क्या असर पड़ता है। अगर मार्केट वेल्यू का साधारण हिसाब लिया जावे तो हमारे राज्य की थैलियों पर इसका असर पड़ता है। अब हमें यह देखना होगा कि मार्केट वेल्यू का हिसाब आप किस प्रकार लेते हैं। एक जगह मार्केट वेल्यू एक जमीन की कुछ है तो दूसरे स्थान पर उसी किस्म की जमीन की मार्केट वेल्यू कुछ और है। एक जगह पर जमीन की मांग ज्यादा है तो उस किस्म की जमीन की दूसरी जगह मांग नहीं है और है तो कम हो सकती है। इसलिये जहां पर मांग ज्यादा है वहां पर मार्केट वेल्यू ज्यादा होगी और जहां पर मांग कम होगी वहां पर मार्केट वेल्यू कम होगी। तो इस दृष्टिकोण से मार्केट वेल्यू का आधार लिया गया है तो सही तरीके से वह अच्छा और उचित नहीं पड़ता है। इसलिये हमें किसी प्रकार से इसको आधार लेना होगा। कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की है कि स्टेप सिस्टम के आधार पर रखा जावे। मैं तो यह कहूँगा कि अगर किसी के पास स्टेन्डर्ड भूमि से २५ एकड़ भूमि ज्यादा है तो उस पर हमें विचार करना होगा। अगर किसी के पास २५ एकड़ भूमि ज्यादा है तो उसको लेने के लिये के लिये ७५ प्रतिशत और २५ से ५० एकड़ तक जिसके पास ज्यादा जमीन हो उनको ६० प्रतिशत या ६५ प्रतिशत दी जाएगी और इसके लिये एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि इतनी जमीन की मार्केट वेल्यू २५ पर्सेन्ट या ५० पर्सेन्ट से अधिक कम नहीं की जावेगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जिन लोगों के पास अधिक जमीन है और जिन्होंने उस जमीन पर बराबर खाद आदि डाल कर उसको उन्नति के योग्य बनाया है उनके भावों में जो उत्पन्न होंगे, इतना अधिक खेद नहीं होगा और उनको कृषि के कार्यों से दिलचस्पी नहीं हटेगी और जो उपज वे लोग पैदा करते थे वही करते रहेंगे।

इन सारी बातों को स्पष्ट करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको उन्हें किसी प्रकार से सामाजिक न्याय देना है तो आप उनको अवश्य दें। लेकिन हमारा फर्ज यह नहीं कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे तो हम जमीन ले लें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको बहुत देर से जमीन न दी जावे। सामाजिक न्याय तो यह है कि जिन लोगों से हम जमीन लेते हैं। उन लोगों के लिये इतनी जमीन छोड़ें जिससे वे अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सकें या उनके पास कोई और आल्टरनेट रोजी का छोड़ें तब सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय में किसी से छीना झपटी करके जमीन लेने का सवाल नहीं है। हमने एक सिद्धान्त को माना है और यह है कि जिन लोगों के पास जमीन रहनी चाहिये जो हल से जोतते हैं और जितनी जोत सकते हैं उतनी जमीन रहनी चाहिये। और वह हल से ४० या ५० एकड़ जमीन जोतता है तो उसके पास ४० या ५० एकड़ जमीन रहनी चाहिये। इसके अलावा हमें यह सोचना होगा कि मध्यस्थवर्ग कहां पर खतम होता है। आज लैंड रेवेन्यू से आपको पता लगेगा कि मध्यस्थवर्ग में टे।

(श्री नारायणसिंह)

एकड़ जमीन का टैकनिकल मध्यस्थवर्ग है खेवट और खातेदारी। जब ऐतिहासिक परिवर्तन आया उनको सेटल करने के लिये खेवट कहा। जिस समय ब्रिटिश आया। चाहे उनको महाराजा कह दो। मगर मैं यह कहूँगा कि वह महाराजा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर हम केवल किसी एक अन्ध विचार, अन्ध विश्वास से किसी एक सद्धांत को लेकर ही आगे बढे तो अवश्य कहीं न कहीं अन्याय का रुख उसमें होता है। इसलिये हमें इस प्रकार के अन्ध विश्वास और अन्ध विचारों से काफी चौकस रहना होगा। आज तक हमने जो कुछ भी लैंड रेवेन्यू लिया है जिस तरह से आज तक चले हैं। मगर आगे जिस तरह चल रहे है उसमें हमें यह नहीं भूलना होगा कि हम पीजेन्ट प्रोपराइटर्स के सिद्धान्तों की तरफ चल रहे हैं। हम इस बात को याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर हम पीजेन्ट पर इतना दबाव डाल देते है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह परास्त हो जावेगा। वह अपना धन्धा छोड़ देगा। इन चीजों को हमें याद रखते हुए मुआवजा देना होगा। पीजेन्ट प्रोपराइटर्सशिप को समाप्त करने के सिद्धान्त से मुआवजा देना ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमने उनके रोजगार के लिये क्या प्रबन्ध किया है। हमने विलेज इकोनोमी को जिस प्रकार से बढाना चाहिये बढाया है या नहीं। अलग अलग वोकेशन में पहुंचे हैं या नहीं। जो विलेज इकोनोमी में ब्रिटिश राज्य में परिवर्तन हुआ जो खत्म हो गया था वह पुनः जाग्रत हुआ। आज हमें देखना होगा कि हम विलेज इकोनोमी को किस प्रकार से पनपा सकते हैं। हम सब को खेती पर कायम कर क्या उसकी इकोनोमी को जिन्दा कर सकेंगे? हमारे सामने, अध्यक्ष महोदय, उदाहरण मौजूद है। अमेरिका में सौ वर्ष पूर्व ७५ प्रतिशत एग्रीकल्चरिस्ट थे, आज वहां ३० प्रतिशत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आल्टरनेटिव एम्प्लोयमेंट उनके पास हो गये। वहां पर इतने उद्योग बढ़ गये हैं कि जहां वे हो सके। यदि छोटे छोटे होल्डिंग्स हैं, उसी पर अटके हुए हैं, वोकेशन इन्डस्ट्रीज नहीं पनपी हैं तो इन्डस्ट्रियेलाइजेशन का ढांचा नहीं बैठता है। इसलिए हमको इसके मौलिक तत्व को देखना पड़ेगा होल्डिंग्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उन सारी बातों को देखते हुए हमें इन सिद्धांतों को बैठाना पड़ेगा। तो इसके जरिये यहां यही सिफारिश मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां छोटे एग्रीकल्चरिस्ट्स को मुआवजा देने का प्रश्न आता है वहां सैद्धान्तिक हवा में न बह जाय, कोई तोतानजर न बरते। चाहे आप लैंड एक्वीजिशन एक्ट के मुताबिक न दे लेकिन आपको ऐसा सिद्धान्त बनाना पड़ेगा जिससे मार्केट वेल्यू के एक अनुपात से घटाते बढाते हुए उस तारतम्य से जो मुआवजा होता है उससे २० गुना दें। सारी दृष्टि जो सीलिंग को है वह सही रुख से असर पैदा करेगी और एग्रो इकॉनोमी पर भी उसका कम असर आयगा। इन बातों के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि इन मुद्दों पर बिना किसी भावावेश में आये हमको कदम बढ़ाना चाहिये और ६०.७५ प्रतिशत घटाते हुए २० गुना देना है या क्या देना है यह तय करना चाहिये।

एक जिक्र हुआ है बोन्ड्स का। बोन्ड्स देने हैं। लेकिन बोन्ड्स के लिए यह मूलाधार रखना चाहिये कि जहां अधिक भूमि ली जा

(राव श्री नारायणसिंह)

रही है और एक बड़ा पीजेन्ट प्रोप्राइटर है उसको बोन्ड दे दे लेकिन जो बहुत छोटे २ कृषक हैं जिनको इतनी शिक्षा न होती, जानकारियां नहीं होती, उनको किसी कॉम्प्लीकेटेड लॉज के चक्कर में पटक देंगे तो वे इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। हम उनको मुआवजा के सिस्टम से सालाना दे सकते हैं। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए ३० जी को पास करना चाहिये।

**श्री शंकरलाल** (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार जमीन के लिए सीलिंग तय किया, उसी प्रकार मुआवजा जो जमीन उनसे लेने वाले हैं। उसका किस प्रकार तय किया जाय, किस प्रकार अदा किया जाय और यह मुआवजा कौन देगा ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हैं और इन प्रश्नों का जवाब देने के पश्चात् ही सीलिंग फिक्स करने का ध्येय पूरा होता है क्योंकि हमने समस्या का एक दृष्टिकोण देखा है कि इतना सीलिंग होना चाहिये लेकिन सीलिंग के बाद मुआवजा क्या दिया जावेगा यह प्रश्न भी इसके साथ साथ हल हो तब ही समझ सकेंगे कि वास्तव में सीलिंग का क्या आधार लिया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे काश्त की जमीन लेने के अलग अलग प्रावधान राजस्थान में बने हैं और जैसी कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट रही है कि मार्केट वेल्यू के आधार पर है, राजस्थान लैंड एक्वीजिशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए और मार्केट वेल्यू को ध्यान में रखते हुए मुआवजा तय किया जाय। इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट बना, जागीरदारों को मुआवजा दिया गया, बिस्वेदारी एक्ट बनाया जिसमें लगान के अनुसार मुआवजा देने का तय किया। टिनेन्सी एक्ट में जब सब टिनेन्ट को एक खातेदारी हक प्राप्त होता है तो कितना मुआवजा देना चाहिये वह टिनेन्सी एक्ट में दर्ज है। न तो राजस्थान लैंड एक्वीजिशन एक्ट, न जागीर रिजम्प्शन एक्ट, न बिस्वेदारी एक्ट और न टिनेन्सी एक्ट में जो प्रावधान हैं, उसमें दिये दृष्टिकोण को ही इस समस्या को तय करने के लिए काम में लाये जा सकेंगे। यह एक अलग प्रकार की समस्या है। जब मार्केट वेल्यू के हिसाब से मुआवजा तय किया जाय तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस आदमी ने गवर्नमेंट से जमीन प्राप्त की है और प्राप्त करने के बाद उसको मार्केट वेल्यू से पैसा दिया जाता है और एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी से पर्चेज़ की है, जैसा कि कहा जाता है कि गंगानगर वाले किसानों ने अपने पैसे से जमीन का मलवा खरीदा इसलिए उनको ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। यदि जमीन डाइरेक्ट गवर्नमेंट से ली जाती है। तो गवर्नमेंट खातेदारी हक देती है या अलॉट करती है तो मार्केट वेल्यू से अलॉट नहीं की गई थी। तो जो जमीन किसान को प्राप्त हुई है उस वक्त जो स्थिति थी, उसने गवर्नमेंट से डाइरेक्ट प्राप्त की है या जागीरदार से प्राप्त की है या किसी किसान से खरीदी है, हमको इन तीनों ही बातो को ध्यान में रखना पड़ेगा। जागीरदार से खरीदी है तो ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा होगा। गवर्नमेंट से अलॉट कराई है। तो इतना पैसा नहीं देना पड़ा होगा और यदि किसी प्राइवेट पार्टी से खरीदी है तो ज्यादा पैसा देना पड़ा होगा। इन सब के लिए यदि अलग अलग कानून बनाये तो दिक्कत आवेगी। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से स्टेन्डर्ड एकड़ का प्रावधान

(श्री शंकरलाल)

इसमें रखा है उसी प्रकार से इसके लिए भी ऐसा ही कोई प्रावधान रख दिया जाय जिससे वे तीनों प्रकार की समस्या सुलझ सके। मैं समझता हूँ कि इसका यह आधार हो सकता है कि काश्तकार को जिस समय जमीन प्राप्त हुई हो उस समय उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी और इम्प्रूवमेंट पर क्या खर्चा करना पड़ा ? ये दो ही मुआवजा तय करने के समान और न्यायपूर्ण आधार हो सकते हैं। सीलिंग से ऊपर जिस जमीन को हम लेने जा रहे हैं। उसके लिए इस बात को ध्यान में रखा जावे कि यह जमीन किस रूप में आयी, किस समय जमीन आयी और उसके लिए काश्तकार को क्या कीमत चुकानी पड़ी। और सरकार से ली और कुछ देना नहीं पड़ा केवल रेन्ट सरकार को अदा करता है और उसने उस जमीन की मालिकाना, ओनरशिप गवर्नमेंट प्राप्त की है गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया है, अथवा जागीरदार को या प्राइवेट पार्टी को उसने कितना दिया है। तो इन चीजों को मुआवजा देते समय मद्देनजर रखना पड़ेगा और दूसरी यह चीज़ मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि उस जमीन का पैसा देने के बाद कितना उस जमीन पर इम्प्रूवमेंट किया है। ये दो ही आधार ऐसे हो सकते हैं जिससे मुआवजे के प्रश्न को लेकर सीलिंग के लिए समान न्याय दे सकते हैं। इसके अलावा, मैं समझता हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है जिससे कि इसको इक्वीलाइजेशन कर सकें। न तो मार्केट वेल्यू की बात बैठ सकती है, जैसा कि निवेदन किया था और न ही रेन्ट की बात। बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि रेन्ट पर मुआवजा तय किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो तय किया उसके बाद उसने इम्प्रूवमेंट किया होगा और उस पर उसको खर्चा लगा होगा। जिस समय उसने जमीन प्राप्त की उस समय उसका कितना खर्चा लगा होगा। समान न्याय तो यही हो सकता है कि जब यह ध्यान में रखा जाय कि जिस समय काश्तकार को जमीन मिली है, गवर्नमेंट से, जागीरदार से या प्राइवेट पार्टी से, उस समय उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। जब से जमीन उसके पास आयी है तब से उसने उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया है और कितना उस पर खर्चा किया है। दो ही चीजें ऐसी हो सकती हैं। जिससे किसी किसान को, जिससे कि सीलिंग लगाने के बाद बची हुई जमीन लेने जा रहे हैं, किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी और इसमें यह तब ही होगा कि ये दोनों ही आधार समान रखेंगे।

जब कि ये दोनों आधार अपने सामने रखेंगे वैसी हालत में किसी केसेज में ज्यादा किसी में कम इस प्रकार का सवाल ही नहीं रहेगा। अगर मार्केट वेल्यू ली जाती है वहां जमीन की एक कीमत भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती हैं। वैसी हालत में जिसके कम कीमत जाती है तो वह यह कहेगा कि मुझे तो इस जमीन की कीमत अधिक चुकानी पड़ी थी, वैसी हालत में हम मार्केट वेल्यू रखकर न्याय नहीं कर सकते। हमें यह देखना होगा कि जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करते समय क्या मूल्य उस जमीन का चुकाना पड़ा और उसके बाद में उसके इम्प्रूवमेंट आदि में क्या खर्च करना पड़ा, ये दोनों चीजें न्याय में रखकर मुआवजा दिया जाय तो वह न्याय संगत हो सकता है।

अब प्रश्न यह आता है कि मुआवजा कौन दे। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके

(श्री शंकरलाल)

लिये यह कहा कि जिसको जमीन दी जाय सीलिंग के लागू करने के बाद में उस व्यक्ति से मुआवज़ा गवर्नमेंट लेकर के उस व्यक्ति को दे जिसकी जमीन ली गई है। अगर यह आधार रखा जाता है तो हमारा जो सीलिंग का मकसद है कि हम सीलिंग से अधिक भूमि जिसके पास है उससे लेकर लैंड लैस को देंगे, गरीब काश्तकार हैं उसको देंगे तो हमारा मकसद हल नहीं होगा।

१. ३१ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदा सीन)

वैसी हालत में होगा क्या कि जो काश्तकार मुआवजा नहीं देने लायक होगा उसको जमीन आप देंगे नहीं, वैसी हालत में वह जमीन से महरूम हो जायेगा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : This is not the clause under discussion. This is a separate clause altogether. I think the Hon'ble Member is going beyond the scope of the present clause. The only question here is what should be the compensation and what should be the basis of compensation. I have not been able to understand what he is driving at. Does he mean that market price should be paid or what ?

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूँ कि इस धारा पर वाद-विवाद करते हुए किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मुआवजा किसानों से लेकर दिया जाय, इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रख रहा हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर किसी माननीय सदस्य ने पहले कुछ बतलाया और वह within the scope of amendment नहीं है तो उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह स्कोप के अन्दर ही है। यह मुआवज़ा किस प्रकार दिया जाय, बोन्ड्स के रूप में दिया जाय या नकदी के रूप में। इस संबंध में मैंने सीधे सादे तरीके की बात कही है। मेरा यह निवेदन है कि मुआवजा गवर्नमेन्ट को चुकाना चाहिये। यह गवर्नमेन्ट देखे कि जिस लैंडलैस टिनेन्ट को जमीन दी जा रही है उसकी स्थिति क्या है, यह तो सरकार के देखने की बात है।

इसके अलावा मार्केट वेल्यू का प्रश्न था उस संबंध में मेरी स्पष्ट राय यह है कि यह सुझाव कतई ठीक नहीं है। मार्केट वेल्यू का आधार तो कतई न रखा जाय।

अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मुआवजा किस प्रकार से दिया जाय और कौन दे। मेरा उस संबंध में स्पष्ट निवेदन है कि मुआवजा किसानों से न लेकर गवर्नमेन्ट को अदा करना चाहिये। इस संबंध में यह कहा गया कि बैंक खोल कर किसानों को कर्ज़ा देकर वह मुआवज़ा वसूल करना चाहिये। इस विचार से भी मैं असहमति प्रगट करता हूं। अब वह मुआवज़ा बोन्ड के रूप में दिया जाय या नकदी के रूप में दिया जाय, इस संबन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे की जितनी रकम तय होती है उसको हमें निर्धारित करना पड़ेगा। वह मुआवजे की रकम यदि ज़्यादा है तो, वह एक साथ एक मुश्त में चुकायी नहीं जा सकती उसके

Page No.54



(श्री शंकरलाल)

लिये किश्तें करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिनके मुआवजे की रकम कम है उनको कैश में दे देना चाहिये, यह मेरी राय है। यह अच्छा नहीं होगा कि मामूली सी रकम के लिये एक काश्तकार को, जिसकी ज़मीन हम लेते हैं, उसकी मामूली रकम को पेमेन्ट नहीं करें—बाद में बोन्ड्स द्वारा दें यह उचित नहीं है। यह हमारा कटु अनुभव है कि जिन छोटे छोटे जागीरदारों की हमने ज़मीन ली हैं उनके मुआवजे के बोन्ड्स अभी तक राजस्व विभाग से मन्जूर नहीं हुए हैं, उनको पैसा अभी तक नहीं मिला और जहां बड़ी बड़ी जागीरों का सवाल है, उनको हजारों रुपया अन्तर्कालीन मुआवजे के रूप में कैश में दिया गया है। यही स्थिति सीलिंग के बाद में पैदा न हो जाय, यह खयाल हमें रखना है। ऐसी अगर स्थिति होती है तो जिन आदमियों की हम ज़मीन लेंगे, जिनकी मुआवजे की मामूली सी रकम होती है उनके लिये बोन्ड्स देते हैं तो यह उनके प्रति अन्याय होगा। यह किस प्रकार का न्याय है कि जिनको बड़ी बड़ी रकमें देनी हैं उनको बिना मुआवज़ा तय किये अन्तर्कालीन मुआवजे के नाम से बड़ी बड़ी रकमें दे दी जाती हैं और जिनके मुआवजे की मामूली रकमें हैं उनको कैश के रूप में न देकर यदि वे बोन्ड्स के रूप में देते हैं तो यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ, उन लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए यह आधार हमें रखना चाहिये कि जिनके मुआवजे की रकम छोटी है उनको तो कैश के रूप में दें और जिनकी ज्यादा रकमें हैं उनको बोन्ड्स के रूप में दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक माननीय सदस्य ने यह भी फर्माया कि जब हम किसी किसान से सीलिंग से अधिक जमीन है वह उससे लेते हैं तो हमें उसके लिविंग स्टेन्डर्ड को भी ध्यान में रखना होगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि उस अधिक जमीन को लेने के बाद उसकी फेमिली का जीवन स्तर उसके मुताबिक रहता है या नहीं। मैं समझता हूँ यह प्रश्न बिलकुल अप्रासंगिक है। सीलिंग इसी हिसाब से किया गया है-एक फेमिली के पास अपने गुजारे के लिए अपने जीवन निर्वाह के लिए कितनी जमीन रहनी चाहिए।

मेरा मुआवजे के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मुआवजे का केवल एक आधार हो सकता—है जिससे सब लोगों को न्याय मिले वही आधार होना चाहिए। जिस समय जिस व्यक्ति से या सरकार से जमीन ली गई उस समय उस जमीन की क्या कीमत ली गई—यह आधार सही आधार हो सकता है। बहुत से आदमियों ने जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी—उन्होंने बड़े बड़े फार्म कायम कर लिए। लोगों को एक तो जागीरें खत्म करने के नाम पर मुआवजा मिल गया। दूसरा अब जो बड़े बड़े फार्म्स उन्होंने बना लिए उनसे अधिक जमीन लेंगे उसका मुआवजा देना पड़ेगा। इस प्रकार से वे लोग तो जमीन का दो दो दफ़ा मुआवजा ले लेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति ने किसी दूसरे आदमी से जमीन खरीदी है उसको मार्केट वेल्यू से रुपया चुकाया जायगा तो यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरह से उन लोगों में जिन लोगों ने जागीरदारों से जमीन ली है या जिन्होंने प्राइवेट पार्टीज से या सरकार से जमीन ली है उनमें कम्पेन्सेशन देने में बड़ी असमानता होगी। यह कोई आधार नहीं हो सकता, दोनों में समान रूप से मुआवजा दिया जाय। हमें

(श्री शंकरलाल)

इस मुआवजे के बारे में सब से पहले यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस व्यक्ति से उसने जमीन ली है उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी चाहे वह गवर्नमेंट से ली हो, चाहे जागीरदार से ली हो या प्राइवेट पार्टी से ली हो। यही आधार यदि कम्पेन्सेशन का रखा गया तो मैं समझता हूँ किसानों की यह समस्या सुगमता से हल हो सकेगी, यही मेरा निवेदन है।

**श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो संशोधन हैं जो ३० ई० पर हैं। एक तो सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और दूसरा संशोधन बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। जहां मैं सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूँ वहां बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ।

हमारे सामने तीन समस्यायें उपस्थित हुई हैं। जहां तक सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का संबंध है, इन तीनों समस्याओं के अन्तर्गत एक तो यह है कि हम जो मुआवजा दें जिन काश्तकारों की भूमि की सीमाबन्दी के बाद-जिनके पास अधिक भूमि है उनसे भूमि लेकर के उस भूमि का मुआवजा दें-और वह लगान का बीस गुना दें, यह एक समस्या है।

दूसरी समस्या यह है, जैसा कि इस विधेयक में दे रखा है बाजार भाव के अनुसार मुआवजा दिया जाय।

तीसरा विचार यह आया-यह मुआवजा स्लेब सिस्टम के आधार पर चुकाया जाय। मैं इस प्रश्न पर आऊं इससे पहले मुआवजा किस प्रकार चुकाया जाय, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि हम मुआवजा केवल अभी ही दे रहे हैं यह बात नहीं है बल्कि ऐसे कई प्रसंग आ चुके हैं जिनमें हमने मुआवजा चुकाया है। जिस समय राजाशाही को समाप्त किया उस समय हमें उनको प्रीवी पर्स के रूप में मुआवजा देना पड़ा उसके बाद जब जागीरदारियां समाप्त की गई उन जागीरों के बदले मुआवजा दिया गया और जागीरदारियां जो हमने अभी अभी अबोलिश की हैं उनका भी मुआवजा दे रहे हैं। इसके बाद भी जहां कहीं नहर आयी हैं वहां सैकड़ों एकड़ जमीन हम किसानों की ले रहे हैं वहां भी मुआवजा दिया जा रहा है। तो हमारे सामने अब यह प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि मुआवजा चुकाने का तरीका क्या हो। हमने हरएक जगह अलग अलग तरीका स्वीकार किया है। हरएक पीछे यही भावना रही है हमें मुआवजा उचित तरीके से देना चाहिए। केवल किसी को सन्तुष्ट भर करना ही ऐसी बात कहीं नहीं रही है। राजाओं को जो प्रीवी पर्स के रूप में दिया गया वह उनके लिए काफी है। जागीरदारों को जो मुआवजा दिया गया वहां जो स्लेब सिस्टम अपनाया गया उस पर भी किसी को कुछ कहने को आपत्ति नहीं आयी और जो कुछ लोगों को आपत्ति भी थी। तो नेहरू अवार्ड के बाद उनका भी सन्तुष्टीकरण हो गया। उसके बाद जिस जिस एरिया में नहर खुद रही है वहां पर जो जमीन लैंड एक्वीजिशन एक्ट की तहत ले रहे हैं उसका भी मुआवजा दिया जा रहा है। और वह

Page No.56



(श्री दयाकृष्ण विजय)

मुआवजा इतना है और इस दृष्टि से दिया जा रहा है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में उनको कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है उसके बारे में भी किसी काश्तकार की कोई शिकायत नहीं है कि जो कुछ जमीन इस कार्य के लिए ली गई उसका पैसा नहीं मिला।

अब प्रश्न आता है राजस्थान के अन्दर जो सीलिंग कायम होगी उस पर हमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से विचार करना है उस पर आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से भी विचार करना है कहीं बगावत पैदा न हो इसका भी ख्याल रखना है। हमारे पास लैंड-लैस टिनेन्ट्स की संख्या चार लाख है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस बारे में कहा है कि सीलिंग का असर केवल जीरो पोइन्ट फाइव पर्सेन्ट पर होगा। कुछ लोगों ने कहा था कि लाखों लोगों पर इसका असर होगा लेकिन जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा इसका असर ०५ पर होगा। जब हम देखते है कि सीलिंग का कानून सन् ५३ से लोगों के मस्तिष्क में घूम रहा है। सन् ५७ में इसकी एक शेप हमारे सामने आयी थी उसके बाद मुस्तकिल तौर पर यह हमारे सामने ५८ में आया। प्रश्न यह है कि सन् ५३ से लोगों के दिमाग में यह था कि सीलिंग हमारे यहां कायम होने जा रहा है। लेकिन जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन थी और जो चतुर लोग थे उन्होंने एक्सेपशन्स के अन्तर्गत उस जमीन को उपयोग में ले ली है। समझदार जो लोग थे भिन्न भिन्न एक्सेपशन्सके अन्तर्गत उन्होंने अपनी अधिक जमीन को ले लिया है। जब कि जीरो पोइन्ट फाइव पर इसका असर होगा उसमें वे लोग आते हैं जो वास्तव में काश्तकार हैं सही मायने में। जिन लोगों के पास न शिक्षा है और न कोई दूसरा साधन ही जिससे वे अपनी भूमि को एक्सेपशन्स के अन्तर्गत ला सकें। कई लोगों ने ट्रेक्टर आदि खरीदकर और कई सरपंचों ने अपने अधिकारों कादुरुपयोग करके कम्पेक्ट ब्लॉक के रूप में, केटल ब्रीडिंग फार्म के रूप में बड़ी बड़ी जमीनों को अपने अधिकार में ले लिया है और इस तरह से कुछ लोगों ने उन जमीनों का बंटवारा कर लिया। किन्तु जिन काश्तकारों के पास थोड़ी जमीन है और वह ली जायगी उनको सही रूप में कम्पेन्सेशन करने की आवश्यकता है। एक्सेपशन्स जो आपने रखे हैं वे तो स्वीकार होंगे ही क्योंकि आपका बहुमत है इसके बावजूद उन काश्तकारों को जिनके पास बहुत कम जमीन है और उसको हम लेते हैं तो हमें कम्पेन्सेशन उस रूप में उनको देना चाहिये ताकि जो भी कम्पेन्सेशन के रूप में उनको मिले वे थोड़ी जमीन जो सीलिंग के बाद उसके पास रह जाती है उसमें इम्प्रूवमेन्ट कर सकें उसमें सुधार कर सके। सीलिंग के बाद जो जमीन रह जाती है उसमें अधिक से अधिक पैदावार कर सकें उसके लिए हम कुछ दें यह बड़ी आवश्यकता है। हमारा सीलिंग करने बाद जो मुआवजा देने का दृष्टिकोण रहता है वह संकुचित नहीं होना चाहिये, जैसा कि पी० एस०पी०के माननीय सदस्य ने कहा मुआवजा बिल्कुल नहीं देना चाहिये क्योंकि उस जमीन का उपभोग वे करते आये हैं और उसका काफी समय तक उपयोग कर लिया। दूसरा विचार है कि उनको कम्पेन्सेशन बाजार भाव से देना चाहिये। अगर हम इस मुआवजे की रकम के बारे में गम्भीरता से विचार करते है

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि सीलिंग से ज़्यादा जिनके पास जमीन है वह तो उनको सरेन्डर करनी पड़ेगी उस सरेन्डर की हुई जमीन का मुआवज़ा उनको उचित रूप में और जल्दी मिल जाय यह हमें ध्यान में रखना होगा। सरकार जब कम्पेन्सेशन दे रही है तो वैसी हालत में यह कहना कि ज्यादा कम्पेन्सेशन दिया जायगा तो हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी पैदा होगी। मेरा उन माननीय सदस्य से निवेदन है कि आज तक जितने भी प्लानिंग के अन्तर्गत वर्क हुए हैं उसमें कितना मिस एप्रोप्रियेशन हुआ है। कितने धन का दुरुपयोग हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। फिर जब ऐसे लोगों को मुआवजा देने का सवाल आता है जिसका असर किसानों पर पड़ता है जिनकी आजीविका के साधन हम कम करने जा रहे हैं वैसी हालत में प्लानिंग की आड़ लेकर कहना कि उनको पैसा दे दिया गया तो हमारी प्लानिंग फेल हो जायगी। मैं समझता हूँ यह कहना कतई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। आज आपके प्लानिंग में जितना रुपया खर्च हो रहा उसके जो अपेक्षित रिज़ल्टस थे वे भी नहीं आ रहे हैं फिर वैसी हालत में प्लानिंग की दुहाई दी जाय और कहा जाय कि इसलिये लगान का बीस गुना मुआवजा दिया जाय यह दलील कोई वजनदार मालूम नहीं होती। जब जागीरदारों को मुआवजा देने का सवाल आया उस समय भी भिन्न भिन्न विचारधाराएं थीं। जनसंघ के सदस्यों ने उस समय भी कहा था जागीरदारियां बिना मुआवजा दिये ही खत्म की जानी चाहिये। उसी प्रकार सीलिंग के लागू होने के बाद आखिर काश्तकार के पास क्या रह जाता है तीस एकड़ जहां जमीन देते हैं वहां हमें यह भी खयाल रखना चाहिये जहां उनके पास सीमित मात्रा में जमीन रह जायगी वहां हम उसके इम्प्रूवमेन्ट के लिए साधन उपलब्ध करें यह हमारा कर्तव्य होना चाहिये ताकि जो सीमित मात्रा में जमीन उनके पास रही है उस पर वह अपने कुटुम्ब का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। इसके लिए स्लेब सिस्टम की भी बात कही जाती है अगर हम इस प्रकार का प्रावधान कर देते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि नहरों के लिए जमीन हम ले रहे हैं, उसका जो मुआवजा दे रहे हैं वह रेन्टल वेल्यू के अस्सी टाइम है यह मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। यहां यदि यह आधार रखते हैं तो यहां पर ऐसा है कि जमीन की रेन्टल वेल्यू यहां पर एक आने से लेकर ४० रुपया प्रति बीघा तक है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जमीन है जहां रेन्ट एक आना एक बीघा पर देना पड़ता है इसलिये रेन्ट के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया जाय यह उचित नहीं ठहरता। क्योंकि यहां लगान की बहुत विषमता है एक आने से लेकर चालीस रुपया प्रति बीघा तक लगान की दर है इसलिए मुआवजे का आधार लगान कभी भी नहीं बन सकता। यह रखते हैं तो कुछ लोगों के पास जहां के भाव रेन्ट्स ज्यादा हैं उनको तो ज्यादा कम्पेन्सेशन मिल जायगा और जहां कम है वहां बहुत ही कम मिलेगा। इस दृष्टि से लगान को मुआवजे का आधार नहीं बना सकते। अब हमें यह सोचना है कि आखिर आधार क्या होना चाहिये सीलिंग अगर हम काश्तकारों को छः महीने का अवसर देते और उनसे कहते कि आपके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह लैंडलैस टिनेन्टस को कोस्ट के आधार पर बेच देते इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार का प्रोविजन कर देते तो यह मुआवजा देने की बात ही नहीं पैदा होती और जिनके पास जमीन ज्यादा है वह उन लोगों को भी मिल जाती जिनके पास जमीन नहीं है वे उनसे ले लेते। तो काश्तकारों को जो दे रहे हैं यदि वह सस्ती देते हैं जैसी वहां की परिस्थिति है, तो उसको दुःख नहीं था। वह सोचता कि चलो बाजार भाव के तो पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इस सुझाव की ओर ध्यान नहीं दिया गया और काश्तकारों को इस बात का मौका नहीं दिया गया कि वह अपनी जमीन को किसी प्रकार डिस्पोज ऑफ कर सके। आप सम्भवतः इस बात की शंका करते थे कि उस जमीन को शायद ऐसे लोग खरीद लेंगे जो कि खुदकाश्त नहीं करते हैं। पर जब हम सीलिंग कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि अमुक एरिया से ज्यादा जमीन कोई नहीं रखेगा तो यह निश्चित हो जाता है कि थोड़ी सी जमीन जो कि सीलिंग एरिया से कम है उस पर वह ज्यादा से ज्यादा पैदावार करे ताकि अपनी जीविका अच्छी तरह से चला सके। तो यहां पर इसके लिये बहुत आवश्यक था कि हम काश्तकारों को जिनके पास थोड़ी ज्यादा जमीन थी, उनको जमीन बेचने का अवसर प्रदान करते। यह अवसर देते कि वह जमीन को डिस्पोज ऑफ कर दे तो यहां यह प्रश्न खड़ा नहीं होता। यह प्रश्न खड़ा होता है यदि रेण्ट का २० टाइम्स दिया जाये। तो मैंने जैसा निवेदन किया कि रेण्ट हमा यहां राजस्थान में अलग-अलग भाग में अलग-अलग है और इसको हम आधार नहीं बना सकते। इसलिए जो संशोधन माननीय भटनागर साहब ने रखा कि रेण्ट का २० टाइम्स कम्पेन्सेशन हो तो वह तो फिर अपने आप ही गिर जाता है और उसमें कोई बल नहीं रह जाता है कि जिस समय राजस्थान के अन्दर एक आने से लेकर ४० रुपये तक का रेण्ट है। इसके अलावा एक जमीन के काश्तकार को अच्छा पैसा मिल सकता है यदि वह उस जमीन को बाजार में बेचे। तो उसको जहां पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो उस जमीन की रेण्ट कम होने की वजह से उस जमीन के पैसे कम्पेन्सेशन के रूप में कम मिलेंगे। हमारे संविधान में जहां इस बात की स्वीकृति दी हुई है कि हर एक व्यक्ति का सम्पत्ति पर अधिकार है और उसकी सम्पत्ति को यदि सरकार लेगी तो बिना मुआवजे नहीं लेगी। तो जब संविधान इस प्रकार की गारन्टी देता है, तो इस प्रकार की भिन्नता नहीं रखनी चाहिये कि जिससे कुछ चीज लें उसका कम्पेन्सेशन इतना हो कि वह नगण्य हो और उसी का मुआवजा किसी को अधिक मिल जाये। तो हमारा कम्पेन्सेशन देने का आधार लगान नहीं हो सकता और हमारा आधार यह भी नहीं हो सकता कि जैसा कुछ लोगों ने कहा कि जहां बाजार भाव की बात आती है वहां हम रीजनेबल प्राइस को हम देखें। जैसा दूसरा आधार और सुझाव आया है कि कम्पेन्सेशन हम स्लेब सिस्टम पर दें। पर हम कम्पेन्सेशन स्लेब सिस्टम पर कैसे दें जब कि यही निश्चित नहीं होता कि हम लगान का २० गुना देंगे या बाजार भाव से देंगे। तो फिर स्लैब सिस्टम की बात खड़ी नहीं होती। यह तो जब बात आती है कि हम मुआवजा किस आधार पर देंगे। तो आधार यह है कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा थी और उस जमीन का उन्होंने काफी उपयोग किया और उनके पास इतने साधन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं कि मुआवजा कम भी दिया जाय तो भी चल सकता है। अब यह परिस्थिति आती है तो यह सारी समस्या आकर खड़ी होती है कि हम कम्पेन्सेशन दें किस आधार पर। आया बाजार भाव से या लगान का २० गुना देंगे। जब तक यह तय नहीं हो जाता तब तक स्लेब सिस्टम को हम कैसे अपना सकते हैं। मैं यह समर्थन करना चाहूँगा कि जिस आधार पर आज कोटा जिले की या दूसरे जिले की और मध्यप्रदेश के अन्दर भी काश्तकारों की जमीन नहर वालों ने ली है और जो मुआवजा उसका दिया है उससे अगर भिन्न देते हैं, तो जिन लोगों की जमीन सरकार लेती है किसी भी आधार पर उनको मुआवजा कम मिलता है तो एक किसान और दूसरे किसान के बीच में भिन्नता आ जायेगी और फिर उसके बाद में स्लेब सिस्टम उसमें आयेगा। यदि उस पैसे को किसी प्रकार से ऊंचा नीचा करें तो वहां पर आधार हो सकता है लेकिन जब तक हमारा आधार नहीं होगा कि हम किस आधार पर मुआवजा दें यह बात समझ में नहीं आती। अब प्रश्न आता है कि जो कुछ मुआवजा दें वह बोन्ड सिस्टम पर दें या कैश सिस्टम में दें। मैंने पहले भी कहा था कि सीलिंग का असर बड़े-बड़े काश्तकारों के ऊपर आने वाला है और उन्होंने अपने बचाव के रास्ते पहले से ही निकाल लिये हैं। अब बेचारे वे काश्तकार जो कि सीलिंग से विशेष जमीन रखते हैं उन पर क्या असर होता है यह बात हमारे सामने आती है। तो हम उनको यह कह दें कि बोण्ड मिल जायेंगे और भविष्य में पैसा मिलता रहेगा और फिर वह एस० डी० ओ० की कोर्ट में जाये और फिर फार्म पेश करे और फिर वह तय हो और फिर रकम मिले। यह इतना लम्बा प्रोसीजर है कि जितना मुआवजा उसको मिलना है उससे ज्यादा तो उसके पैसे खर्च हो जायेंगे। मुझे याद है कि छोटे-छोटे जागीरदार के मुआवजा लेने के लिये जाने कितने पैसे उनको खर्च करने पड़ते हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष :** Mr. Daga is very sensitive about the references given by you.

**श्री दयाकृष्ण विजय :** He has taken some cases तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जब एक समस्या हमारे आ चुकी है और यह लोग परेशानी उठा चुके हैं फिर तो हमें अपने सिस्टम को बदल देना चाहिये जागीरदारों के पास इतने साधन थे कि उन लोगों ने अच्छे अच्छे वकील कर लिए और अपने बचने के साधन निकाल लिए। लेकिन उन काश्तकारों के पास जिनके पास जीविकाचलाने के लिए काफी साधन नहीं हैं और अगर उनके लिए बोन्ड सिस्टम जारी किया जायेगा तो काफी दूर दूर से एस० डी० ओ० कोर्ट में आयेंगे और वकील की मार्फत मुआवजे तय करवायेंगे और फिर बोन्ड लेने के लिए जायेंगे तो यह इतना लम्बा प्रोसीजर है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन काश्तकारों की जमीन ली जाती है तो उसको पैसे वहीं के वहीं मिल जाये। क्योंकि मान लीजिये अगर वह जमीन दूसरों को देते हैं तो भी उसको पैसे वहीं के वहीं मिल जाते हैं। इसके लिए सरकार को ऐसा करना चाहिये जो भी मुआवजे के पैसे हों वह कानूनगो के पास भेज दें और कानूनगो पटवारी के पास भेज दे और पटवारी उसको तय कर दे और वहीं की वहीं

# Page No.60



(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाकर दे दे। काश्तकार को रोना नहीं पड़े। क्योंकि अगर यही बोन्ड सिस्टम रहा तो उसके लेने और देने में और उसके फार्म बनाने के लिए इतना पैसा लग जाये कि जिनको जितना भी मुआवजा मिलने वाला है उससे तो ज्यादा उसका खर्च हो जायगा। तो इससे लाभ होने वाला नहीं है। जो छोटे काश्तकार हैं उनको मुआवजा मिलना ही चाहिये और उनको मुआवजा कैश पेमेन्ट के आधार पर मिल जाना चाहिये। वह अपने फार्म बनाकर पटवारी को दे और पटवारी इसको आगे एस० डी० ओ० के कोर्ट तक बढ़ाये और वह खुद जाकर पेश करे इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। उस बेचारे को भागना दौड़ना नहीं पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है तो काश्तकार के लिए बहुत सुविधा हो जायेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी पेमेन्ट किया जाय जिन लोगों के पास जमीन कम है उसका माप दण्ड रख लिया जाये कि जिसके पास १०० बीघा से कम वाली ज़मीन है उसको पेमेन्ट कैश में किया जायेगा और जिनके पास १०० बीघा से ज्यादा जमीन है उनको दूसरे आधार पर किया जायेगा। अगर इस आधार पर कर लिया जाये तो जो छोटे काश्तकार हैं वह इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और उन लोगों का पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। इस आधार पर मैं कहूँगा कि उनको कैश पेमेन्ट किया जाये और श्री अनोपसिंह जी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**कुछ माननीय सदस्य** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

**श्री उपाध्यक्ष** : I think the House would like to hear Mr. Mukti lal Modi.

२. म. प.

**श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष, धारा तीन के सेक्शन ३० जी में जो संशोधन श्री भटनागर ने रखा है कि २० गुना मुआवजा देना चाहिये उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए करता हूँ कि क्योंकि जो बड़े काश्तकार हैं जिनकी जमीन सीलिंग में ली जायेगी उसके लिए अगर सरकार बाजार भाव तय करना चाहती है ....

**श्री उपाध्यक्ष** : बाजार भाव पर तो बहुत बोला जा चुका है अब तो दूसरा भाव निकालिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : लेकिन बाजार भाव के लिए बोलते हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं २० गुने का समर्थन करता हूँ। बीस गुना ही तय करना चाहिये। मैं इस बात से उल्टा करता हूँ कि सब लोगों ने बाजार भाव से कहा है उसका समर्थन नहीं करता हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह भाव विदेशी है क्या ?

(हंसी)

**एक माननीय सदस्य** : रूस की बात कहें।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : रूस के अन्दर तो यह बात ही नहीं थी और सरकार ने इस बिल के अन्दर इस बात की बात रखते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : सरकार ने रखा है या नहीं—आपको क्या पता ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** मैं अर्ज करता हूँ कि बाजार भाव से प्राइस दी जायगी, परन्तु पहले तो हमारे जैसे लोगों ने काफी जमीन सरकार से अलॉटमेंट करा ली और सरकार के एक्ट में इस तरह की बात रखवाना चाहते हैं कि जिससे कुछ हमारे जैसों को इतनी बाजार भाव से कीमत मिले। क्यों मिले ? पहले तो सरकार से जमीन अलॉट करा ली मुफ्त के अन्दर और कुछ नहीं दिया बाद में कीमत लेना चाहते हैं और पूंजीपति बन गये और हम गरीब के गरीब ही रहे। ये दोनों बातें सरकार कैसे करना चाहती है यह ताज्जुब की बात है ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज के जमाने के अन्दर जब कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं और बाजार भाव से रेट दें तो पूंजीवाद को पनपाना है। उससे पूंजीपति ज्यादा बढ़ते हैं। गरीब काश्तकार की जमीन थोड़ी हो होगी। बाजार भाव से कीमत लेने के लिए वह २१ दफा डोलेगा। मेरी तहसील के अन्दर एक मामूली सा बांध बना था तो १० दफा काश्तकार आ गये और ७ वर्ष हो गये लेकिन १० पैसे उनको आज तक नहीं मिले....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप अपनी मांग को यहां पर रखते हैं। अपने को सिद्धान्त पर जाना चाहिये। यह बात आप पहले कर चुके हैं। केवल सिद्धान्त पर होना चाहिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** उन्होंने अच्छा वकील नहीं किया होगा।

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** मैंने तो केवल यही उदाहरण दिया था कि ७ वर्ष से उनको एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला। बांध के नीचे उनकी जमीन ले ली। जो बाजार भाव से रेट तय करें तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर २० गुना तय करते हैं तो सरकार विचार कर लेगी नहीं तो एक पैसा ही नहीं देगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप मुझ से क्यों कह रहे हैं। मैं एक पार्टी नहीं हूँ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी :** आपको नहीं आपकी मार्फत सरकार को कहना चाहता हूँ। इसलिए जो भी कुछ मुआवजे २० गुना का भटनागर साहब ने रखा है कि २० गुना मुआवजा देना चाहिये और वह २० गुना मुआवजा काश्तकार चाहे १०० बीघा के अन्दर है और १०० बीघा से ऊपर कोई भी हो परन्तु उनकी जमीन ली जाती है। तो उनको वह मुआवजा बोन्ड्स के रूप में नहीं देकर पैसे के रूप जरूर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जमीन में खाद से और किसी तरह से उसकी जमीन पर कमाई की है और जमीन को अच्छी की है। इसलिए पैसे के रूप में जरूर देना चाहिये। परन्तु सरकार जिस तरह से करना चाहती है कि बाजार भाव से पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलकर २० गुना मुआवजा दिया जाय, वही करना चाहिए और जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए जिससे कि उनके दिमाग में यह चीज पैदा नहीं हो कि हमारी जमीन ले ली और हमको पैसा नहीं मिला। यह चीज होनी चाहिये कि पैसा उनको जल्दी से मिल जाना चाहिए भले ही कम पैसा देगें तो वे उस पैसे से.......

**श्री उपाध्यक्ष :** आप तो पैसा ही पैसा कहते चले आ रहे हैं।

(हंसी)

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : इसलिए मेरी प्रार्थना है और सरकार से प्रार्थना है कि इस बात को विचारें कि उनको २० गुना के लिए एक संशोधन रखा है भटनागर साहब ने उसको मान लिया जाय और जो मुआवजा २० गुना तय करेंगे वह उनको जल्दी से जल्दी काश्तकारों को मिल जाय, ऐसी व्यवस्था करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : कितना जल्दी ?

श्री मूलचन्द डागा

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा): मेरा अमेंडमेंट है। मैं कल चला गया था दो मिनिट के वास्ते कह दूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Your amendment has been dropped.

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : इसी पर अमेंडमेंट है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अमेंडमेंट में आपका नाम नहीं है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मेरा नाम था इसके सेकिण्ड प्रोविजन में।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अनुपस्थित थे। मैं विवश हूँ। मैं आपके (श्री मूलचन्द डागा) वक्तव्य को प्रिफरेन्स दूँगा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, कोई जब हम कानून का निर्माण करते हैं तो हम कहीं यह तो नहीं भूल जाते हैं कि कानूनों का निर्माण अमीरों का पोषण करने के लिये होता है। मैं यह समझ रहा हूँ अभी तक कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद का मतलब यह है कि हम समानता लाना चाहते हैं और उसका मूल उद्देश्य पूरा करने के लिए हमने सीलिंग यानि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, उस हालत में मुआवजा कैसा ? भूमि का मुआवजा कैसे हो सकता है और मां का मोल कैसे हो सकता है ? यह बड़ा प्रश्न है। और हम मां का मोल कर सकते हैं और भूमि का मुआवजा दिला सकते हैं तो मेरी समझ में यह सीलिंग का कानून जो हम पास कर रहे हैं उसकी जरूरत, उसका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता। हम धनवान को और धनवान बनाना चाहते हैं। जिसके पास जमीन ज्यादा है, जिसने अपने कब्जे में बहुत ज्यादा ज़मीन कर रखी हैं, किन्हीं कारणों से कर रखी हो, हम यह अपराध समाज का मानते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के पास ज्यादा भूमि है और वह उस भूमि का मालिक बना हुआ है, और आज तक उसने शोषण किया है, उस आदमी से जमीन लेने के लिए हम मुआवजा देना चाहते हैं। अब आप गरीब का नाम लेकर कहना चाहते हैं कि जिसके पास सीलिंग एरिया से, यानी सीलिंग जो आपने मुकर्रर की है, जो भूमि निर्धारित कर दी है, जो भूमि की सीमा निर्धारित कर दी है, उसके बाद ज्यादा जमीन है वह जमीन उससे ली जाती है। तो मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि 'गरीब' शब्द का कैसे उपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं कि जो भूमिहीन हैं और एक नारा लगाते हैं कि हमारे समाजवाद में धन और धरती बंट कर रहेगी, तो यह दो सिद्धांत कैसे ? मैंने जगह जगह देखा है जब कि विनोबा भावे गांव गांव में अपना संदेश देते फिरते हैं, अपना पैगाम गांव गांव में यह देते हैं कि धन और धरती बंटकर

(श्री मूलचन्द डागा)

तो एक तरफ यह सिद्धांत है और दूसरी तरफ हम लोग अपने मुआवजे के लिए इस प्रकार से सिफारिश करें। जो ३१ का आर्टीकल है लें। मुझे अभी तक अध्ययन करने के बाद यह मालूम नहीं होता कि जिस भूमि की सीमा निर्धारित करने के बाद हम मुआवजा देना चाहते हैं उस भूमि को उपजाऊ बनाया है उन मजदूरों और काश्तकारों ने जिस भूमि पर अपना पसीना बहाया है, और जो जमींदार थे और जागीरदार थे व जिनके पास में जमीनें थीं उन्होंने उनके श्रम के कणों के आधार पर अपनी दौलत बनाई। एक आदमी जितना एरिया जमीन का मुकर्रर कर दिया उससे ज्यादा काश्त नहीं कर सकते।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : आप को केवल जागीरदारों के अलावा कोई नाम नहीं मिलता है क्या? पाली में जो जागीरदार नहीं थे उन्होंने भी सम्पति बनाई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : आपके असर के कारण समाज में इस प्रकार के तत्व पैदा होते जा रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : वह तत्व आपकी पार्टी में आपके साथी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप खुलासा ही फर्मायें ताकि सब को मालूम हो सके।

**श्री भैरोंसिंह** : वह भी समझ गए। मैं भी समझ गया। आप भी समझ गये और सदन भी समझ गया।

**श्री मूलचन्द डागा** : आपको धन्यवाद है कि आप में इस प्रकार की चेतावनी है, आप में इस प्रकार की जागृति है कि हम समाज में उन तत्वों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते जो शोषण के आधार पर जीना चाहते हैं और अपनी मेहनत के आधार पर जीना नहीं चाहते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : वह आपकी अगली सीट पर ही हैं।

(हंसी)

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : On a point of Order Sir. I will like to know. as this is a money bill so whether Governor's recommendation has been handed over to the Secretary by the Minister incharge of the Bill or not?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) : I have not followed it.

**श्री पी० के० चौधरी** : This is a money Bill as it requires expenditure from our consolidated funds, Under Rule 60 and 61. So I will like to know whether the Governors' recommendation has been handed over to the Secretary by the Hon'ble Minister.

**श्री उपाध्यक्ष** : What is your point?

**श्री पी० के० चौधरी** : My point is Sir under Article 207 of the Constitution.

**श्री उपाध्यक्ष** : २७३ या २०७।

**श्री पी० के० चौधरी** : २०७।

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes

श्री पी० के० चौधरी : This Article 207 of the Constitution reads Sir– "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a legislative Council."

श्री उपाध्यक्ष : I understand the point. The recommendation was receved.

श्री पी० के० चौधरी : According to this Artcle...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have got the conception of the point. It was received when the Bill was introduced.

श्री पी० के० चौधरी : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : Then what is there, It was received ?

श्री पी० के० चौधरी : Whether this recommendtion has been received ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : It has been received.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : On a point of order Sir. There is no financial memorandum attached to the Bill which is required according to the Rules of procedure. Memorandum should also be there.

श्री उपाध्यक्ष : Under which Rule ?

श्री भीमसेन : Under Rule 61 of the procedure.

श्री उपाध्यक्ष : The Rules were passed after the recommendation was received.

श्री पी. के चौधरी : Sir, this Rule 61 says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law. So I will like to know where such estimate has been received ?

श्री उपाध्यक्ष : But these Rules came into force after the recommendation was received.

श्री पी. के. चौधरी : No Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Your point is that it should be strictly under the Rules. But the position is that, before these Rules came into force the recommendation was there and the Rules were enforced aftarwards.

श्री पी. के. चौधरी : After the recommendation is there, we are going to pass this clause and now the House will like to know what is the expenditure involving out of the estimated funds ?

**श्री उपाध्यक्ष** : What I could understand from you Mr. Chaudhary is that the Bill was introduced not strictly in the light of the Rule 61 of the Procedure. That is the position ?

**श्री पी. के. चौधरी** : I am not sure whether the Secretary has received even the Governors' recommendation.

**श्री उपाध्यक्ष** : I have ascertained it.

**श्री पी. के. चौधरी** : You will ascertain it. Second thing is that even if it has been received, even then it is mandatory that the Bill involving an expenditure......

**श्री उपाध्यक्ष** : But that is under Rule 61. But because the Rules were not applicable then as such it is not applicable here......

**श्री पी. के. चौधरी** : But, Sir, the House is now functioning under Rule 61 and this clause has been taken into consideration now and therefore, it is necessary that there should a statement.........

**श्री उपाध्यक्ष** : But we cannot rectify the position when once the Bill has been introduced.........

**श्री पी. के. चौधरी** : But a statement as to what is the quantum of expenditure involving.........

**श्री उपाध्यक्ष** : I have given my ruling. The Rules were not in force.

**श्री पी. के. चौधरी** : I will humbly submit Sir that there is a provision in the Rules-61 (2)- "Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member incharge of the Bill to bring such clauses to the notice of the House.

**श्री उपाध्यक्ष** : What ever force it may have. It may be mandatory or discretionary. But the position before me is that at the time the Bill was introduced, the rules were not in force and therefore it is not in the light in which you have taken. This is my observation and I request Mr. Daga to continue.

**श्री पी. के. चौधरी**: Another point of order is that when the Bill was introduced, this rule was not in force but this refers to the Money Bill. This rule indicates that before we pass a Bill which involves an expenditure from the estimated fund it should be placed before the House in the shape of memorandum by the Minister incharge and as such when this clause is taken non at this stage so the expenditure involving or a picture of it should be placed by the Minister incharge.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री): So far as this Chapter XA. Introduction and Publication of Bills is concerned, and so far as Clause 61 is concerned, this is applicable only at the time of introduction of the Bill.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

After introduction of the Bill, it is not necessary. Therefore, now to say that these rules were applicable, that stage has passed. So this Rule 61 does not apply at this stage.

**श्री पी के. चौधरी** : This is no where.........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : You have to read the law 'Introduction and Publication of Bills.' It is to apply when the Bill is being introduced in the House.

**श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)** : लेकिन जो पहले वाले नियम थे उन नियमों के अनुसार भी यदि कोई मनी बिल है या बाद में मनी बिल की शक्ल लेता है या ऐसा अमेन्डमेन्ट आता है जिसके कारण कंसोलिडेटेड फंड में से रकम लेने की आवश्यकता हो तो गवर्नर की पहले सेंक्शन लेनी आवश्यक होती है ........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Governer's sanction is already there.

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): It is already there...

**श्री उपाध्यक्ष** : I have already given my observations. Mr. Daga will continue.

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं यह बात कह रहा था कि भूमि की सीमा निर्धारण करने की जो हमारी भावना है उसके पीछे यह उद्देश्य है कि हम समाज में नई आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और वह व्यवस्था कायम करने के लिये इस प्रकार के कानून का निर्माण कर रहे हैं। उस आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिये हमारा यह फर्ज हो जाता है कि मानव मानव के बीच में जो भेद है, आर्थिक आधार पर जो भेद है उसे मिटाना होगा और जब हम वह भेद मिटाना चाहते हैं तो उसके लिये भूमि का बंटवारा करना होगा। यदि समाज की कमजोरी के कारण आपने ज्यादा भूमि पर अधिकार कर लिया और कई वर्षों तक उसका लाभ उठा लिया अब वह भूमि आपसे वापिस ली जाती है क्योंकि आपने इतने वर्षों तक इस भूमि के कारण आराम से जिन्दगी बसर की और इससे आपको इतनी आमदनी होने लगी कि आराम के अलावा ऐश करने लगे। अब उस अधिक संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों को दिया जाता है तो उस हालत में उसके लिये मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है। सीलिंग ३० एकड़ भूमि से ज्यादा पर लगाया। आपने अपने लिये ३० एकड़ भूमि ले ली और उतनी भूमि लेनेके बाद जो बची खुची आपके पास रह गई वह ली जाती है और उस पर यदि हम मुआवजे का प्रश्न पैदा करते हैं और मार्केट रेट पर लैंड एक्वीजिशन एक्ट के सिद्धान्त को लाना चाहते हैं तो मतलब यह होगा कि जिन व्यक्तियों ने समाज में एक जमाने में अपने हथकंडों से या किसी और तरीके से जमीन प्राप्त करली, मनुष्य ने मनुष्य का शोषण किया और ज्यादा जमीन ली उस जमीन का वापिस बंटवारा करना चाहते हैं और उसके लिये मुआवजा दिलाना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने सामाजिक अपराध किया था उसका पश्चाताप कराने के बजाय उल्टा उनको यह कहते हैं कि आप मुआवजा लीजिये और वह भी मार्केट

(श्री मूलचन्द डागा)

रेंट पर देने को तैयार होते हैं तो यह उचित बात नहीं मानी जा सकती। एक बड़े सिद्धान्त की हम बात करते हैं और पेटरनिटी, इक्वेलिटी का हम नारा लगाते हैं। हम कहते हैं कि समाज के अन्दर हम शान्ति रखना चाहते हैं, समाज में भ्रातृत्व पैदा करना चाहते हैं, समाज में स्वतंत्रता के आधार पर समानता लाना चाहते हैं। शायद यह ऐसा हो कि जब पादरी लोग अफ्रीका में गये थे तो कहते थे कि ईश्वर ऊपर है और देखो जमीन नीचे धसती जाती है। इस प्रकार का स्लोगन है, इस प्रकार की आवाज है कि हम भ्रातृत्व पैदा करना चाहते हैं, समानता पैदा करना चाहते हैं, मनुष्य मनुष्य के भेद को मिटाना चाहते हैं। यह धनवानों का स्लोगन है; इसकी आवाज देकर वे गरीबों का शोषण करने के लिए कानून का निर्माण करते हैं। इसके आधार पर मुआवजा दे देकर सरकारी खजाने से गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। जो धनवान हो चुके हैं, उनको मुआवजा दे देकर और धनवान बनाना चाहते हैं। यह हमारा सिद्धान्त नहीं है, हमारा सिद्धान्त है कि जो पूंजीवाद है, उसको कम करना है और जो गरीब है उनको ऊंचा उठाना है। यह सवाल है, इसको भूल कर हमने पहले मुआवजा दिया है। दिया होगा, उसकी याद क्यों करते हैं? नया निर्माण कीजिये। आज १९५९ में आप कहते हैं कि पहले मुआवजा दिया था इसलिए अब भी देना चाहिए। सवाल यह है कि जो एग्रीकल्चर हो, वे एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म में होनी चाहिए। इसके साथ ही जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन लेनी है। इसके लिए हमने नियम बनाये और अब सोच समझकर बनाने के बाद एक मुआवजे का चक्कर डालना चाहते हैं और कहते हैं कि लाखों रुपये देने हैं। मैं समझता हूं कि मुआवजे की बात इस प्रकार की है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको हक नहीं है इतनी ज्यादा जमीन रखने का। अब हम समाज का नक्शा पलटना चाहते हैं। लेकिन आज भी समाज है उसमें उसकी इज्जत हो सकती है। जिसके पास दौलत है। हम इसको बदलना चाहते हैं, हम समाज में धन की कीमत आँकना नहीं चाहते हैं। समाज में किसी प्रकार का वर्ग नहीं रखना चाहते हैं, एक वर्ग रखना चाहते हैं। ठीक है, अपने जमाने में जमीन लोगों से छीनी और दूसरे लोगों से जमीन काश्त करवाई। मैं निवेदन करूं कि भूमि का सवाल ऐसा है कि हर साल भूमि धन उगलती है ........

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण भावनात्मक अधिक हो रहा है।

**श्री मूल चन्द डागा** : हां, यह ठीक है। श्रीमान्, यह बात ठीक है कि सिद्धान्त की बात सब करते हैं। भावनात्मक इसलिए है कि शासन करने वाले जो लोग हैं वे किस प्रकार कानून बना कर गरीबों का मुंह चुप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार भावना खत्म हो जायेगी और बुद्धि तर्क में डूब जायगी। आज भावना के आधार पर ही कानून बनते हैं। सीलिंग का कानून क्यों बना? भावना के आधार पर ही तो बना।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने गलती कर दी है। आपको विषय दे दिया है। आप विषय पर चलिये।

(हंसी)

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना थी कि हम लोग नारा लगाते हैं, मनुष्य की भावना की कद्र करने के लिये हम नये समाज को बनाना चाहते हैं। आज इसकी दुहाई देते हैं कि नये समाज का निर्माण हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि ३० स्टेन्डर्ड की सीलिंग इसलिये रखी कि इसमें गृहस्थी को ठीक तरह से चलाने के बाद जो अधिक भूमि बच जाती है वह उनको दे दी जाय जो बे जमीन है । इसके साथ ही मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुआविजे का जो प्रश्न है उसके आधार पर नये तरीके से मुआवजा नहीं देना चाहिये जिन लोगों ने इतने दिनों तक जमीन भोग ली, क्योंकि शासन की कमजोरी थी। लेकिन अब उनको कहना चाहिये कि जो अधिक जमीन है वह दे दो, काफी दिनों तक आपने आराम कर लिया।

(व्यावधान)

मैं मानता हूँ, आप कहते हैं, अपनी कोठी खाली कर लो। पहले आप कर लें तो हम भी करनेवाले हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** ( सरदारशहर ) : दोनों एक साथ हो जायं।

**श्री सज्जनसिंह** ( बूंदी ) : Charity begins at home and I think you should give the lead.

**श्री मूलचन्द डागा** : Right सबकी भावना यही है। हम काम एक करना चाहते हैं, कोई सिद्धान्त को अपोज नहीं करता है। लेकिन इस सिद्धान्त को कार्य में लाने के लिये कुछ बाधायें खड़ी करते हैं क्योंकि मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, उसके आधार पर अपने स्वार्थ की रक्षा करता है। अपने धन की, अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के बाद समाजवाद का नारा लगता है, मनुष्य मनुष्य को आगे बढ़ाना चाहता है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक अमेंडमेंट था लेकिन किसी वजह से मैं बाहर चला गया ।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट ३० जी (२) में यह है कि जो प्रावधान रखा गया है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अमेंडमेंट आपका क्या है, वह प्रश्न नहीं, आप सब पर बोलेंगे ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : जो प्रावधान रखा गया कि किसी की जमीन पर बिल्डिंग है तो उस पर मुआवजा रखा गया है। उसके लिये मैं आपसे कहूँ कि फार्म में जो बिल्डिंग बनाई है उसका मुआवजा देने के लिये प्रावधान रखा है उसको निकाल देना चाहिये ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें बोन्ड्स के बारे में प्रावधान किया गया है, कुछ किश्त के बारे में प्रावधान किया गया है, जहां बोन्ड्स का प्रावधान किया गया है, तो आजकल जो जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की गई है उसमें मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि बेचारे कुछ जागीरदार हैं, छोटे छोटे जागीरदार उनको मुआवजा लेने के सम्बन्ध में अपनी खेती

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

का काम बिगाड़ना पड़ता है । वे लोग भागे भागे फिरते हैं, लेकिन फिर भी आज दिन तक नहीं मिल सका है । इसके साथ ही इसमें सूद का प्रावधान नहीं रखा गया है । इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके अन्दर ऐसा प्रावधान करना चाहिये कि जिन लोगों के पास सीलिंग के क्राइटेरिया से अधिक जमीन है उनसे जो ज़मीन ली जाती है उस पर उसी वक्त मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर ऐसा न हो तो जितने वर्षों तक उसको मुआवजा न मिले उस समय तक कुछ न कुछ सूद के लिये प्रावधान होना चाहिये। क्योंकि उसने हजारों रुपया लगा कर जमीन को बड़ा उपजाऊ बनाया है । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जो सरकार ने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उससे अगर ज्यादा जमीन होगी तो उसे जरूर सरेन्डर करना पड़ेगा। जब उसको सरेन्डर करना पड़ेगा तो उसके साथ ही जितने दिनों तक उसको मुआवजा न मिले सूद दिया जाय क्योंकि जितना उसे मुआवजा न मिलेगा उतना मुआवजा अदालत में फिरने में लग जायगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रावधान मैंने रखा है उसे जरूर रखना चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीराभाई ।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुआवजे के विषय में संशोधन आये हैं और जिन पर वाद-विवाद हो रहा है उसमें हमारी जो खोज-बीन है और जो कम्पेन्सेशन के उल्टे कानून वर्षों से चलते आये हैं, इसके कारण मुआवजा देना अनिवार्य हो जाता है वर्ना आज जो भूमिहीन किसान हैं वे यहीं के निवासी हैं, उनके परिवार भी यहीं के हैं और जिनके पास ज्यादा भूमि है वे भी इसी देश के निवासी हैं और उनके बाप-दादे भी किसान थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम मुआवजे का सवाल लाकर रखें और यह नारा लगावें कि धन धरती बंट कर रहेगी, जो कमायेगा सो खायेगा । उसी तरह से जो कमायेगा, जो पहले से कमाता आया है उसका खेत नहीं होता है । पहले के जमाने में बड़े बड़े लोग खेत पर काम लेते थे, बड़े-बड़े जमींदार, जागीरदार, जिनका नाम आज खत्म हो गया है, वे और जो प्रसिद्ध आदमी थे उनकी हुकूमत थी और वे उसी हालत में चाल-चलन करते आ रहे थे, उसके आधार पर काश्त कराते आ रहे थे। लेकिन आज यह सवाल खड़ा होता है कि जो जमीन जोतेगा उसकी जमीन होगी, खेत नहीं जोतने-वाले के पास जमीन नहीं रहेगी। इस डर से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना ली और अपने साथियों को पनपाने के लिए, जो लोग अपने पसीने से धन इकट्ठा करते आ रहे थे उस धन को इन लोगों को देने की नीति निर्धारित कर दी। सवाल आज भूमिहीन लोगों का है जिनके पास अधिक जमीन है, जिन्होंने अपनी हुकूमत जमा कर रखी थी और भूखे किसान त्राहि त्राहि करते आ रहे थे, जिनके पास जमीन का दुरुपयोग हो रहा था उनसे जमीन लेकर उसका सदुपयोग कराने के लिए, उनसे भूमि लेकर भूमिहीन को भूमि वितरण करनी है। मैं समझता हूँ इस हालत में मुआवजा देने का सवाल नहीं होता है कि मुआवजा कैसे दिया जाय, क्यों दिया जाय । यह सवाल खड़ा नहीं होता। सवाल यह खड़ा हो सकता है कि जिन किसानों ने बांध बांधे हैं, निजी प्रोपर्टी से, पाल या

(श्री हीराभाई)

मेड़ बांधी है, कुए बनवाये हैं या कोई नहर लाकर खेती कर रहे हैं, उनको मुआवजा देने का सवाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे राज्य के लिए और राज्य की जनता के लिए हितकर होगा। परन्तु यहां पर व्यक्तिगत रूप से हम कह रहे हैं कि जितनी भूमि उन लोगों के पास से लेकर भूमिहीनों को दें उनको इस भूमि के लिये मुआवजा दें। मैं कहता हूँ उनका उस भूमि पर कोई भी किसी प्रकार का हक नहीं था, उन लोगों ने अपना मतलब हल करने के लिये, अपना स्वार्थ साधने के लिये हजारों बीघा जमीनें घेर कर रख ली। उन जमीनों में कहीं पर तो घास काटा जाता था और उन लोगों को उस जमीन पर किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इस तरह की जमीनें जिन लोगों के पास हैं उनसे उन जमीनों को लेकर भूमिहीन लोगों को दें तो उन जमीनों के लेने के एवज में सरकार उनको मुआवजा देती है तो यह रवैया बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ शायद सरकार को डर है कि जिस तरह से जागीरदारों ने दो एक दफा आन्दोलन किये थे और सरकार को डर कर उन्हें मुआवजा देना पड़ा था उसी तरह से सरकार को यह डर है कि उनकी तरह ये लोग भी आंख निकालेंगे। इस डर से यदि सरकार मुआवजा दे रही है तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार में बिल्कुल अक्ल नहीं है। सरकार डरती है कि ये लोग तलवार भाले दिखायेंगे........

**श्री उपाध्यक्ष** : विषय पर आइये, तलवार भाले का सवाल नहीं है।

( हंसी )

**श्री हीराभाई** : मुआवजे का सवाल है।

**श्री उपाध्यक्ष** : विषय पर आइये।

**श्री हीराभाई** : अच्छा साहब।

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) These words should be expunged अक्ल नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** Which words ?

**श्री सोहनलाल भटनागर** : इन्होंने कहा कि सरकार को अक्ल नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Let us not be very sensitive. We should also look to the standard of the Hon'ble Member concerned.

**श्री चन्दनमल बैद** : (सरदारशहर) अक्ल का काम विरोधियों पर छोड़ दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: अक्ल का द्वन्द है। इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिये।

**श्री हीराभाई** : कई माननीय सदस्यों ने फर्माया था कि पहले जागीरदारों को देते आये हैं, राजा-महाराजाओं को देते आये हैं तो अब किसानों को देने में क्या हर्ज है, इसके विषय में मैं बोल रहा था। कुछ तो सरकार अपने हाथ में बागडोर रखने के लिये और कुछ इन लोगों को राजी रखने के लिये ......

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने चार दफा कह दिया है कि राजी रखना, इससे आगे बढ़िये।

( हंसी )

**श्री हीराभाई** : तो इस डर के खतरे से जो परम्परा से चीजें करते आते हैं वही सरकार अब भी अपनाना चाहती है। अंग्रेज

(श्री हीराभाई)

चले गये पर जो कारनामे वे करते थे उन्हीं के आधार पर हमारी सरकार चलती है और सब कुछ करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारा सदन इस बात का निर्णय ले ले कि इसको इस प्रकार बदलना है, एक दम नहीं बदल सकते, सदन में यह नीति चलानी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा क्यों नहीं किया कि जिन जमींदारों के पास इन गरीब लोगों ने खून पसीना बहाया, गुलामों की तरह रात दिन काम करके इन जमींदारों का काम चलाया, इनकी खेती की तरक्की उन जमींदारों को सरकार मुआवजा दिलाने की कोशिश करती है? भूमि छीनने से पहले तो यह काम भी करना सरकार के लिए जरूरी है कि सरकारी नौकरी में आदमी होते हैं तो उनको पेन्शन दी जाती है तो इन जमींदारों के पास मजदूर, हाली वगैरह हैं उनका ऐसा हो सकता है........

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या हो सकता है ऐसा ?

(हंसी)

**श्री हीराभाई** : जिस तरह गवर्नमेंट रूल्स से पेन्शन देती है इनको भी दी जाती।

**श्री उपाध्यक्ष** : अच्छा, पेन्शन दी जाती।

**श्री हीराभाई** : तो इनको मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब तो हम सब मान गये हैं कि दिया जाना चाहिये।

**श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : पेन्शन का कह रहे हैं।

**श्री हीराभाई** : पेन्शन का यों कहा जा रहा है कि सरकार धनवानों को तो और धनवान् बना रही है और गरीबों को खड्डे में डाल रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको मुआवजा नहीं देना चाहिये। यह कहा जा रहा है कि जमीनें छीन-लेने के बाद वह खेती कैसे करेंगे ? एक तरफ तो यह भी रखा है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के अलावा ज्यादा परिवार है तो ६० एकड़ तक और देने का रख लिया है तो फिर ऐसी क्या बात है कि वह भूखा मर जायेंगे ? एक तरफ तो उनकी रोटी, रोजी के इन्तजाम के वास्ते उनको इतनी जमीन दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भूमि छीनने के बाद उनका क्या हाल होगा ? जो सब किसानों का हाल होता है वही इनका भी हाल होगा। अगर इनको खेती करना नहीं आता है और अचानक खेती करते हैं तो या तो हाली रखें, पैसे देकर करावें या सरकार उनको ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध करे।....

**श्री उपाध्यक्ष** : खैर, कोई न कोई तरकीब निकालेंगे, आप तो इस विषय पर आगे चलिये।

(हंसी)

**श्री हीराभाई** : तो मुआवजा देना तो दूर रख कर जमीनें जल्दी से जल्दी सीलिंग में दे दी जाय और मुआवजा देने की बात न करें। मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि हाउस में तो वे मुआवजे के लिए एक से एक तगड़ी बातें करते हैं पर जनता के सामने ये बातें नहीं कह सकेंगे....

**श्री उपाध्यक्ष** : जनता में वे क्या कहेंगे, यह मसला नहीं है। आप क्या कहते हैं ?

Page No.72



**श्री हीराभाई :** यह मुआवजे का सवाल है यह बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय और जिनको भूमिहीन और सीलिंग करना है; वह करना बहुत जरूरी है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री आबिदअली ।

**श्री आबिदअली** (सवाई माधोपुर) : हाउस कम्पेन्सेशन के मसले पर विचार कर रहा है । इससे पहले कि इस सब्जेक्ट पर मैं निवेदन करूं एक बात हाउस के सामने रखना चाहता हूँ । जहां किसी पॉलिसी मेटर का मामला आता है तो हाउस में एक सेंस तो यह डवेलप होती है, मैं अपने लिए ही कहूँ कि, अपने आपको बहुत प्रोग्रेसिव जाहिर करने के लिए, कुछ ऐसी सेंटीमेंटल बातें रखते हैं कि जिनके या तो रीजन्स से सम्बन्ध नहीं होता या रीजनिंग सामने आता है तो आइडियलिस्टिक पोइन्ट ऑफ व्यू से रखते हैं । प्रेक्टिकल व्यू क्या होना चाहिये इसको हम बहुत कम ध्यान में रखते हैं । पर्शियन लैंग्वेज में ईडियम है उसका ट्रान्सलेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ.......

**श्री उपाध्यक्ष :** पर्शियन फर्मा दीजिये न ।

**श्री चन्दनमल बैद** (सरदार शहर) : ट्रान्सलेशन हिन्दी में रखना ।

**श्री आबिदअली :** जो अपने खुद पर पसंद नहीं करता वह दूसरे के लिए पसंद मत कर ।

**श्री भैरोंसिंह :** राइट ।

**श्री आबिदअली :** आज हाउस के सामने छोटी सी बात रखूं, कम्पेन्सेशन क्या है, एक आदमी की सर्विसेज को कम्पेन्सेट करते हैं । हम सर्विस क्लास को देखते हैं, ग्रेज्युएट, लॉ ग्रेज्युएट जो मुन्शिफ हैं वे ३०० रुपया माहवार पाते हैं । सेशन जज हैं वे १२००=१३०० रुपया पाते हैं....

**श्री चन्दनमल बैद :** १८०० ।

**श्री आबिदअली :** ग्रेड १८०६ का है । उसका आगे चल कर १८०० का ग्रेड है । आगे चल कर जब वह जज बनता है तो उसकी क्वालिफिकेशन वही होती है मगर वह दो हजार से लेकर ३००० तक तनख्वाह पाता है । इसी तरह से एग्जीक्यूटिव साइड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि तहसीलदार की भी वही क्वालिफिकेशन है जो हमारे चीफ सेक्रेट्री की है मगर तहसीलदार और चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह में बहुत फर्क है । चीफ सेक्रेटरी तहसीलदार से बहुत ज्यादा तनख्वाह पाते हैं । इतना ही नहीं हम सब लोग सदन में बैठते हैं मगर मिनिस्टरों को ज्यादा कम्पेन्सेशन मिलता है और हम लोगों को सिर्फ २५० रु० ही मिलते हैं । इसलिये मैं यह कहूँगा कि हर जगह डिसक्रिमिनेशन होता है और उनको केपेसिटी के अनुसार मिलता है । अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे यहां पर वेतन बढ़ाने की बात आई थी उस समय......

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : I must consider my capacity no less than the Honble Minister here.

**श्री आबिदअली :** जब हमारे सामने वेतन बढाने की बात आई २०० रु० के मुकाबले में २५०) रु०और १२ रु० के मुकाबले में १५ रुपये कैम्पेन्सेशन मिलने चाहिये । यह तो हमारा मामला था । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आज मेरी प्रोपर्टी

(श्री आबिदअली)

पर किसी प्रकार का आघात पहुंचा है या मेरी प्रोपर्टी आज जा रही हो तो मैं उसके लिये जरूर ले लूंगा और कहूँगा कि मुझे उसका एडीक्वेट कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये और मैं यह चाहूँगा कि मुझे उसका एडीक्वेट कम्पेन्सेशन मिले। अगर किन्हीं कारणों से आप........

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Sir, I again rise on a point of Order. Sir, Article 205, sub-clause 2 means to make it mandatory to lay before the House a statement of expenditure showing the estimated amount of that expenditure out of the consolida-ted fund. That statement will have to be passed in relation to law to be made.

Now with regard to the a w to be m:l:, t:: House of a Legislature may make rules for it subject to the provisions of this Constitution. Now Sir, this Rule 61 has been framed keeping in view this provision of the Constitution and any other provision should be ultravirus under the constitution and as such they shall lay before the House an estimated expenditure which will be incurred or appropriated from the consolidated fund.

**श्री उपाध्यक्ष :** Whether the rules may exist or not exist, we are bound by Article 205 and 208, that is what you mean to say ?

**श्री पी० के० चौधरी** : Yes Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : Till then we will proceed on.

**श्री आबिदअली :** तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है तो हमको केवल आइडेन्टिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से ही नहीं देखना चाहिये बल्कि पेमेन्ट के पॉइन्ट ऑफ व्यू से हमें उसको देखना चाहिये। मैं बता रहा था कि जब मेरी पर्सनल प्रोपर्टी का प्रश्न आता है तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मुझे पूरा कम्पेन्सेशन मिले। यहां पर जब हम सीलिंग इम्पोज करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक आदमी की प्रोपर्टी जिस पर उसका पोपर्टी राइट था उसको हम उस व्यक्ति से छीन रहे हैं तो उसे हमको उसके लिये एडीक्वेटली कम्पेन्सेशन देना चाहिये। हमारे कॉन्स्टिटीट्यूशन में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और कॉन्स्टिटीट्यूशन में इसकी गारन्टी दी है कि अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रोपर्टी किसी पब्लिक पर्पज के लिये या सोसाइटी में इक्वीलिब्रियम लाने के लिये उसकी जमीन को गवर्नमेंट लेगी तो उसको कम्पेन्सेशन दिया जावेगा। जब यह प्रिन्सिपल है तो जिन आदमियों की प्रोपर्टी हम ले रहे हैं उनको हम मुआवजा क्यों न दें। हमको अवश्य उसके लिये एडीक्वेट कम्पेन्शन देना चाहिये। अब जो भावना हमारे सामने आती है उसमें जो लिबरल व्यू मैं सदन के सामने रखता हूँ और इससे लोगों को बेजा फायदा भी हो सकता है। इस कारण से हो सकता है कि जहां हजारों एकड़ जमीन जागीरदारों के पास थी और काश्तकारों के पास वह जमीन आ गई उसका बेजा फायदा हो सकता है। यह

(श्री आबिद अली)

मैं अपने पोइन्ट ऑफ व्यू से कहता हूँ। दूसरे लोगों के दूसरे व्यूज हो सकते हैं। मगर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मैं उसको बेजा फायदा नहीं मानता। इसका यह कारण है कि वह जमीन हजारों साल से उनके कब्जे में रही है और उस पर उनका राइट था। हम परिवर्तन लाना चाहते थे इसलिए हमने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और उन लोगों ने भी इस कार्य में सहानुभूति दिखाई और उन्होंने पीसफुली स्टेट को अपने राइट्स दे दिये। मैं आपसे यह अपील करूंगा कि जब हम उनके राइट्स को हमेशा के लिए एक्सटेन्गिवश करने जा रहे हैं तो हमें चाहिये कि उनको किसी भी तरह से डिस्सेटिस्फाई न करें। एक बात तो यह हुई।

दूसरा यह कि जब हम इस सम्बन्ध में लॉ बनाने जा रहे हैं तो हजारों बीघा या हजारों एकड़ जिनके पास जमीन है, हो सकता है मुझे समझने में गलती हो उन्होंने अपने और अपने बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोगों से ऊंची कीमत में जमीन दूसरों से खरीद की और जो एक्चुअल प्राइस उसी जमीन की थी उससे भी ज्यादा कीमत देकर खरीदी अगर आप उनके सेल्स डीड को और उसके फैक्ट एन्ड फिगर्स को देखेंगे तो आपको बाध्य होना पड़ेगा कि उन्होंने ४०० रु०, ५०० रु० फी बीघा ज्यादा देकर जमीन खरीदी है: यह सिर्फ उन्होंने अपने और अपने बाल बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खरीदी थी। मैं एक लीगल प्रेक्टिशनर हूँ और मेरी काफी इन्कम है। मगर फिर भी मैं असेम्बली के एम० एल० ए० की हैसियत से २५०) रु० माहवार लेता हूँ। आज मैं त्याग की भावना नहीं रख सकता हूँ। यह ह्युमन नेचर का तकाजा है। तो जिस काश्तकार के पास ५० एकड़ जमीन थी और उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और अपने बच्चों के फायदे के लिए बाजार के भाव से ज्यादा कीमत देकर उस जमीन को खरीदी हो, आज से दो वर्ष पहले खरीदी हो तो वह भी इस कानून में आ जावेगा। उन लोगों ने बोनाफाइड में खरीदी है। मगर सीलिंग में जितनी हमने जमीन छोड़ना कायम किया है उतनी ही उनके पास रह सकेगी। जिस समय उससे जमीन जो ज्यादा है छीनी जावेगी तो आप ही बतावें कि उनके दिल की क्या हालत होगी और उनका दिल आपके प्रति क्या कहेगा, जिन्होंने अपने बच्चों की आर्थिक स्थिति और उनको ऊंचा उठाने के लिए खरीदी है। आपको उनके सेल डीड और फैक्ट्स और फिगर्स से सैकड़ों मिसालें मिलेंगी कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रोपर्टी खरीदी और उनका मूल कारण यही था कि उनकी स्थिति आर्थिक तौर से अच्छी हो जावे।

आप सीलिंग इम्पोज करेंगे। मैं कोई सीलिंग को अपोज नहीं कर रहा हूँ मगर मैं यह कहूँगा कि आप इन्डस्ट्रीज की तरफ भी देखें। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने ६० लाख रुपया सीमेन्ट फैक्ट्री को दिया है। जहां पर इण्डस्ट्रीयल को और मालदार बनाने की बात है और यहां पर उन काश्तकारों ने जिन्होंने काफी रुपया खर्च करके जमीनें मोल ली हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खरीदी हैं उनका नम्बर भी आ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि युनि-

(श्री आबिदअली)

फोर्म लों बने। आज उस जमीन का मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिये जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है। अगर जमीदार के पास ज्यादा जमीन है तो उसको मिलना चाहिये। आज जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको मुआवजा मिलना चाहिये। तो इसलिए कल ही हाउस में पंतजी के उस बिल की बात आयी थी कि जितनी जमीन हो, सरेन्डर की है तो एक्चुअल कम्पेन्सेशन उसको मिल जाय; मैं उसके पक्ष में हूँ। जो एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है उसको कम्पेन्सेशन मिल जावेगा, पोकेट से रुपया खर्च करके जमीन पर्चेज की है उसको कम्पेन्सेशन उसका मिल जायेगा। यदि एक्चुअल प्राइस पर भी कम्पेन्सेशन देंगे तो जितनी रकम में जमीन खरीदी थी उससे आज कीमत बहुत अधिक हो गई है। इसलिए इसके लिए कोई एक सीमा निर्धारित कर दी जाय। जैसे २५ एकड़ जो सरेन्डर करता है उसको इस हद तक, ५० एकड़ जो जमीन सरेन्डर करता है उसको इस हद तक और उससे अधिक जो सरेन्डर करता है उसको इस हद तक। मैं समझता हूँ कि इसका यही best possible way है।

**श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जमीन का मुआवजा देने के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे भी अपने विचार मुआवजा देने के लिए व्यक्त करने चाहियें। बहुत पहले जब हम पराधीन थे, दूसरे लोगों के अधिकार में थे उस समय हम गांव गांव जाकर कांग्रेस का प्रचार करते थे और कहते थे कि :

> अमीरी मिटा के गरीबी मिटाना।
> बदलनी है दुनियां, बदलना जमाना॥

हमने जमाना बदल दिया पर अमीरों को नहीं बदल सके और न गरीबी मिटा सके। जो नारा हम लगाते थे उसका मतलब अमीरों के धन को बर्बाद करना नहीं था और गरीबों को धन देना नहीं था। अमीरों को किस तरह से मिटाना है उसके लिए यह कल्पना थी कि अमीर इतना अधिक खाते थे कि उनको अधिक खाने से अजीर्ण होता था जिससे उनको खट्टी खट्टी डकारें आती थीं और इलाज कराने वैद, हकीमों के पास वे दौड़े जाते थे। एक तरफ गरीब भूख से मरते थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे यह आशंका हो रही है कि आप विषय से कहीं आगे जाकर भटक न जायं। चूंकि डकारों का प्रश्न आ गया है और यह इतना विस्तृत हो सकता है कि आपको सीमा में रखना मुश्किल हो जाय।

(हंसी)

**श्री भैरवलाल 'काला बादल'** : हमारा सीलिंग लगाने का प्रश्न यह था कि आज देश में धन और श्रम की आपस में लड़ाई हो रही है। एक तरफ धन है और दूसरी तरफ श्रम है। जिनके पास धन है वे आज भी एशो आराम करते हैं और दूसरी तरफ जो श्रम करते हैं वे भूखों मरते हैं। दोनों को ठीक किया जाय इसलिए सीलिंग लाना पड़ा

(श्री भैरवलाल 'काला बादल')

है और जिस पर हम विचार कर रहे है। हमारे देश में आज धनवानों की दुनिया चल रही है। मेहनतवश भूखे मर रहे हैं, दौलत के मद में धनवान चूर हैं उनको कोई ख्याल नहीं कि मेहनत करने वाला मानव आज चक्की में पिस गया है। जिनके पास आज दौलत है यदि वह किसी व्यक्ति को कत्ल भी कर देता है तो वह बरी होता है। इस तरह देश में धन और श्रम की लड़ाई है। जब तक इसके नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मेहनत करने वालों की हालत ठीक नहीं हो सकती है। उनकी आर्थिक दशा सुधर नहीं सकती।

जमीन के मुआवजे का प्रश्न चल रहा है। जमीन तो सब की थी। लेकिन जिनके पास दौलत थी उन्होंने बेईमानी से, दौलत से या किसी तरह से उस जमीन को अपने अधिकार में ले लिया था। वैसे तो जमीन, हवा और पानी इन तीनों पर हरएक का अधिकार है। जमीन सबके अधिकार में रहनी चाहिये थी मगर कुछ लोगों ने सीधे-सादे लोगों को चकमा देकर अधिक जमीन इकट्ठी कर ली जिससे वे धनवान बन गये, उनके हवेलियां झुक गई, जो लोग जमीन के लिए आशा लगाये बैठे हैं कि जमीन बेजमीनों को भी मिलेगी, लेकिन उनको मिले कैसे ? आप कहते हैं कि जमीन का मुआवजा दिलाया जावेगा। मैं कहता हूँ कि जिनके पास ठंड से बचने के कोई साधन नहीं हैं, जो ठंड में ठिठुरते हैं उन ठंड में ठिठुरते हुए लोगों के पास फिर मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं तो जमीन नहीं मिलेगी।

सीलिंग का कानून तो आप अब लाये हैं जब कि पहले से ही लोगों ने बड़े बड़े फार्म ए हैं। सांगानेर तक जाकर देख लीजिये कि कई लोगों ने बड़े बड़े प्लॉट ले लिए हैं। जमीन पाने के लिए अभी तक गरीब उलझा ही रहा है कहीं बंजड़ जमीन है तो राजस्ववाले कहते हैं कि जंगलात से मिलेगी, जंगलातवाले कहते हैं कि राजस्व से मिलेगी। जमीन की भूख बढ़ रही है जिनके बाप दादों ने भी कभी खेती नहीं की है वे भी जमीन के मालिक बन गये हैं। जयपुर के पास ही देख लीजिये कि कितनी जमीन उन्होंने ले ली है। अब आप गरीबों को कहते हैं कि उन लोगों को बाजार भाव से दिलावेंगे। गांववालों को तो बारानी जमीन का भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं तो यह समझता हूँ कि गरीब सीलिंग से बची हुई जमीन की बाट देख रहे हैं। मुआवजा की नीति रख कर सरकार से मुझे ऐसा लगता है कि पैसेवालों से सरकार को डर लगता है। गरीबों को तो हजारों वर्षों से जमीन नहीं मिली है। अभी जागीरदारों के पास जमीन नहीं है। जो जमीन का बंटवारा इस सीलिंग से करना चाहते हैं वह बंटवारा तो सीलिंग लाने से पहले हो हो गया। अब तो थोड़ी बहुत जमीन कहीं से मिलेगी। जमीन तो पहले से ही बंट गई। इसलिए जो थोड़ी बहुत जमीन है वह तो गरीबों को बिना मुआवजा के ही मिलनी चाहिये, यही मेरा विचार जो था वह मैं व्यक्त करना चाहताथा।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(सरकार की ओर से जवाब देंगे ऐसी आवाज)।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो कुछ बाकी रहा उस पर बोलेंगे।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह सवाल है कि जो कम्पेन्सेशन है वह लैंड एक्वीजिशन एक्ट के मुताबिक देना चाहिए या नहीं। मैं निवेदन करूं कि हमने एक विधान बनाया और विधान के अनुसार यह निश्चित किया कि किसी से कोई वस्तु ली जाय तो उसको मुआवजा दिया जाय। उसी के अनुसार हमने लैंड एक्वीजिशन एक्ट ५३ में पास किया है उसमें ये धारायें रखी थीं कि किस तरह की जमीन हो और किस तरह का मुआवजा देना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां यह भावना नहीं है कि किसी गरीब से पैसा लिया जाय या किसी गरीब को पैसा दिया जाय या किसी अमीर को लूटा जाय। यहां इस बात का सवाल है कि जो जमीन ले रहे हैं उसका मुआवजा देना चाहिये और वह किस तरह से देना चाहिये। अब यहां यह कहा जाय कि जमीन थी और हजारों वर्षों से उनके पास थी और आज उनसे ले रहे हैं तो फिर उनको मुआवजा देने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊं उदाहरण देकर कि किसी पिता के चार पुत्र हैं। एक को दो लाख के शेयर मिले, एक को दो लाख की बिल्डिंग मिल गई, एक को दो लाख नकद मिल गये और एक को दो लाख की जमीन मिल गई। पिता के चारों पुत्र थे और उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब यहां यह निवेदन है कि जिस पुत्र को दो लाख की जमीन मिली है उससे यह कह देना कि दो लाख की तुमको जमीन दी है इसलिए उसको मुफ्त में दे दो चाहे बाकी के भाई मालदार बने रहें। यह बात समझ में नहीं आ सकती। सिद्धान्त रूप से यह देखना है कि दरअसल मुआवजा देना है। वह एक तरीके से देना है और लैंड एक्वीजिशन एक्ट बना रखा है उसके तरीके से देना है। यहां जागीरदारों का सवाल नहीं है। इसमें काश्तकार भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से जमीन खरीदी और उनमें कुए बनाये। क्या काश्तकारों का रिप्रेजेन्टशन यहां नहीं है? उनका रिप्रेजेन्टेशन रखना चाहते हैं मैं इस संबंध में यह अच्छा नहीं समझता कि जागीरदारी शब्द इसमें प्रयोग किया जाय।

यहां पर न तो जागीरदार का सवाल है और न जमीदार का यह तो राजस्थान के किसान का सवाल है चाहे वह महाजन हो या अन्य कोई हो। हमने जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन का प्रावधान रखा है पांच आदमियों के कुटुम्ब के लिए उससे अधिक जमीन जिस किसी के भी पास है उससे हमें लेना है और उसका कम्पेन्सेशन देना है। ऐसी स्थिति में यह सोचना कि हम अन्याय कर रहे हैं या मुफ्त में ले रहे हैं कतई उचित नहीं है। हमें कम्पेन्सेशन, लैंड एक्वीजिशन कर रहे हैं उसका देना है इसके लिए यह कहना कि किसी को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये इसको मैं न्याय संगत नहीं मानता। आज शहरों में जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं उनके मकान को यदि सरकार लेती है तो वह कैसे मुआवजे की मांग करते हैं, आज जिनके शहरों में चालीस, चालीस हजार के बंगले खड़े हैं उनको लेने पर उनको कितना मुआवजा देना पड़ता है वैसे ही एक काश्तकार के लिए यह कहना कि उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये दो तरह की बातें नहीं हो सकतीं। चाहे किसी

( श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा )

की भी कुछ चीज हम लें हम उसका मुआवजा दें और उस मुआवजे का तरीका लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत दिया जाना चाहिये, वही प्रावधान यहां पर भी लागू किया जाय यह बिल्कुल ठीक है।

३.२ म. प.

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग से सरेन्डर होने के बाद जो जमीन सरकार के अधिकार में आयेगी उस भूमि का क्या कम्पेन्सेशन दिया जाय, यह इस समय सदन के लिए वाद-विवाद का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कल से जब से भाषण सुनना आरम्भ किया था उस समय से लेकर अब तक इस प्रकार की राय सदन बनाता जा रहा है कि हमें उन लोगों को मुआवजा देना चाहिये जिनसे हमने भूमि प्राप्त की है या जिनसे भूमि प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं भी ऐसा समझता हूँ कि सदन की जो इस प्रकार की राय बनती जा रही है उस राय में मुझे भी इजहार करना चाहिये। लेकिन राय बनाने से पहले मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने यह अपनी राय किस कारण बनाई है। यहां पर जो सबसे ज्यादा वाद-विवाद का विषय है वह यह है कि भूमि का कम्पेन्सेशन लैंड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत दिया जाय या राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्दर जो काम्पेन्सेशन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है उसके अनुसार दिया जाय। इन दोनों में मैं विशेष प्रकार का मतभेद समझता हूँ। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत जो भूमि अवाप्त की जाती है वह दूसरे कार्यों के लिए भी हो सकती है। उसके अन्तर्गत जो जमीन ली जाती है वह सार्वजनिक हित के कार्य के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना का समावेश उसमें किया गया है। अब हमको यह देखना पड़ेगा कि आज सीलिंग के जरिए जिस भूमि पर सरकार का अधिकार होने— वाला है और उस भूमि को सरकार दूसरे लोगों को अलॉट करने वाली है वैसी हालत में हमें यह देखना है कि उस भूमि का एक्वीजिशन सार्वजनिक हित में है या व्यक्तिगत हित में। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम इस एक्वीजिशन को दो भागों में बांट नहीं सकते। इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार से जो भूमि ली जायगी वह सार्वजनिक हित में ही है। सार्वजनिक हित का मतलब है इस प्रकार की भूमि जो अवाप्त की जायेगी वह केवल सार्वजनिक हित में ही आयेगी, व्यक्तिगत रूप से किसी को फायदा नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस प्रकार से जो भूमि ली जायेगी उसका एक्वीजिशन सार्वजनिक हित में नहीं होगा। यह इस प्रकार की स्थिति है जिसमें लैंडलैस टिनेन्ट्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको जीवन निर्वाह के लिये भूमि दी जाती है, इस भूमि के द्वारा हम समाज के उस अंग में जो लाइफ लैस है उसको भूमि देकर उसको जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध करा रहे हैं, इस प्रकार से जो भूमि को अवाप्त करने जा रहे हैं वह सार्वजनिक हित का है। लेकिन सरकार का जो हमें अनुभव है, उनकी कार्यवाही से अनुभव करते आये हैं उसके अनुसार कहा यह भी जा सकता है कि सरकार कई स्थानों पर उस भूमि का सार्वजनिक उपयोग होगा, इस प्रकार की व्यवस्था करती है। कई स्थानों पर सरकार की यह कार्यवाही

( श्री भैरोंसिंह )

सार्वजनिक उपयोग की न होकर व्यक्तिगत उपयोग की हो सकती है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। अब इस दृष्टि से मैं यह समझता हूँ कि हमें सरकार के अनुभव को विशेष रूप से महत्व नहीं देना चाहिए। सरकार गलत कार्य करती है इस कारण हम इस प्रकार की नीति बना लें जिसके कारण गलती की दुरुस्ती न हो बल्कि दुरुस्ती के लिये और दूसरी प्रकार की गलती करें यह उचित नहीं है। हमें इसके लिये यह सिद्धान्त अपनाना पड़ेगा। हमारे संविधान के अन्दर प्राइवेट प्रोपर्टी के सम्बन्ध में मौलिक आधार क्या माना है? हम कोई भी कानून बनायें हमें संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिये। इस प्रकार से यह कहना बहुत आसान है कि लोगों से जमीन ले ली जाय लेकिन जहां हम लोगों की सम्पत्ति लेते हैं उसका नोमीनल कम्पेन्सेशन दिया जाय। मैं समझता हूँ अगर हमारे देश में इस प्रकार की लोगों की भावना पनप जायेगी तो हमें इस प्रकार के कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और लोगों की भूदान और ग्रामदान के रूप में इस प्रकार की सारी समस्या दूर हो जायेगी। लेकिन भूदान और ग्रामदान का जो प्रत्यक्ष अनुभव हम देख रहे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार की लोगों की भावनायें देखने में आई हैं केवल भावनात्मक भाषणों से जमीन के छोड़ने की बात कही जाती है वह लोगों के दिल में नहीं बैठी है। वैसी हालत में यह कहना कि लोगों से जमीन तो ले ली जाय किन्तु उसका मुआवजा किसी प्रकार से न दिया जाय या वे मुआवजे की मांग न करें यह कदापि नहीं हो सकता। जिस तरह से शहरों के अन्दर मकान लिये जाते हैं तो उसका कम्पेन्सेशन देने का प्रोविजन है कि मार्केट वेल्यू किस प्रकार से असेस की जायेगी, कम्पेन्सेशन कितने इन्स्टॉलमेंट में होगा। जब अर्बन पोपुलशन के लिए तय कर रखा है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये किसी का मकान या जमीन ली जाती है तो उसके मुआवजे के लिये विशेष प्रकार का नियम बना रखा है। इसमें यहां देखा गया है कि जागीरदार और जमींदार का नाम लेकर एक्सप्लोइट करने की कोशिश करते हैं। जागीरदार और जमींदार के नाम पर कुछ इस प्रकार की घृणा पैदा करना चाहते हैं ताकि असलियत से दूर होकर गलत कानून बना दें। लेकिन उनको यह ध्यान में रखना चाहिये कि इसका प्रभाव समस्त काश्तकार वर्ग पर पड़ेगा। आज कोई यह कहे कि सारी जमीन जागीरदारों के पास चली जायगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की सारी जमीन का कम्पेन्सेशन राजस्थान सरकार केल्कुलेट करके देख ले तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान सरकार को जितना कम्पेन्सेशन जागीरदारों, को देना पड़ेगा उनको काश्तकारों के मुकाबले कम होगा जिनको कम्पेन्सेशन दिया जाने वाला है। यह सही है कि कई जागीरदारों के पास कहीं अधिक जमीन है और उनके पास जो अधिक जमीन है उस अधिक जमीन का अधिक मुआवजा मिलेगा। जितने भी जागीरदार हैं सबके पास अपनी अपनी जमीन है। इस कानून के द्वारा अधिक जमीन है उनको सरेन्डर करना पड़ेगा वैसी हालत में यह कहना कि इस तरह से जो अधिक जमीन का मुआवजा जायेगा वह जागीरदारों के पास जायेगा! लेकिन आज

( श्री भैरोंसिंह )

जहां गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जहां जागीरदार नहीं हैं, जमीदार नहीं हैं वहां तो केवल काश्तकार हैं जिनके पास कई मुरब्बे जमीन है। उनको भी जो अधिक जमीन है वह सरेन्डर करनी पड़ेगी। उसकी मार्केट वेल्यू क्या होगी, उसका असेसमेंट करके देखें गंगानगर या जहां भी मेजर प्रोजेक्टस हैं उनमें इर्रिगेटेड एरिया है उनसे कितनी सरप्लस लैंड मिलेगी, उनको कितना कम्पेन्सेशन देना होगा ऐसे स्थानों के मुकाबले सारे राजस्थान के कम्पेन्सेशन को देखा जाय तो इनके मुकाबले सारे राजस्थान का अमाउन्ट कम होनेवाला है। आज कहते हैं कि जागीरदारों की जमीन ज्यादा है। मैं कहता हूँ वह कैसी ज्यादा है। बारानी पड़ी है जिसमें पहाड़, टीले कुछ ऐसा फोरेस्ट खड़ा है, जिनकी मार्केट वेल्यू देखी जावे और मार्केट वेल्यू के हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जावे तो, हालांकि टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन रखा नहीं जावेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उससे ज्यादा पैसा मिलनेवाला नहीं है। टोंक में ज्यादा जमीन बताते हैं।

(हंसी)

हंसी की बात नहीं है। ऐसा सोचा जाता है। यदि ऐसा भी मान लें जैसा कि १२ हजार बीघा जमीन की बात कहते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी १२ हजार बीघा जमीन सरकार को सरेन्डर की गई तो सरकार उस जमीन का २० रुपया से ज्यादा मुआवजा नहीं दिला सकती। जब कि इसके मुकाबले में गंगानगर इलाके की पांच बीघा जमीन सरेन्डर की जाती है तो १२ हजार बीघा और ५ मुरब्बा जमीन की कीमत बराबर होगी बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ। तो आज कोई यह कहे कि जागीरदारों को ज्यादा मिलने वाला है तो मैं ज्यादा बात तो नहीं बनाऊंगा पर यह कहूँगा कि केल्कुलेट करके असलियत को अगर देखा जावेगा तो पता लगेगा कि ज्यादा खाने वाला जागीरदार है या काश्तकार। मैं जागीरदारों को भी काश्तकार मानता हूँ।

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदारशहर) : यह किसने कहा कि जागीरदारों को ज्यादा मिलनेवाला है?

**श्री भैरोंसिंह** : आपने कहा।

**श्री चन्दनमल वैद** : यह आप एन्टीसिपेट गलत कर रहे हैं?

**एक माननीय सदस्य** : कई बार....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप झगड़े के बीच में क्यों पड़ रहे हैं?

(हंसी)

**श्री भैरोंसिंह** : आप से सीख कर आया हूँ। मैं चल कर बता सकता हूँ कहां पर बहुत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो जारी रखिये।

**श्री भैरोंसिंह** : तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह की बात दूर रख कर विचार करना चाहिये। न यहां जागीरदार का कन्सीडरेशन है, न गंगानगर के किसान का, न जयपुर और सरदारशहर के किसान व्यापारी का दृष्टिकोण है। केवल दृष्टिकोण है उनका जिनकी जमीन पर अधिकार करके उनसे जमीन लेकर बांटी गई तो क्या मुआवजा दिया जावे।

( श्री भैरोंसिंह )

इस पर विचार करने से पहले हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिये हुए हैं उन पर विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमको सार्वजनिक हित की दृष्टि में कम्पेन्सेशन देकर किसी आदमी की प्रोपर्टी पर अधिकार करने का हक है। लेकिन वह अधिकार कम्पेन्सेशन देकर प्राप्त करने का जो प्रावधान संविधान में रखा है आज कोई उसको एक साधारण चीज समझ कर और इस प्रकार फॉर्मल चीज समझ कर संविधान में तीन चार लाइनें लिखी हैं, वाइड हैं और इसको लेकर हम किसी को मामूली सा मुआवजा भी दे दें और किसी को कुछ न दें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नोमीनल मुआवजा देने का प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन बनानेवालों के सामने अगर पैदा होता तो इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखते और 'नोमीनल' शब्द कभी नहीं लिखा जाता। लोगों की प्रोपर्टी सोशियल हित, समाज हित के लिए ली जाती है तो कम्पेन्सेशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखते। पर मुआवजा दिया जावे इसका जो उल्लेख संविधान में है इसके पीछे बड़ा महत्व है, अपना एक अलग से इतिहास है और वह इतिहास इस बात का है कि इसकी आड़ लेकर कोई 'लोगों की जमीन या प्रोपर्टी सार्वजनिक नाम पर छीन न ले। सार्वजनिक नाम पर तभी लिया जावे जब उसको पूरा रीजनेबल कम्पेन्सेशन मिल जावे। इस पर मोटा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कितना रीजनेबल और कितना अनरीजनेबल हो सकता है? तो यहां इस भूमि के प्रश्न को लेकर इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो वह भूमि जिसको यह जान कर कि वह हमारे अधिकार में रहनेवाली है, लोगों ने उसको उन्नत बनाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस जमीन का किस प्रकार से मुआवजा दें? दूसरा इस प्रकार का कि जो कई वर्षों से फालतू पड़ी है, जिस पर काश्त नहीं होती, बेकार पड़ी है इस प्रकार की भूमि पर अधिकार करने के लिए किस प्रकार का कम्पेन्सेशन दिया जावे? मैं समझता हूँ इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

जिनको आज से तीन वर्ष पहले आपने अधिकार दिया था कि १५ अक्टूबर, ५५ से वे अपनी उस भूमि के मालिक होंगे, उसके अन्दर अपने मन माफिक इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और उसका कम्पेन्सेशन मिलेगा यदि किसी कारण से आपको वहां से इजेक्ट किया गया तो। पर आज टिनेन्सी एक्ट में संशोधन द्वारा प्रावधान करके सीलिंग के हिसाब से जमीन छुड़ाना चाहते हैं तो यह विचारना पड़ेगा कि ३ वर्ष पहले जिसको मिल्कियत का अधिकार आपने दिया था और जिसको तीन वर्ष बाद आप पुनः छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं कानून बना कर तो कम से कम ऐसा प्रावधान रखना पड़ेगा जिसके अनुसार हमारे एश्योरेन्स जो हमने पहले उनको दिये थे मालिकाना हक के वे फ्युडाइल न हो जावें। ऐसा न हो जावे कि इन कामों से सरकार पर जनता किसी प्रकार का अविश्वास करने लग जावे। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी योजना और आगे आनेवाली योजना आप मानते हैं कि सभी पब्लिक के कोऑपरेशन से चलती है और पब्लिक का कोऑपरेशन सरकार को तभी मिल सकता है जब कि सरकार के कर्त्तव्यों के प्रति जनता को विश्वास हो, सरकार ने जो एश्योरेन्स दिये उनके

( श्री भैरोंसिंह )

प्रति अविश्वास न हो। हम अपने भाषणों से जनता को विश्वास दिलाते रहे, पर कानून की पद्धति के अनुसार जो विश्वास पूरे तीन वर्ष तक दिलाते रहे, उस विश्वास को हम कानून से पुष्ट करते रहें पर अगर आज हम इस तरह का कानून बनाते हैं तो इससे उस पद्धति का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सामूहिक रूप से सरकार के प्रति जनता का अविश्वास पैदा हो जावे और फिर पब्लिक योजनाओं में और अन्य बातों में सरकार को कोऑपरेट न करें। तो कोऑपरेशन के विषय पर कानून निश्चित रूप से बनाना चाहिये कि हमने जो एश्योरेन्स पब्लिक को दिये थे उनमें नोकॉन्फीडेन्स पब्लिक को न हो।

अब प्रश्न यह आता है कि जो मुआवजा तय किया उसमें टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान के अनुसार दिया जावे या लैंड एक्वीजिशन के प्रावधान के अनुसार दिया जावे? मैं ऐसा समझता हूँ कि, कई माननीय सदस्यों ने कहा भी कि जागीरदारों को दुबारा मुआवाजा मिलेगा। जागीर रिजम्पशन के नाम पर पहले उसी जमीन पर मुआवजा ले लिया और अब दुबारा जब जमीन का सीलिंग होने जा रहा है तो और मुआवजा मिलेगा। कहनेवाले माननीय सदस्य इतना कहने से पहले अगर जागीर रिजम्पशन एक्ट को देख लेते तो सदन का समय बचाने में सहयोग मिलता और वे इस प्रकार की बातें न कहते। मैं भी उनको नहीं दोहराना चाहता और इतनी ही अपील करूंगा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट को देख कर फिर बाद में अपनी राय बनावें।

मैं इतना ही कहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, आज जागीरदारों ने जागीर रिजम्पशन एक्ट के बाद भूमि रिटेन की है तो इसके बाद कोई ऐसा समझे कि उसका इन्टरेस्ट जागीर रिज़म्पशन के बाद उसके साथ ही खत्म हो गया इसलिये कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये था यह गलत है। उसके बाद वह भी काश्तकार बन गया। जो उनको ऊपर से प्रोटेक्शन था वह हट गया और वे भी आजाद हो गये और एक समान सिटीजन के नाते सिटीजन के सभी अधिकार उनको भी मिल गये। तो एटपार इस बात पर हमें विचार करना होगा, चाहे वह फिर किसान हो, जागीरदार हो, कोई हो उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी को स्नेच तो नहीं करना चाहिये पर कानून के जरिये लेने की कोशिश करते हैं तो उस पर कितना मुआवजा दिया जाय। इस पर निवेदन करूंगा कि आज इस प्रकार के इश्यू में सार्वजनिक हित से भी विचार कर सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ भी लोग उठा सकते हैं उस दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यह एक कम्प्लीकेटेड इश्यू है इसलिए ऐसे इश्यू को सोल्व करने के लिए ऐसे साधन रखे जावें जो अयुक्त न जंचे। मैं अपने ऊपर लेकर कहता हूँ। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से ५० ऑर्डिनरी एकड़ आते हैं और इस हिसाब से मेरे पास ८० आर्डिनरी एकड़ जमीन है। मुझे ३० एकड़ सरेन्डर करनी पड़ती है। बदकिस्मती से मेरे वहां कोऑपरेटिव सोसइटी बनती नहीं। तो ऐसे आदमी को वह जमीन दी जावे जो खेतिहर भी हो। दूसरे को दे दी जावेगी तो और दुख होगा। अब खेतिहर को भी दे दी गई तो उस स्थिति में मैंने यदि उस जमीन पर डवेलपमेंट किया है उसको टिनेन्सी एक्ट का संशोधन बताकर ५००) रु० मेरे हाथ में पकड़ा कर ले ली जावे और उसका एक आदमी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये

( श्री भैरोंसिंह )

उपयोग करे तो इससे आप एक के प्रति अन्याय करते हैं तो दूसरे के प्रति वाजिब न्याय नहीं, अपेक्षित न्याय नहीं पर जैसे कोई अनवारेन्टेड प्रिविलेज देते हैं उस प्रकार का प्रिविलेज होगा।

मैं यह चाहता हूं कि जितने भी गरीब हैं उनको जमीन मिले। मैं यह भी चाहता हूं कि जितने लैण्डलैस टिनेन्टस हैं उनको सरकार जमीन दे लेकिन उसका कायदा होगा सरकार के नियम और सरकार के नियमों का कट्टरता से पालन। आज हम नियम तो बना देते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन नहीं मिलनी चाहिए और अगर आज उनके पास जमीन जाती है तो इसमें भावना का कसूर नहीं है, नियमों का कसूर नहीं है अगर कसूर है तो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जनता जान बूझ कर सरकार की कार्यवाहियों के ऊपर इस प्रकार के छिछोरे करती है कि जिनसे जनभावना उभड़ जाये। उस स्थिति में हमें नियम बनाने पड़ेंगे और उन नियमों के अनुसार डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कम्पेन्सेशन देने के प्रश्न पर यह ध्यान में रख कर कि हमें पूरा कम्पेन्सेशन देना है ताकि उनको हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन हो जाये और गवर्नमेन्ट की तरफ से उनको समय समय पर एश्योरेन्स दिये जाते हैं वह भी फुलफिल हो सकें। ऐसी स्थिति में पूर्ण कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था देनी पड़ेगी और उस स्थिति में लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट का जो प्रावधान कम्पेन्सेशन देने के बारे में है वह पर्याप्त है।

एक प्रश्न अब आता है जो बहुत ही जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न पर सदन में विचार किया जाना आवश्यक है। यह प्रश्न बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत जो मुआवजा देंगे वह कन्सोलिडेटेड फण्ड से दिया जायेगा। इसकी लाइबिलिटी किसानों पर आती है या नहीं। मैं भी अपनी इस ओपीनियम का हूं कि यदि सरकार ने जमीन को मुफ्त बांटने का प्रश्न पैदा कर दिया तो जमीन के लिए जो किसानों का नेचुरल अटेचमेन्ट होना चाहिए प्रोडेक्शन पोइन्ट ऑफ व्यू से और उसको ज्यादा से ज्यादा फर्टायल बनाने के पोइन्ट ऑफ व्यू से तो वह नेचुरल अटेचमेन्ट नहीं हो सकेगा। सब ऐसा समझेंगे कि एक दरख्वास्त पेश की थी तहसीलदार को और उन्होंने जमीन अलॉट कर दी और लोगों का उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था और उसको फर्टाइल किया हुआ था और अपने को मुफ्त में मिली है तो मुफ्त की जो चीज होती है और उसका उपयोग जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जायेगा। तो ऐसी स्थिति में एक किसान को जमीन के प्रति नेचुरल एटेचमेन्ट कायम करने के लिए कुछ लाइबिलिटी उसके के ऊपर डालनी पड़ेगी जो कि उसको बाद में जोतेगा हम उस लाइबिलिटी का कम ऐसा बनादें जिसको कि वह सहन कर सके। उसके अन्दर आज उनका सहयोग लिया जा सकता है जोकि लो सीलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे देश में कैपिटीलिस्ट हैं, हमारे देश में टैक्स को बचाने वाले लोग हैं, हमारे देश में ऐसे और रिसोर्सेज़ हैं जिनसे गरीबों से पैसा इकट्ठा करके नहीं बल्कि पूंजीपतियों से इकट्ठा करके ऐसा

( श्री भैरोंसिंह )

सेन्ट्रल पूल बना सकते हैं जिसमें ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे गरीबों को पैसा मिल जाये और गरीब अपना अधिकार जमीन पर कर लें अगर गवर्नमेंन्ट ऐसों से सहायता ले तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं आयेगा जिसको कि वह हर साल टेक्स लगा कर वसूल करती है। उन लोगों को भी जलन नहीं होगी जिन लोगों से जमीन ली जायेगी और मुफ्त में बांटी जायेगी। इस स्थिति में मैं यह चाहूंगा कि जमीन जिस तरह से दी जाये उनके ऊपर भी थोड़ी रेस्पान्सीबिलिटी डाली जाय। उसको पूरा करने के लिए हमारे देश के जितने भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं उनके ऊपर इस प्रकार का टेक्स लगायें और वह इस तरह का टैक्स हो कि सारा समय निकलने के बाद में वह रुपया उनको वापिस रिफण्ड कर दिया जाय और ऐसा सेन्ट्रल पूल बनाया जाये कि जितना रुपया केपिटीलिस्ट्स से इकट्ठा कर सकें उन लोगों को क्रेडिट के बेसिस पर रुपया देकर जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाये तो मुफ्त की जमीन नहीं मिलेगी और उससे अपना ज्यादा अटेचमेन्ट लगा कर प्रोडेक्शन बढ़ायेगा और जितनी भी पैदावार वह अधिक से अधिक कर सकेगा उसके लिए निरन्तर प्रयास करता रहेगा।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गरीब किसान के नाम पर, लैंण्डलैस टिनेन्ट के नाम पर, हरिजनों के नाम पर केवल इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना लिया कि जमीन का मुफ्त में बंटवारा करना है तो उसको मैं उचित नहीं समझता और उसको उचित इसलिए नहीं समझता कि जमीन से उसका अटेचमेन्ट नहीं होगा और लोगों को जलन पैदा होगी और जिस प्रकार का आप कोऑपरेशन लेना चाहते हैं वह नहीं बनेगा। उन सब पोइन्ट ऑफ व्यू से हमें कुछ न कुछ उनके ऊपर रेस्पोन्सीबिलिटी डालकर उसको पूरा करने की व्यवस्था अपने हाथों में सरकार ले और ऐसे नियम बनाये जिससे सारी बातें खत्म हो जायें। अन्त में मैं यही कहते हुए कि लैण्ड एक्वीजिशन के मातहत जो भी कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा है जिसको एडोप्ट करने के बारे में सरकारी रुख बनाया हुआ है वह उचित है।

इसके बाद मैं एक संशोधन बालोतरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने पेश किया था वह संशोधन गलत तो नहीं है, उचित है......

**श्री उपाध्यक्ष** : गलत तो नहीं है इसके बाद तो आपको दूसरा शब्द कहना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : गलत नहीं है यह मेरे शब्द नहीं हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** : यह शब्द इनकी अन्तरात्मा के हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : यह आपको कहने चाहिये थे पर आपको उठने की तकलीफ नहीं हो इसलिये मैंने यह पहले ही रख दिए। इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोगों को जिनको कम्पेन्सेशन मिलने वाला है उनको यदि एक साथ मुआवजा दिया गया और जैसा कि इसमें प्रावधान है कन्सोलीडेटेड फण्ड से देने का वह एक साथ उनको दिया जाए तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक अतिरिक्त भार आएगा और उस भार की पूर्ति के लिये दूसरे साधन कोई नहीं हो सकते सिवाय इसके कि जिस प्रकार पिछली बार बजट सेशन के अन्दर ५५ लाख रुपये का टैक्स

( श्री भैरोंसिंह )

लगाया इस बार १ करोड़, ५५ लाख का लगा देंगे। राजस्थान में भविष्य में ऐसी परिस्थिति बने इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। इसलिये मेरा दृष्टिकोण यह है कि इसके लिये नियम बना लेने चाहिये। खास तौर से जागीरों के कम्पेन्सेशन मिलते हैं उनसे मेरा दृष्टिकोण ऐसा बनता है कि जिन लोगों को मुआवजा कम मिलता है जैसे कि किसी को एक हजार का मिलता है तो उसकी १५ किश्त आपने बना दी तो १५ किश्तों के अन्दर आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या मिलने वाला है। आजकल तहसील में, कलेक्टर के ऑफिस में कम्पेन्सेशन लेने के लिये जाते हैं और वहां पर किसी प्रकार से कम्पेन्सेशन मिलता है लोगों को। कितनों की खुशामद करनी पड़ती है, कितनी दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं और सरकारी और गैरसरकारी कितने टिकट लगाने पड़ते हैं उस स्थिति में मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की निश्चित् रूप से व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसका मुआवजा कम हो और मुआवजे को यदि किश्तों में डिस्ट्रिब्यूट किया-उसके पेमेन्ट से सरकार को तो बचत होगी हो और परेशानी होगी ही लेकिन साथ ही साथ उसके प्राप्त करनेवालों को भी उस मुआवजे का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा क्योंकि जब कि किसी को एक बंधी रकम नहीं मिलेगी तो वह उसका किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा। इसलिये उनको एक साथ मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करानी चाहिये। लेकिन मैं किसी भी सूरत में यह नहीं कहता कि जिन लोगों का मुआवजा काफी हो जाये और हमारे बजट के ऊपर, कन्सोलिडेटेड फण्ड के ऊपर इस तरह के भार के रूप में आये कि जिसकी पूर्ति सिवाय एडीशनल टेक्स के नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की मैं वकालत नहीं करता। उनसे तो यही कहूंगा कि उनके पास पहले ही काफी पूंजी है और उसमें और वृद्धि करने के लिये वह संयम रखें। एक साथ उसमें वृद्धि हो और मनी सारा का सारा ब्लॉक हो जाये, ऐसी चेष्टा नहीं करें बल्कि उन लोगों को एक साथ कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये जिनके पास पैसा नहीं है ताकि वह पैसा लेकर अपनी जमीन में इन्वेस्ट कर सकें और देश के लिये और अपने परिवार के लिये विशेष प्रकार का लाभ उठा सकें। इस प्रकार के लोगों को एक साथ मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिये मैं ऐसा समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं अपने दृष्टिकोण से यही कहूंगा कि जिन लोगों को ५,००० रुपये तक का कम्पेन्सेशन मिलनेवाला है उनको एक साथ दे दिया जाये और जिनको ५,००० रुपये से ज्यादा का कम्पेन्सेशन मिलने वाला हैं उनके स्लाइडिंग स्केल के बेसिस पर इन्सस्टॉलमेन्ट बढ़ा दिये जायें। यानि जिनको ज्यादा कम्पेन्सेशन मिले उनको ज्यादा से ज्यादा इन्सस्टॉलमेन्ट में पेमेन्ट किया जाये और जिनको कम मिले उनको कम से कम इन्सस्टॉलमेन्ट में पेमेन्ट किया जाये। इस दृष्टिकोण से मैं बालोतरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका इन कन्डीशन्स के साथ समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री चन्दनमल बैद** ( सरदारशहर ): माननीय उपाध्यक्ष, सीलिंग के सिलसिले में एक बहुत ही अहम प्रश्न सदन के समक्ष आज प्रस्तुत है। जिन लोगों से सीलिंग के एरिया से जमीन जो ज्यादा होगी वह ली

( श्री चन्दनमल वैद )

जायेगी और उस ज़मीन के बदले में क्या दिया जाय इस सिलसिले में एक सवाल सदन के समक्ष प्रस्तुत है। कम्पेन्सेशन दिया जाय या नहीं दिया जाय पहले तो इस बारे में काफी बहस हुई है और इस सारे सदन में, मैं समझता हूँ, एक दो माननीय सदस्य ही ऐसे हैं जो इस बात की वकालत करते हैं कि जिनकी ज़मीन लो उनको किसी तरह का कम्पेन्सेशन नहीं दो। मुझे हैरानी तो उन माननीय सदस्य के भाषण से होती है जो बार बार इस सदन में और इस सदन के बाहर उनकी पार्टीवाले इस बात की वकालत करते हैं कि हम रूस व चीन के पक्षपाती नहीं हैं बल्कि विरोधी हैं। रूस व चीन के विरोध में निरन्तर जगे हुए हैं वे सदन के समक्ष यह प्रस्ताव लाते हैं और रूस व चीन की दलील के साथ देते हैं कि कोई चीज़ लो तो कम्पेन्सेशन नहीं लो। मैं समझता हूँ कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे यहां नहीं है। ज्यादा सौभाग्य उनके लिए यह है कि दूसरे उनकी पार्टी का एक आदमी नहीं है और शायद अगर होते तो मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी की तरफ से जो भाषण आते तो निश्चित् रूप से उनके लिए दुःखदायी होता। यह निश्चित् रूप से मान्य है कि विधान में इसके लिए प्रोविज़न है कि कोई चीज़ जिसकी लो चाहे वह ज़मीन हो, प्रोपर्टी हो, सम्पत्ति किसी तरह की चीज़ हो उसका मुआवज़ा देना चाहिए, कम्पेन्सेशन देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे विधान में यह बात भी लिखी है कि कम्पेन्सेशन का सवाल किसी कोर्ट का सब्जेक्ट मेटर नहीं होगा। यह सरकार पर छोड़ दिया गया, विधान सभाओं पर छोड़ दिया गया है कि क्या कम्पेन्सेशन दिया जाय और मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कम्पेन्सेशन क्या होना चाहिए? इस विषय में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और बहुत से लोगों का यह कहना है कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत जो प्रोसीज़र है और जो मुआवज़ा दिया जाय वह उसके हिसाब से देना चाहिए और बहुत से माननीय सदस्यों का यह कहना है कि हमें वह मुआवजा देना चाहिए जो कि टिनेन्सी एक्ट में निश्चित कर चुके हैं। अब हमें देखना यह है कि कौनसा मुआवजा तय करें? किस बात के लिए समर्थन तैयार करें और किस बात को तय करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के समर्थन करनेवालों से मेरा यही कहना है कि वह इस बात को भूल जाते हैं कि जब लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट बना उस वक्त लैण्ड रिफॉर्म्स का सवाल नहीं था। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट लैण्ड रिफॉर्म्स के लिए नहीं बना है। वह तो किसी एमर्जेन्सी टाइम में किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए जमीन लेते हैं तो लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट काम में लेते हैं। लेकिन जब हम लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उस समय हम लैण्ड एक्वीजिशन की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं करते हैं। अगर आप लैण्ड एक्वीजिशन की बात करते हैं तो जिस समय जागीरदारों से ज़मीन ली उस समय लैण्ड एक्वीजिशन का सहारा ले सकते थे। जिस समय जमीदारों की जमीदारियां ली उस समय लैण्ड एक्वीजिशन का सहारा ले सकते थे। लेकिन आपने नहीं लिया, क्योंकि हम लैण्ड रिफॉर्म्स कर रहे हैं। लैण्ड रिफॉर्म्स के

( श्री चन्दनमल बैद )

सिलसिले में किसी एमर्जेन्सी पर्टीक्यूलर केस को कवर करने के लिए बना हुआ है। उसका सहारा लेते हैं तो लैण्ड रिफॉर्म्स की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं।

इस क्लॉज़ में जो लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट की बात कही गई तो जिस समय हम लैण्ड रिफॉर्म्स कर रहे हैं वह नहीं ले सकते हैं। किसी ज़मीन को किसी खास मकसद के लिए ले रहे हों यानि किसी के पास ज्यादा ज़मीन है और गौशाला के लिए ले रहे हों या किसी की ज़मीन को पोलट्री फार्म्स के लिए ले रहे हों या किसी भी ज़मीन का चाहे वह शहर में हो या देहात में किसी खास मकसद के लिए लेते हैं, कहीं पर रेल्वे लाइन के लिए लेते हों, कहीं पर सड़क बनाने के लिए लेते हों तो ऐसे पर्टीक्यूलर केसेज़ पर वह लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट एप्लाई कर सकता है। जबकि हम सब तरफ से लैण्ड रिफॉर्म्स कर रहे हों उसमें अगर आप यह कहते हैं कि लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत मुआवजा दिलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि लैण्ड रिफॉर्म्स को बात को हम भूल जाते हैं।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करना चाहूँगा वह यह है कि लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत में कीमत देते हैं तो मैं पूछता हूँ कि जब आप को कीमत देनी है तो फिर जो आज आप यह कानून बनाने जा रहे हैं उसकी जरूरत ही क्या है? कीमत देकर तो कभी भी कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। सरकार ने किसी को मना नहीं किया है कि आप कीमत देकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हम बाजार में जाकर कह सकते हैं कि कीमत दो और इस कीमत पर हम इतनी जमीन देते हैं तो आप कीमत देकर जमीन खरीद सकते हैं और लैण्ड-लैस को दे सकते हैं। यह कीमत देने की बात जो संशोधित रूप से सलेक्ट कमेटी से बिल आया है उसमें बिल्कुल बेजा है। कीमत देने का सवाल इसमें उठ ही नहीं सकता।

इस विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं और अजमेर से आनेवाले एक माननीय सदस्य ने फर्माया कि बहुत से ऐसे किसान हो सकते हैं कि जिनके पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ५ स्टेन्डर्ड एकड़ ही ज्यादा जमीन होगी उनका क्या होगा? ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से जो ज्यादा मिकदार रखते हैं यानि ३५ स्टेन्डर्ड एकड़ उनके पास है तो ५ स्टेन्डर्ड एकड़ जो ज्यादा ज़मीन है उन्हें कीमत देकर खरीदते हैं। उनसे बाज़ार भाव से खरीदते हैं। अब उसको मान लिया जाय कि रेसीरेन्ट है तो १५, २० गुना देकर जमीन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या हालत होगी? वह गरीब है उसका क्या होगा? माननीय उपाध्यक्ष, निश्चित रूप से यह ऐसा सवाल है जो गौर करने के लायक है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से केवल इतना ही पूछना चाहूँगा कि जब जागीरदारी उन्मूलन की गई थी, जमीदारी खत्म की गई उस समय क्या ऐसे जागीरदार नहीं थे जिनकी आमदनी २००) रू० सालाना थी? क्या ऐसे जमीदार नहीं थे जिनकी आमदनी २००) रु० सालाना से ज्यादा नहीं थी? तो फिर उन जागीरदारों की जागीरदारी पूरी कीमत देकर खरीदनी चाहिये थी, उस समय क्या ऐसे जमीदार नहीं थे जिन्होंने पूरी कीमत देकर जमीदारी खरीदी थी? उस समय क्यों आप इस बात को भूल गये? आज आप कीमत देने की बातें

(श्री चन्दनमल वैद )

करते हैं, आज क्यों कोई चीज खरीदने जा रहे हैं ? वह यह भूल जाते हैं कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं। भूमि सुधार के सिलसिले में इन सारी चीजों को भूल जाना पड़ेगा। जो मेटर याद रखना है वह मेटर छोड़ दिया जाता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस बात को याद रखना चाहिए कि जो उसूल जागीरदारी समाप्त करते वक्त और जमींदारी को समाप्त करते वक्त याद रखे हैं वही उसूल याद रखना चाहिए। जो मार्जीनल साइड के जागीरदार थे, गरीब जागीरदार थे और गरीब जमींदार थे उनके साथ जो सलूक किया गया है वही और बड़े किसानों के साथ होना चाहिए। ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके साथ भी वही सलूक बरतना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मान लें कि किसी किसान के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से थोड़ी ही जमीन ज्यादा है, मान लें कि उसके पास ५० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन है और उससे अगर २० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन लेते हैं तो उसके साथ में नर्माई का बर्ताव करना चाहिए बनिस्बत उसके जिसके पास कि दो हजार बीघा जमीन है। उसको हम कह सकते हैं कि तुम्हें मुआवजा कम देंगे और उसको मुआवजा ज्यादा देंगे जिसके पास कि जमीन कम थी। इस वास्ते जो सिद्धान्त जागीरदारों और जमींदारों को खत्म करते वक्त अपनाया था वही उसूल इस समय भी अपनाना चाहिए। क्योंकि वह भूमि सुधार था तो यह भी एक भूमि सुधार है। भूमि सुधार में दो सिद्धान्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए; एक ही सिद्धान्त को याद रखना चाहिए। जिस तरीके से पहले पेश आये हैं उसी तरीके से यहां भी आना चाहिए। न जागीरदारों को कीमत दी, न जमींदारों को कीमत दो और न कीमत उन लोगों को देनी चाहिए जिनसे कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादावाली जमीन लेते हैं। हमारे संविधान में यह दिया हुआ है कि किसी की जमीन लेंगे, इन्डस्ट्री लेंगे तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा।

हमने जागीरदारी, जमींदारी समाप्त की और भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की। उसके बाद में निश्चित रूप से हमारी समाजवादी व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम शहरों पर आनेवाले हैं। इस विषय में जो यह समझते हैं कि हम शहरों को नाम लेकर शहरवालों को अपनी ओर कर लेंगे तो वह गलती करते हैं। शहरवाले इस बात के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि वह असंभव नहीं है। वे इस बात को जानते हैं। वे आज जागरूक हैं कि वह व्यवस्था निश्चित रूप से शहर में आनेवाली है। वे निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार हैं। शहर का नारा लगा कर कुछ माननीय सदस्य शहरवालों को बहका लें, बगला लें या उनका समर्थन प्राप्त कर लें तो मैं समझता हूँ कि वे अन्धेरे में भाग रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं हैं। समाजवादी व्यवस्था का असर शहरों पर भी पड़नेवाला है। पिछली दफा हमने क्या किया यह भी सोचना चाहिए। जागीरदारों और जमींदारों के साथ हमने क्या किया है। उनमें बहुत से मारजीनल जागीरदार थे, गरीब जमींदारी थे, ऐसे भी जागीरदार या जमींदार थे जो कि उस ज़मीन से अपने पेट का गुज़ारा नहीं कर

# Page No.89



( श्री चन्दनमल वैद )

सकते थे उनके साथ में जो व्यवहार किया उससे भिन्न व्यवहार आज आपको नहीं करना चाहिए। पहले कीमत नहीं दी है तो आज भी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि जितनी ज़मीन कम होती जाय उतना मुआवजा बढ़ता जाय यानि जितनी ज्यादा ज़मीन लेंगे उतना ही कम मुआवजे की रेट देंगे। अगर किसी की ३० या ४० एकड़ ज़मीन लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको ४० या ५० गुना मुआवजा देना चाहिए। इस तरह से स्लाइडिंग स्केल पर होना चाहिए। समाजवादी समाज व्यवस्था में यह नियम है कि जितनी ज्यादा ज़मीन लो उतना कम दो। जितना कम लेते हैं तो ज्यादा दो जिससे व्यवस्था इस प्रकार की हो जाय कि किसी आदमी को असंतोष नहीं हो और किसी आदमी के पास ज्यादा कोई पूंजी नहीं हो। मैं समझता हूँ कि यह वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार जागीरदारी समाप्त की, जमींदारी समाप्त की और उसी सिद्धान्त के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए यह रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कम्पेन्सेशन के क्लॉज पर दो, चार बातें कहना चाहता हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष** : Other than the point of order raised.

**श्री पी० के० चौधरी** : Yes Sir. Other than the point of order raised.

**श्री उपाध्यक्ष** : That means the point of order so raised is not very convincing.

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदारशहर ) : Has the Point of order been disposed of ?

**श्री उपाध्यक्ष** : It will be disposed of as soon as Mr. Chaudhary disposes of his speech.

**श्री पी० के० चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, कम्पेन्सेशन के क्लॉज के फेवर में और अगेन्स्ट में कई लोगों ने कई बातें कही हैं। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है उसके लिये कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविज़न है आर्टिकल ३१ के मातहत। हमको कम्पेन्सेशन देना कम्पलसरी है, यह कम्पेन्सेशन हमको देना ही पड़ेगा। इसलिये जो लोग कहते हैं कि कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये उनका मैं तो समर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हिन्दुस्तान का संविधान मौजूद है तब तक हमको कम्पेन्सेशन देना ही पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ रहता है क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन का, यह कितना देना चाहिये ? क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन के बारे में श्री–माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो भाषण दिया जाता है उसमें दिल में जो बात है वह जबान पर नहीं आती और जो जबान पर है वह दिल में नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही है और यह श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य के लिये भी लागू होती है....सबके लिये लागू होती है। दिल में जो है वह जबान पर नहीं है और जबान पर जो है वह दिल में नहीं है यह इटरनल प्रूफ है जिसे सबने माना है। लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन है यह दिल क

( श्री पी० के० चौधरी )

बातको छिपाने वाला है। कहा गया है : Language is used rather for hiding what is actually in your mind. मन में जो बात है उसको छिपाने के लिये भाषा का व्यवहार किया जाता है न कि उसको राइट तरीके से लोगों के सामने रखने के लिये और लेटेस्ट साइन्टिफिक ओपीनियन है वह यह कि आगे चल कर भाषा के जरिये से जो हमारे मन के भाव है जाहिर नहीं करेंगे -thoughts will be conveyed by thoughts. ऐसा समय आयेगा जब माननीय सदस्यों को यहां भाषण करने की आवश्यकता नहीं होगी—Thought currents will convey one man's thoughts to other man's thoughts. उनकी जो प्रोब्लम है वह इससे सोल्व हो जाता है जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, उसमें लैंड एक्वीजिशन एक्ट में जैसा प्रोविजन है सैक्शन २३ (३) में वैसा रखा गया है : The market value of the land shall be the market value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market value has to be determined. इसके अलावा मार्केट वेल्यू and the use to which it is put यहां एक चीज़ को डिटरमिन करने में लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अण्डर में वेल्यू तय करेंगे। It will be on the basis of the market value और वह भी किस यूज़ में हम उस जमीन को लेते हैं उस पर निर्भर करेगा। मान लीजिये दो व्यक्तियों की ज़मीन पास पास में है। एक जमीन पर तो कॉमर्शियल क्रोप रेंज की जाती है तो उसकी मार्केट वेल्यू जुदा मानी जायगी बनिस्बत उस काश्तकार के जो फूड ग्रेन्स या दूसरी तरह की काश्तकारता है। इसलिये जो कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है, मैं समझता हूँ It will be heavy dem nd on over public exchequer. क्योंकि जब ३० एफ की तरफ देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि उस लैण्ड का अलॉटमेंट होगा वह इस प्रकार करेंगे : "....Subject to the provisions of Section 30c, be let out to landless and other persons, whether or not on making payment at the prescribed scale, in the manner laid down in and otherwise in accordance with the rules made in this behalf by the State Government." यहां गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ इन्डिविज्युवल इन्टरेस्ट को नहीं देखना है, हमको पब्लिक इन्टरेस्ट को भी देखना है। जब कम्पेन्सेशन तय करते हैं तो हम कम्पेन्सेशन के लिये देखते हैं मार्केट वेल्यू को। उसके बाद we should see whether paying of compensation is in public interst. पब्लिक इन्टरेस्ट में इसका सवाल नहीं जाता है। जैसे कि बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जमींदारी एबोलिशन के समय जो कम्पेन्सेशन दिया था उनका मेन पर्पज था रिहेबिलिटेशन, It was a sort of Rehabilitation grant. रिहेबिलिटेशन हो सके उसके लिये कम्पेन्सेशन दिया था लेकिन यहां पर जो लैंड एक्वायर करते हैं उसमें रिहेबिलिटेशन का सवाल नहीं है। जो जमीन अब उनके पास रहती है वह स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग जो तय किया है उसके लिये काफी है। उससे वे लोग रह सकते हैं और अपना स्टेन्डर्ड मेन्टेन कर सकते हैं। इतनी जमीन उनके पास हमने छोड़ दी है इस लिये उनके

( श्री पी० के० चौधरी )

पीछे रिहेबिलिटेशन का सवाल नहीं आता है। They are to be paid this money because the question of rehabilitation is there.

जिन काश्तकारों या जमींदारों से जमीन लेंगे उनको रिहेबिलिटेट करने का सवाल नहीं है। उनके पास जमीन रह जाती है। तो फिर कम्पेन्सेशन क्यों देते हैं? कम्पेन्सेशन इसलिये देते हैं कि कॉन्टिट्यूशन में इसके लिये प्रोविजन है। किसी की जमीन एक्वायर नहीं करना चाहते हैं विदाउट पेइंग कम्पेन्सेशन। अब जो क्वॉन्टम ऑफ कम्पेन्सेशन हो उससे एक्सचेकर पर हेवी बर्डन न हो जाय इसको ध्यान में रखना चाहिये। बर्डन तब नहीं होता जब किसी से पैसा लेकर उसको जमीन बेचते। अलॉट करने पर पूरी कॉस्ट मिल जाती तब तो मैं समझता कि स्टेट एक्सचैकर पर बर्डन नहीं है। जो पैसा देकर एक्सेस लैंड को एक्वायर करेंगे वह पैसा लोस में नहीं रहेगा, जिनको अलॉट करेंगे उनसे वसूल करेंगे, तब तो मैं समझता हूँ कि स्टेट एक्सचैकर पर बर्डन नहीं होगा। There will be no heavy drawal from the State exchequer on this account. लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा है कि जिनसे हम प्राइस नहीं ले सकेंगे उनके लिए एक रेट जो है वह रेट लेंगे, वह रेट भी जो एक्सेप्टेड रेट है आज की, उससे ज्यादा नही ले सकेंगे। हम इतना ही लेंगे जो दूसरे से लेते हैं। आज लैंडलैस लेबरर्स को अलॉट करेंगे तो उससे ज्यादा रेट नहीं ले सकते, जितना दूसरों से लेंगे उतना ही लेंगे। हम यह मान कर चलें कि जो एक्सेस लैंड लेंगे तो एक्सेस लैंड जिस पर्पज के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं to rehabilate landless persons, लैंडलैस पर्सन्स को जमीन देने के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा तो क्या जमीन को लिया लाइक ए कस्टोडियन गवर्नमेंट जमीन को गार्ड करती रहेगी, उसका अलॉटमेंट नहीं होगा और अलॉटमेंट होगा तो टेम्प्रेरी होगा। एक साल टेम्प्रेरी अलॉटमेंट होगा और दूसरी साल वापिस ले लिया जायगा। तो जो गवर्नमेंट की अग्रेरियन पॉलिसी है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वह नहीं होगा। जो एक्सचैकर जो रुपया देगा, through the sale of this excess land वह आउट ऑफ कन्सोलिडेटेड फन्ड है। आज कोई कह दे कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर साहब फर्मा दें कि जो रुपया देंगे कन्सोलिडेटेड फंड से वे रिकवर करेंगे while making allotment for the land. मैं मानता हूँ कि यह गलत बात होगी, उसको आप रिकवर नहीं कर पायेंगे। जिस रेट से आप कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी लैंडलैस नहीं होगा जो प्राइस देकर जमीन ले सकता है, ऐसा कोई लैंडलैस पर्सन नहीं मिलेगा। फिर आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक तो जमीन को गार्ड करके उसके कस्टोडियन बन कर बैठे रहेंगे The land will remain un-cultivated. या in the normal times उसको लेट आउट कर दें In the normal times you may allot it on rental basis. यह जो कम्पेन्सेशन है it will be a direct loss to the State exchequer. इस हालत में देखना चाहिए कि आया जो क्वान्टम ऑफ कम्पेन्सेशन फिक्स कर रहे हैं उसको स्टेट एक्सचैकर मीट विथ

( श्री पी० के० चौधरी )

कर सकेगा या नहीं और हमारे जो डवेलपमेंट वर्क्स हैं, चारों तरफ हमारे जो डवेलपमेंट प्लान्स हैं, फाइव इयर प्लान हैं और उसकी तरफ जो फाइनेन्शियल रिसोर्सेज की स्ट्रेन्जेन्सी है We are groping about for additional resources. मैंने सुना है कि थर्ड प्लान में हमें ५०, ६० करोड़ रुपया अ एक्सेस टैक्सेशन के रुपया कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे at the existing level of taxation.

एक तरफ ३०, ४०, ५० करोड़ एक्सेस टैक्सेशन से इकट्ठा करना है, एक तरफ थर्ड प्लान के लिए फाइनेन्शियल रिसोर्सेज का सवाल चल रहा है तो दूसरी तरफ हम कमिटमेंट कर रहे हैं—I don't know what is the estimate. मैंने अभी जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया था उस समय कहा था estimate of the expenditure involved वह हमारे सामने आना चाहिए जिससे हमको मालूम पड़ता कि एक्वीजिशन ऑफ लैंड के करने से कितने रुपये का कितना बर्डन हमारे कन्सोलिडेटेड फन्ड पर पड़ता है, उसका अन्दाजा हमको मालूम होता but we are moving in the dark. हम अन्धेरे में चल रहे हैं और सदन में किसी को मालूम नहीं है, पता नहीं कि मिनिस्टर कन्सर्न ने इसे वर्क आउट किया है या नहीं कि यह जो कम्पेन्सेशन का क्लॉज है उसमें कितना अमाउन्ट इन्वोल्व होता है—how many crores of rupees we will have to pay out in compensation. उसके कोई फिगर्स हमारे सामने नहीं रखे, जो जरूरी था। अन्डर रूल ६१ हमको रखना चाहिए था। It would have been more convenient and we would have been in a better position to understand the implications of this clause इस क्लॉज के इम्प्लीकेशन्स क्या है, उसे बराबर समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सामने पूरे फैक्ट्स, फिगर्स नहीं हैं, हमारे सामने एस्टीमेट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं रखा। स्टेटमेंट का तो कम से कम while he is replying he should give an idea to the House as to the amonnt of expenditure involved. तब जाकर हमको मालूम पड़ेगा कि इतना खर्चा करना है। what is the possibility of recovery of this amount? इसमें से कितना रुपया जमीन बेच कर इकट्ठा कर सकते हैं? मेरी मान्यता है, जमीन लेकर, अलॉटमेंट के समय पैसा लेकर We cannot even collect 1/100th of the amount which will be given in compensation. तो इसलिए सवाल आता है कि यह जो कम्पेन्सेशन का रखा है और जिसको लैंड एक्वीजिशन एक्ट के माफिक रखा है, जिसमें प्रोविजन मार्केट वेल्यू का रहेगा, अब मार्केट वेल्यू डिटरमिन करेंगे on the use to whicht he land has been placed. आज काश्तकार जिस लैंड को कॉमर्शियल क्रॉप के लिए यूज करता है, उस लैंड की आज वेल्यू ज्यादा रहेगी बनिस्बत जिस लैंड पर रोटेशन की क्रॉप करता है। इसलिए जो मार्केट वेल्यू का क्लॉज रखा है, एस डी० ओ० को अधिकार दिया है कि एस० डी० ओ० तय करेगा कि कितना कम्पेन्सेशन होना चाहिए यह सब होते हुए भी मैं समझता हूँ It will be a heavy burden on our

# Page No.93



( श्री पी० के० चौधरी )

exchequer. और इस हालत में जो संशोधन सलूबर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि मेरा खुद का अमेंडमेंट था, जिसको अन्फोर-चुनेटली मैं मूव नहीं कर सका, उसमें यह सुझाव दिया था कि कम से कम ५० पर्सेन्ट ऑफ दी वेल्यू तय करेंगे, वह होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसे पास करने से पहले tne Minister concerned should give an idea as to the estimated amount involved in paying compensation. और उसके बाद रिकवर कितना करेंगे, इन दोनों का हमारे सामने साफ नकशा आना चाहिए, तब इसके ऊपर वोट लेना चाहिए ताकि हम यह समझ सकें कि कितने रुपये के लिए हम कमिटमेंट कर रहे हैं। यह समझ सकें the House can commit itself.

**श्री उपाध्यक्ष :** I would now like to dispose of the point of order raised by Shri P. K. Chaudhary.

Shri P. K. Chaudhary has raised a constitutional point and has made a reference to Article 205 of the Constituion and has also said that according to the provisions of this Article, a statement showing estimated expenditure from the Consolidated Fund of the State has to be placed before the House.

I have studied the point. Article 205 and other Articles of similar nature are in a separate caption which deal with the Procedure in Financial Matters. The point of order so raised at present is under Article 205 under the same caption. It is evidently clear therefore, that Article 205 is not applicable to the present issue for it provides for a statement in connection with supplementary or additional expenditure and has, therefore, no relevancy so far as the proposed section 30 G is concerned.

I, therefore, ruleout the point of order so raised by Shri P. K. Chaudhary.

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि ३० डी पर पोस्टपोन है, मेरा जवाब। ३० जी और ३० डी पर एक साथ जवाब दे दूंगा। मैं इसमें अमेंडमेंट, हाउस की मंजूरी से, पेश करना चाहता हूं। अभी ३० जी जी पर और बहस कर ली जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** 30 GG has no amendments. धारा ३० जी जी प्रश्न यह है....

**राजा श्री मानसिंह (वैर) :** Perhaps the Hon'ble Members may speak on it.

**श्री उपाध्यक्ष :** I think the members are intelligent enough to understand that sense of the House......

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** Sir I will speak on the point.

**श्री उपाध्यक्ष :** It is perhaps because I have stressed the point. Otherwise you might not have cared to speak.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** The other clause is more interesting and I think Shri P.K. Chaudhary will give his valuable views on that.

# Page No.94



**श्री उपाध्यक्ष** : I also associate myself with these views.

**श्री पी० के० चौधरी** : About one particular clause I want to speak on 30GG Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : What I wanted to know whether you are associating yourself with the views of the Hon'ble Minister as laid before you, or differing from them ?

**श्री पी० के० चौधरी** : He is clever in winning over members, but I would like to express my views first and then be won over.

**श्री उपाध्यक्ष** : I hope you will be brief then.

**श्री पी० के० चौधरी** : I will be very brief, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : Alright.

**श्री पी० के० चौधरी** : उसमें एक क्लॉज़ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : Which clause ?

**श्री पी० के० चौधरी** : इसमें जो ३० जी जी है : clause (2), sub-clause (b) और सब-क्लॉज २ (बी) है "(b) the portions of the encumberances existing on lands vesting in the State Government under Section 30E, remaining undischarged out of the amount of compensation shall be recoverable by the encumberance-holder from the other property of such person."

मैं समझता हूं कि यह जो पर्सन्स है It is not a very happy provision.

उपाध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर जो एनकम्बरेंसेज हैं, that encumberance might be recovered from that land alone.

It is a legal point. I mortgage a piece of land, say five acres, and encumberance on it will have to be recovered from those five acres of land and not from another five acres which I may have another place.

अब स्टेट गवर्नमेंट का इसमें जो वेस्टिंग क्लॉज रखा है, उसमें यह भी रखा है:—The land which is not encumberd, that will first vest with the State Government. लेकिन मान लीजिये कि कोई काश्तकार है जिसके सारे के सारे लैंड एन्कम्बर्ड हैं, the entire holding. मान लीजिये कि ५० एकड़ में से ५० एकड़ एन्कम्बर्ड हैं and the encumberance is equally distributed over all the 50 acres of land. अब उसमें से गवर्नमेंट ने २० एकड़ एक्वायर किया। अब २० एकड़ एक्वायर किया, उसको जो कम्पेन्सेशन दिया उसमें २० एकड़ एन्कम्बरेन्स मीट विथ नहीं होता है Under law that encumberance should lapse.

४ म० प०

अब उसकी लाइबिलिटी है पेमेंट की, रिमेनिंग ३० एकर्स पर डाल देना मैं उचित नहीं समझता। लैंड का एन्कम्ब्रेंस है उसको कम्पेन्सेशन से मीट विथ करना चाहिये। Not otherwise. एन्कम्ब्रेन्स ऐसा हो सकता है he might have taken a loan on usurious rate of interest अब इस इश्यू को न भूलना चाहिये, एन्कम्ब्रेन्स ऐसा

( श्री पी. के. चौधरी )

होगा, जुडिशियस स्टेट ऑफ अफेयर्स से कर्जा लिया उसको एन्कम्ब्रेन्स पर थर्स्ट कर देना, यह मैं उचित नहीं समझता। Supposing I have mortgaged this chair and against it I have taken a loan of Rs. 5.00 Now the Government comes in and says. अब गवर्नमेंट को कहना चाहिये कि चेयर का एन्कम्ब्रेन्स माइक पर लग जायगा। Legally it does not stand. I think it will be illegal to have the encumberance transferred from this chair to the mike. लीगली मैं मानता हूं– the encumbrance of this Chair cannot be transferred to the mike. It is illegal. आप यह जरूर कह सकते हैं कि उसके सारे कम्पेन्सेशन से उसके एन्कम्ब्रेन्स को मिटा देते हैं, फिर उसका कम्पेन्सेशन पूरा नहीं पड़ता और आप कहते हैं:–The encumberance of this Chair is transferred to the mike. It is illegal. It can be challenged even in a Court of law. मैं समझता हूँ इस पोजिशन में it will only gave rise to legal complications मिनिस्टर इन्चार्ज का अटेन्शन इस ओर आकर्षित करता हूँ to this लीगेली और नेचुरल जस्टिस से भी मीट विथ नहीं होता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि sub-clause (b) of clause (2) डिलीट कर दिया जाय।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, लीगल और नेचुरल जस्टिस पर माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है। वह दोनों बिल्कुल गलत हैं और जो कानून की आपत्ति उठाई है वह तो बिल्कुल गलत है। जो मार्गेज की गई उसकी कीमत डिप्रेसियेट हो गई है तो वह रकम दूसरी प्रोपर्टी से वसूल होगी, यह तो लॉ है इसलिये लीगल कॉम्प्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं। जिस जमीन को खरीद ली है, एन्कम्ब्रेंस पर दी है उसकी कीमत डिप्रेसियेट हो जाती है तो खरीददार को राइट है उसको वसूल करने का कि वह अपनी रकम दूसरी प्रोपर्टी से वसूल करे। यह भी माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि जितनी लैंड होगी उसके टोटल कम्पेन्सेशन से भी पूरी वसूली नहीं होती है तो उसकी दूसरी प्रोपर्टी से वसूल होगी, यह लॉ है। इसलिये आपने जो लीगल आपत्ति उठाई वह निराधार है।

नेचुरल जस्टिस का कह रहे हैं कि जिस चीज़ पर रुपया दिया है उससे वसूल करना चाहिये। रुपया जिसने दिया है उसको वसूल करना उसका हक है और उस प्रोपर्टी से पूरा वसूल नहीं होता है तो दूसरी प्रोपर्टी से भी वसूल करने का उसको लीगल राइट है। उसको राइट है। Therefore, as a precautionary measure I have made a provision here. उस कम्पेन्सेशन का काफी नहीं रहा तो दूसरी प्रोपर्टी से वसूल कर सकता है और अगर टोटल कम्पेन्सेशन भी काफी नहीं है तो he can proceed against any other immoveable property of the debtor. That is the law.

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि सेक्शन ३० जी, जी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ धारा ३० जी जी स्वीकार की गई।

धारा ३० एन.

राजा श्रीमानसिंह।

# Page No.96



**राजा श्री मानसिंह** (वैर) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I move an amendment to Section 30 H in sub-section (2) which reads :—

The words "unless such fragment can be utilised for the consolidation of a contiguous holding smaller in size than the ceiling area applicable to such holding" be omitted.

४. ६. म. प.

( श्री बरकतउल्ला खां, सभापति, पदासीन )

This full section reads, Sir, as under :–"(2) If in any case covered by clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 30 E, the land in excess of the ceiling area applicable there to is only a fragment, the Sub-Divisional Officer may allow the person holding it to retain the possession there of unless such fragment can be utilised for the consolidation of a contiguous holding smaller in size than the ceiling area applicable to such holding."

Probably the intention of this section is that one fragment plus another fragment may equal an area which may not be a fragment. But in actual practice, a fragment plus a fragment does not necessarily mean that it will not be a fragment. It may still remain a fargment. The discretion has been given to the Sub-Divisional Officer. It means that in his discretion the Sub-Divisional Officer will allow some persons to retain their fragments and compel some others to give up their fragments. What I submit is that either all land in excess of the ceiling must be surrendered to the Government, whether a fragment, or not, or that all fragments in excess of the ceiling area should be allowed to remain with the person. There should be no third alternative. There is already enough corruption in the State and then we are giving this discretionary power to the Sub-Divisional Officers ! I, for one, have the experience of Sub-Divisional Officer, Bharatpur. I know for the fact that the man is xx

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): With due respect to the Hon'ble Member I would submit that to use such language for an officer who is not present in the House and who cannot explain his conduct in the House, is improper.

**श्री सभापति** : I too agree with the views of the Hon'ble Minister and the word "XXXX" may be expunged from the procedings.

**राजा श्री मानसिंह** : Ample light has been thrown in the House regarding the discretionary orders passed by the officers which raise some doubt in the minds of the members of this House. I would, therefore, suggest that instead of having a discretionary power given to an officer, who may or may not be corrupt, is not incorrect. It should be either one way or the other. There is corruption in the

---

xxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

( राजा श्री मानसिंह )

State, Sir. There is corruption throughout the country. Today only the President has been pleased to state in a letter to the Prime Minister that there is corruption at the very high level and there should be a body of persons authorised to enquire into these matters as a tribunal. So if an individual, who can be suspected of corruption, is to be given such discretionary powers, then I feel that we are not making a law to give any justice to the people, I had made an allegation, Sir, and if the Hon'ble Revenue Minister is willing to enquire into that allegation, then instead of taking the time of the House, I shall be glad to prove that allegation.

श्री दामोदरलाल व्यास : Who is asking you not to report against corrupt officers ? That means you are not discharging your duties if you are not reporting against such officers. I am here to enquire into them.

राजा श्री मानसिंह : We have forwarded many applications, but unfortunately he is a friend of the Hon'ble Minister.

श्री सभापति : That is not a fair statement to Make. The Minister may be accused for anything for which he is responsible but the personal relationship should not be brought into discussion.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I refuse to accept that he is my friend.

श्री सभापति : The Hon'ble Minister need not say anything. I have definitely said that whether he be a friend or not a friend is hardly material and such an insinuation does not behave well of the Hon'ble Member. Sir, becuase of these reasons I have brought this amendment which means that any person who holds land in excess of the ceiling and it is in fragments, then it should remain with him and it should not be at the discretion of the Sub-Divisional Officer to allow that land or not;

श्री दामोदरलाल व्यास : I regret to say that the Hon'ble Member does not know what a fragment means and he is apprehending corruption at the hands of Sub-Divisional Officers. He does not know that a fragment is well defined, it is notified and published in the Gazette and the Sub-Divisional Officer or any other officer has hardly any discretion to affect the area on either side., either to lower or increase it

राजा श्री मानसिंह : The disrcetion is there. "...unless the fragment can be utilised for the consolidation of a contiguous holding smaller in size than the ceiling area applicable to such holding."

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not discretion A fragment is well defined as to which area a fragment is constituted of. Then I will point out that so

# Page No.98



( श्री दामोदरलाल व्यास )

far as discretion is concerned, he will exercise that discretion only when there is a contiguous area near the fragments and that is less than the ceiling area, then only that land will be allowed to be retained with the person. That is very clear, and there is no question of deletion of this sub-clause or of any corruption at the hands of the officers. The officers have hardly any discretion.

**श्री सभापति** : There is only one amendment moved by Raja Shri Man-Singh on this clause.

The question is that the amendment be accepted. Those in favour of it, say 'Ayes'.

**कुछ माननीय सदस्य** : Ayes.

**श्री सभापति** : Those against the amendment, please say 'No'.

**कुछ माननीय सदस्य** : No.

**श्री सभापति** : 'Noes' have it.

(संशोधन गिर गया)

The question is that section 30H stand part of the Bill.

( स्वीकृत )

खण्ड ३ धारा ३० एच स्वीकार की गई।

धारा ३० आई।

**राजा श्री मानसिंह** ( बैर ) : According to the programme, Sir, 30-I had to be taken tomorrow and if you permit me I have moved an amendment today that may be admitted.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (राजस्व मन्त्री) Sir, here are so many amendments on this section. that the Hon'ble Member can get his chance tomorrow and in the meantime other members may speak.

**श्री चन्दनमल बैद** ( सरदारशहर ) : Let us postpone the clause till to-morrow. Today the Hon'ble Minister is also tired.

**श्री दामोदरमाल व्यास** : No, no. On the contrary, I would be grateful if you take up this section 30 I.

**श्री सभापति** : The House seems to be extremely solicitious about the well-being of the Hon'ble Minister. I think the amendment which Raja Man-Singh proposes to move can be moved tomorrow.

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : माननीय चेयरमैन, सेक्शन ३० आई में मेरा संशोधन इस प्रकार है : In sub-section (1), clauses (b), (c) and (e) be deleted. और दूसरा है : The word 'Board' be substituted for the words 'State Government'. I don't want to move that.

दूसरा, माननीय चेयरमैन, संशोधन जो मैंने मूव किया है और अभी सरक्यूलेट हो रहा है वह यह है : The following new proviso be added after the Second Proviso in sub-section (1) :—

"Provided also that nothing under clause (b) of sub-section (1) shall apply

( श्री सोहनलाल भटनागर )

to any land comprised in such sugar-cane has not been grown in it within five years immediately preceding the commencement of the Rajasthan Tenancy ( Sixth Amendment ) Act, 1958 and the sugar-cane thus grown is essential to be grown for keeping the factory running."

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : We have not received this amendment, Sir.

**श्री सभापति** : The amendment is being circulated now and it is being hurried up.

**श्री पी० के० चौधरी** : Unless it is received, he cannot be allowed to move it. He can move it tomorrow. What is the hurry about it ?

**श्री सभापति** : The amendment has already been accepted by the Hon'ble Speaker and now it is being circulated. It will facilitate the proceedings of the House if the Hon'ble Member is allowed to speak on his amendment. In the meantime, the amendment will come and then you can raise your points.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I am speaking on all the amendments. I have already moved some which have been circulated.

**श्री पी० के० चौधरी** : But you should not be allowed to speak on those which have not been circulated.

**श्री सभापति** : I may inform the Hon'ble Members that the amendment has already been accepted by the Hon-'ble Speaker and I am bound by his acceptance. I have no authority to go beyond that.

**श्री पी० के० चौधरी** : We are not disputing the amendment. But we have not received a copy. So till we receive that amendment and we know what it is whether it is a cat, a dog or a bull, how can we appreciate it ?

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदारशहर ) : We will discussing a thing which we don't know.

**श्री सभापति** : I think it will be very difficult to give a ruling that members may accept this amendment without their having it. before them. Therefore, my suggestion is that this amendment may be moved tomorrow, and in the meantime we can take up other amendments.

So I call upon Shri Chandan Mal Baid.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : My other amendments are already there.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (राजस्व मन्त्री) He may be allowed to speak on them

**श्री सभापति** : Well, if you want to be the first to speak, then I will request Shri Chandan Mal Baid to have patience and wait for a while.

**श्री चन्दनमल वैद** : But then he

(श्री चन्दनमल वैद)

will be speaking twice. A member should not speak twice on the same clause.

**श्री सभापति** : Mr. Bhatnagar, there are so many constitutional points against you.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Let him have the choice tomorrw.

**श्री सभापति** : I think it will be in the interest of everyone that Shri Sohan Lal moves his amendment tomorrow.

Yes, Shri Chandan Mal Baid.

**श्री चन्दनमल वैद** (सरदारशहर) : माननीय चेयरमैन महोदय, सीलिंग के सिलसिले में हम यहां कानून बना रहे हैं। मैं समझता हूँ, उस सिलसिले में यह जो क्लॉज है वह आखिरी महत्वपूर्ण क्लॉज है और यह तय करने के बाद कि सीलिंग का एरिया क्या हो, कम्पेन्सेशन किस तरह हो, अब हम इस बात पर आ रहे हैं कि सीलिंग के क्षेत्र से बाहर रखी किन किन चीजों पर सीलिंग लागू नहीं करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि सरकार यह चाहती हो कि फलों के बगीचे, ऐसे केन्द्र जो चाहे घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिये हों, चाहे भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये हों या आदमियों की नस्ल सुधारने के लिये हों और उनको जमीन की जरूरत हो तो उनको सीलिंग के एरिया से महफूज रखा जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस के लिये मेरी आपत्ति है वह मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। मेरे इस क्लॉज पर दो अमेन्डमेन्ट्स हैं।

मेरा पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि Delete the following words from clause (c) ;—"Provided that no member share in any such farm or farms shall exceed the ceiling area applicable to him." यह जो प्रोवीजो लगाया हुआ है उसको डिलीट कर दिया जाय। माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस अमेन्डमेंट के सिलसिले में यह कहना है कि यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें यह लिखा हुआ है कि :—

"(d) efficiently managed specialised farms registered in the prescribed manner for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying, and

(e) other efficiently managed farms which consist of compact blocks and whose break-up is likely to lead to a fall in production.".

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुछ एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म हैं और उनको हम यह समझते हैं कि ब्रेक-अप करने से प्रोडक्शन में फॉल होगा, उनको सीलिंग के एरिया से भी ज्यादा जमीन रखने के लिये भी इजाजत दे देंगे। मान लीजिये कि मेरे पास पचास स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन है। उसमें से तीस स्टेन्डर्ड एकड़ तो आप मेरे पास छोड़ देंगे और बीस एकड़ आप ले लेंगे लेकिन जिस एरिया से मैं अच्छी तरह से उपज कर रहा हूँ तो आप ५० स्टेन्डर्ड एकड़ भी मेरे पास छोड़ सकते हैं यानि इन्डीविजुअली एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म को, यदि सीलिंग एरिया से अधिक जमीन है तो उसको दे देने के लिये तैयार हैं जब कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में जहां कि एक आदमी

(श्री चन्दनमल वैद)

की भलाई का सवाल नहीं है, प्रोफिट सारे आदमियों को जो कि उसमें शामिल हैं मिलता है, एक जगह ही रिजर्व नहीं रहता है, जो कानून के द्वारा संचालित होता है उनके पास यदि इन्डीविजुअल से भी सीलिंगों के एरिया से जमीन ज्यादा रहती हैं तो उनसे छीन लेंगे। जब कि आज हालात ये हैं कि हम कोऑपरेटिव के लिए बातें करते हैं, उसके लिए आन्दोलन करते हैं, जिसके लिए हमने जिहाद बोल रखा है, उनसे स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक जमीन छीन लेते हैं तो यह सही नहीं होगा । हम इस बात के लिए तो तैयार हैं कि किसी इन्डीविजुअल के पास यदि एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म हैं और यदि ज्यादा जमीन सीलिंग से उसके पास हैं और रखना चाहता है तो उसको रखने देंगे। फिर कोऑपरेटिव फार्मिग के पास यदि सीलिंग एरिया से ज्यादा जमीन हो तो क्यों छीनें ? यह हम सब जानते हैं कि यदि कोऑपरेटिव फार्मिङ्ग जिसके लिए यदि सरकार को यह भय हो कि मैनेज नहीं कर सकेंगे अधिक जमीन होने पर तो कोऑपरेटिव कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि उनसे वह जमीन छीन सकते हैं । जो इन्डीविजुवल के लिए आपने इसमें प्रावधान रखा है वह ही कोऑपरेटिव फार्मिग के लिए भी होना चाहिये। यह बड़ी अन्याय की बात होगी कि कोऑपरे-टिव फार्मिग के लिए हम अन्दोलन करें, हम समझते हैं कि हमने उसको लीज़ कर रखा है, इन्डीविजुअल के पास तो सीलिंग से अधिक जमीन छोड़ देंगे और कोऑपरेटिव के पास नहीं छोड़ेंगे और उसके पास इतनी ही छोड़ेंगे जितनी कि सीलिंग फिक्स कर रखी है। यह कोऑपरेटिव को मदद देना नहीं होगा किन्तु उसका अहित ही करना होगा। मैं समझता हू कि मेरा यह संशोधन इतना वाजिब है कि माननीय मंत्री महोदय को तुरन्त देखते ही इसको मंजूर कर लेना चाहिये था। मुझे दुख: इस बात का है कि इसको मूव किये मुझे एक हफ्ता हुआ है लेकिन अभी तक भी यह मंजूर नहीं किया गया है। इसलिए मुझे संदेह होता है कि कहीं मंत्री महोदय की कोऑपरेटिव फार्मिग से लड़ाई तो नहीं है ?

(हंसी)

**श्री सभापति**: लड़ाई हो या न हो, आप लड़ाई करा दें यह बात अलग हो सकती है।

(हंसी)

**श्री चन्दनमल वैद** : मशा तो ऐसी नहीं है फिर दुर्भाग्य की बात होगी अगर ऐसा हो जाय ।

मेरा दूसरा संशोधन मामूली सा है : Add the following words after "fall in production" in clause (e) "provided the Government intends to nationalise such farms."

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस बात को सोचता हूँ कि अगर हमने एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म के नाम पर हजार दो, हजार एकड़ जमीन को मंजूर कर लिया क्योंकि उनके मालिक हमेशा यह साबित करते रहेंगे कि यदि यह फार्म तोड़ दिया तो प्रोडेक्शन फाल हो जायेगा, लम्बे पैमाने पर अन्न, तम्बाखू पैदा कर रहे हैं यदि फार्म को तोड़ देंगे तो नहीं कर सकेंगे। अगर आपको यह डर होता हो कि किसी आदमी के पास एक हजार एकड़ जमीन है अलग अलग दे देंगे तो प्रोडेक्शन फॉल हो जायेगा तो मैं समझता हूँ कि उसको

(श्री चन्दनमल वेद)

नेशनेलाइज कर दिया जाय जो कि उचित होगा। उसको आप कम्पेन्सेशन दे दीजिये और उसको कह दीजिये कि आप दूसरा बिजनेस कर लीजिये। इसलिए एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म को हम नेशनेलाइज कर लें। कम्पेन्सेशन के लिए तो पहले ही हमने तय कर दिया और वह उसको सरकार दिलायेगी।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूँ कि क्या उन लोगों को शिकायत नहीं होगी कि जिनके पास पचास एकड़ जमीन है और उनके पास से आप ३० एकड़ छोड़ कर बाकी की बीस स्टेन्डर्ड एकड़ ले लेंगे? क्योंकि उनसे आप कहेंगे कि आप ३० एकड़ से अधिक नहीं रख सकते। लेकिन दूसरे आदम जो साधनसम्पन्न हैं, जिनके पास ट्रेक्टर हैं वे इस प्रकार के फार्म रखें और उनको चलायें जो कि एक हजार, दो हजार एकड़ के हों। यह सामाजिक न्याय नहीं होगा कि मध्यम श्रेणी के किसान से जमीन ले लें और जो ऊंचे किसान हैं, शरमायेदार हैं उनसे न लें। अगर आप यह समझते हैं कि उनसे जमीन लेने से प्रोडेक्शन फॉल हो जायेगा तो उसको नेशनेलाइज कर दीजिये, उसको कोआपरेटिव बना लीजिये। चाहे शब्द कलेक्टीवाइजेशन हो, कोऑपरेटिव हो, चाहे नेशनेलाइज्ड हो, कोई भी इस तरह का शब्द हो वैसा उसको कर लीजिये। मध्यम श्रेणी के किसानों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसी प्रकार से ऊंची श्रेणीवालों को भी ट्रीट करना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, मेरे इन दोनों संशोधनों को, जिनको उन्होंने अब पढ़ लिया होगा, मंजूर कर लेंगे।

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Mr. Bhatnagar's amendment has now been circulated and he can be permited to speak now.

**श्री सभापति**: Mr. Bhatnagar, will you agree to move your amendment now, since the objection has been withdrawn?

**श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): Yes, Sir. My amendment is as under:—

The following new proviso be added after the second proviso :—

"Provided also that nothing under sub-clause (b) of sub-section (1) shall apply to any land comprised in such sugar cane farm, if sugar cane has not been grown in it within five years immediately preceding the commencement of the Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1958 and the sugar cane thus grown is essential to be grown for keeping the factory running."

**श्री श्रीमानसिंह** (बयाना): May I know one thing? The Hon'ble Member has moved one amendment for deleting clause (b) relating to sugar-cane farms operated by sugar factories, and here he wants a proviso to be added to the same clause. So both the amendments are contrary to each other. On the one hand he wants deletion of a clause, and on the other he wants its retention and wants to add a proviso to it.

**श्री सभापति**: Yes, Mr. Sohan Lal.

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Point of order, Sir. He has already moved a motion for the delection of clause (b) and he is now moving a motion that

( श्री पी० के० चौधरी )

it should have a proviso added to it. How can he move his new amendment, Sir ? It is a point of order.

**श्री सभापति** : Am I to understand that two amendments have been moved which are contrary to each other ? One for deletion of the clause and another for adding a proviso to it?

**श्री पी० के० चौधरी** : Yes, Sir.

**श्री सभापति** : Then my view is that two contrary amendments cannot be moved.

**श्री पी० के० चौधरी** : Sir, one of the conditions for admissibility of an amendment is that "An amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical." So his amendments are such which make the clause un-intelligible if they are accepted.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : That rule does not apply to my amendments.

**श्री श्रीभानसिंह** : Then what applies ?

**श्री सभापति** : Please, let us hear him.

**श्री पी० के० चौधरी** : No Sir, it is a point of order and it is to be decided by the Chair. I will request the chair to read the rule and give his decision.

**श्री सभापति** : Mr. Chaudhary, I have heard your objection and I hope you will not deny that privilege to the mover of the motion also to say that the amendments are not contrary to each other. You should not insist that only your point of view is correct.

**श्री पी० के० चौधरी** : Yes, he can speak on this whether they are contray to each other or not.

**श्री आबिदअली ( सवाई माधोपुर )** : As a matter of fact, the rule which the Hon'ble Member has quoted is not applicable, because only two things are necessary under that rule. The amendments should not make the clause un-intelligible or ungrammatical. It does not say that if the amendments are contrary to each other, then they cannot be allowod. My objection is that there is no such rule under which these amendments cannot be accepted.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : Sir, the rule only says that the amendments should not make the clause un-inteligible or ungrammatical. That does not mean that even when they are contrary, they cannot be allowed. There is difference between 'contrary' and 'un-intelligible' and 'ungrammatical'. He should mention the relevant rules at the time of raising a point of order.

**श्री श्रीभानसिंह** : This is not the argument, Sir. What I was saying is that the Hon'ble Member has moved his amendment that the clause ( b )

# Page No.104



( श्री श्रीमानसिंह )

should be deleted and in another amendment he wants a proviso to be added to the very same clause. Now if we accept his amendment for deletion of the clause, then there remain no sugarcane farms and then this proviso has no sense, because this proviso deals with sugar-cane farms.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : It is an alternative amendment. If my first amendment is not accepted, in that case my alternative amendment stands and I have every right to move alternative amendments.

**श्री पी० के० चौधरी** : Under which rules alternative amendments are moved ?

**श्री श्रीमानसिंह** : Moving of an alternative amendment proves that the Hon'ble Member is not of stable mind or has no suitable idea as to which amendment is to be accepted.

**श्री सभापति** : Order, order. Enough heat has been generated in the House and let us come to business now.

**श्री पी० के० चौधरी** : Before you give your decision, I will read the clause as amended by the two amendments of the Hon'ble Member.

**श्री सभापति** : I have understood the point, Mr. Chaudhary. My ruling is that two amendments contrary to each other cannot be moved. He can move any one of the two amendments.

**श्री पी० के० चौधरी** : But he has already moved for the deletion of clause ( b ).

**श्री सभापति** : My ruling is that he can move any of the two amendments. Either the amendment in which he seeks to have clause ( b ) deleted, or the other amendment where he wants to add a proviso to it. He can move either of the two. But there cannot be two alternative amendments. Otherwise there will be no end to it. 'Supposing the Minister agrees to this or suppossing the Minister does not agree to this', this will not do.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : Then I will speak on my amendment about the deletion of the clause.

**श्री श्रीमानसिंह** : Now I can tear of this amendment No. 74.

**श्री सभापति** : Let us hear him please.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : They are taking advantage of this, Sir.

**श्री सभापति** : That shows how popular you are with them.

**श्री श्रीमानसिंह** : I take objection to this, Sir. I am not taking advantage of anything. I am taking advantage of the rules. The Hon'ble Member says that I am taking advantage of the leniency of the Chair.

**श्री आबिदअली** : I think he has not used the word 'Chair'.

**श्री पी० के० चौधरी** : What does the Hon'ble Member mean then ? I will request him to clarify.

**श्री सभापति** : Mr. Sohan Lal, ordinarily I will not take note of it and usually I am very lenient while I am occupying the Chair and any reflection cast upon me I usually try to ignore and leave it to the House to take exception to. Anyway, I will not mind if you say that they were taking advantage of my leniency or they say that I am showing indulgence to you. So you will proceed with the speech and I hope you will not refer to the Chair.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I have never referred to the Chair. I said that they were taking advantage of the situation.

**श्री पी० के० चौधरी** : It is a serious matter for the House and it is not upto the Chair to ignore it. I will most respectfully submit that the Hon'ble Member should apologise to the House for passing such remarks about the Chair

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I have never said that they are taking advantage of the Chair's leniency. I said that they were taking advantage of the situation.

**श्री श्रीभानसिंह** : The Hon'ble Member may be belived Sir.

**श्री सभापति** : Yes, I will accept the Hon'ble Member's word for it.

**श्री पी० के० चौधरी** : Then who created this situation, Sir ?

**श्री सभापति** : Situation is created by so many Hon'ble Members.

**श्री पी० के० चौधरी** : Situation is the child of the Hon'ble Member.

( हंसी )

**एक माननीय सदस्य** : Legitimate or illegitimate ?

**श्री पी० के० चौधरी** : Illegitimate.

**श्री अनूपसिंह** ( बालोत्तरा ) : The Ho'nble Member has not explained yet.

**श्री सभापति** : He has already said that he meant the situation and not the Chair.

Yes, Shri Sohan Lal.

**श्री सोहनलाल भटनागर** : I move my amendment that in sub-section (1) of Section 30-I clauses (b), (c) and (e) be deleted.

माननीय सभापति महोदय, सीलिंग की कानून पेश करते वक्त हमें एग्जेम्प्शन के बारे में भी बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा और ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी कि जो सीलिंग हम लगानेवाले हैं उसका पर्पज ही इस एग्जेम्प्शन के बहाने समाप्त न हो जावे । इसी को लेकर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हमारे राजस्थान में वैसे शुगर फैक्टरियां कम हैं। मेरे एरिया में भी एक है। अब इनको रेशनल और इक्वीटेबल बेसिस पर शुगर केन फार्म को इसलिए प्रोटेक्शन और एग्जेम्प्शन दिया जाता है कि शुगर केन का प्रोडेक्शन फाल न हो। यही मेरे ख्याल से प्लानिंग कमीशन का सोचना था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसी कारण रियायत करने की बात कही गई थी। पर इस लाइट में हम अगर यहां की स्थिति को देखें तो विदित होगा कि राजस्थान में शुगर केन प्रोडेक्ट फाल होने के स्थान पर इतना अधिक है कि यह एग्जेम्प्शन देने की आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि इस एग्जेम्प्शन का बेजा फायदा शुगर केन फैक्टरी के मालिक उठाते हैं। किसान को अपना गन्ना बेचने के लिये बेहद परेशान होना पड़ता है। शुगर केन फैक्टरी का दरवाजा बार बार खटखटाने के बाद भी सबको चिट्ठी नहीं मिलती और बहुत सा गन्ना वे बेच नहीं पाते और बेकार जाता है, उनको नुकसान होता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आदेशानुसार इसके जोन्स बंटे हुए हैं। इस दृष्टि से शुगर केन की फैक्टरी का जो ज़ोन यहां बँटा हुआ है वहां काफी शुगर केन ग्रो किया जाता है और इसी नाम पर उस फैक्टरी के पास ३ हजार बीघा ज़मीन भी भूतपूर्व मेवाड़ सरकार से दी हुई है। पर आज दिन तक उसने उसमें शुगर केन ग्रो किया हो, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती तो उसको इस बिना पर वापिस रिज्यूम कर सकती थी क्योंकि जिस पर्पज से वह जमीन दी गई उस काम में फैक्टरी वालों ने कभी नहीं ली बल्कि उसका दुरुपयोग किया और उसमें गेहूँ और जौ बोया गया। इस बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा। यहां तक कि १।३ हिस्से में ही काश्त होती है। बाकी यों ही पड़ी है। इस दृष्टि से इन लोगों को शुगर केन प्रोडेक्शन के नाम पर रिजम्प्शन देना न्यायसंगत नहीं है। इस विषय में लेटेस्ट व्यू जो प्लानिंग कमीशन का है वह भी निवेदन कर देता हूँ :

"The unanimous viem was that these do not qualify for exemption. How these farms should be operated after the ceiling is enforced, needs to be considered in particular the question of running them as integrated co-operative farms should be investigated." तो इस दृष्टिकोण से भी मेरे ख्याल से न तो इसेन्शल सप्लाई के लिए आवश्यक है न भूमि की कमी है। हजारों भूमिहीन किसानों को अगर वह तीन हजार भूमि बांटी गई तो इससे बहुत लाभ होगा। लोग उस की आशा लगाये बैठे हैं। पर अगर यह एग्जेम्प्शन दे दिया तो यह भूमि उसमें आ जावेगी और वह भूमि उन गरीब भूमिहीनों को नहीं दी जा सकेगी। साथ ही उसका दुरुपयोग इसी तरह आगे भी होता रहेगा।

दूसरा सवाल कोऑपरेटिव एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म के बारे में है। 'एफीशियेन्टली मैनेज्ड' की डेफिनेशन नहीं दी गई है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का शब्द इतना लूज़ है कि इसको जिस तरह से चाहें ट्विस्ट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके लिए कोई काइटेरिया मुकर्रर किया जावे। एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म क्या होगा, इसकी भी डेफिनेशन होनी चाहिये। इसके साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश में भूमि की बहुत कमी है। लेबर बहुत है इस

Page No.107



( श्री सोहनलाल भटनागर )

दृष्टि से हमारे यहां लार्ज स्केल होल्डिंग और बड़ी भूमि की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की है। न्याय की दृष्टि से और आज की हमारी जरूरत को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि जो कुछ एग्जेम्पशन हम इस तरह से दे रहे हैं उससे हमारा ३० एकड़ का सीलिंग का पर्पज सर्व नहीं हो सकेगा, न सामाजिक न्याय हम इसके द्वारा करना चाहते हैं वह हम प्राप्त कर सकेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : हीयर हीयर।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : चेयरमैन महोदय, मेरे अमेंडमेंट भी इसी नेचर के हैं 1. In Sub-Section (1), clause (c), delete the words "eff-iciently mana-gead" (ii) Delete clause (e). जैसे कि माननीय सदस्य ने मूव किए और उससे पहले जो मेरे नज़दीक बैठे हैं माननीय सदस्य उन्होंने सरदारशहर से आने-वाले माननीय सदस्य ने मूव किए।

देखना यह है कि सीलिंग लागू करने पर माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो फिगर्स बनाये थे उनके मुताबिक वे काटते काटते शायद कोई ५० हजार या पचास लाख ज़मीन पर आ गये कि हमारे पास इतनी ज़मीन बची रहती है बांटने के लिए। दस लाख हमारे पास वितरण की भूमि रहती है लैंडलैस के लिए। जब हमारे पास इतनी कम भूमि रहती है तो जो हम एग्जेम्पशन रखते हैं वे हमारे सीलिंग के उद्देश्य को फर्दर करने में मदद करते हैं या कि एक सीलिंग में हिन्ड्रेन्स का काम करते हैं। जो अगर सीलिंग के पर्पज को फर्दर करते हैं तो एग्जेम्पशन रखना चाहिये और हमारी सीलिंग को हिन्डर जो अगर करते हैं तो उनको हटा देना चाहिये।

मैं इस बारे में कम से कम प्लानिंग कमीशन की राय नहीं मान सकता। क्योंकि कुछ एक ऐसा हम मानकर चले हैं कि जो अगर हमारे यहां बड़े-बड़े फार्म में खेती होगी एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन होगा तो हमारा प्रोडेक्शन यील्ड बढ़ेगा। और यही इन्टेन्सिव कल्टीवेशन का जहां तक मेरा ख्याल है वह रीज़न था जब कि फर्स्ट फाईव-ईयर प्लान में इस सीलिंग को डील किया गया। क्योंकि फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में हमारी नीति थी कि देश का प्रोडेक्शन बढ़े। इसलिए सीलिंग इम्पोज़ नहीं किया जाये। लेकिन फर्स्ट फाईव ईयर प्लान में प्रोडेक्शन बढ़ा मगर जितना एन्टीसीपेटेड था उस हद तक नहीं बढ़ा। तो एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन ने अपनी इनएफीशियेन्सी बिलकुल प्रूव कर दी कि एक्सटेन्सिव फार्मिंग से देश का प्रोडेक्शन नहीं बढ़ सकता। देश की भुखमरी दूर नहीं हो सकती और अगर उसी चीज को हम राजस्थान में लागू करें तो मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता मगर ५०० से लेकर १,००० तक कुछ फार्म्स हैं उनके आंकड़े इस समय तो मेरे पास नहीं हैं उनको हम देखें तो जितनी जमीन वह ऑक्युपाई करते हैं और कितने आदमियों को फील्ड करते हैं तो हम इस इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में जो एक एकड़ से ७ एकड़ तक की होल्डिंग हैं उनका राजस्थान में प्रोडेक्शन के लिहाज से, एम्प्लॉयमेन्ट के लिहाज से और राजस्थान की भुखमरी दूर करने के लिहाज से कन्ट्रीब्यूशन राजस्थान की इकोनोमी में सबसे ज्यादा और सब्स-टेन्शियल कन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो जब बड़े

( श्री श्रीमानसिंह )

फार्म्स हमारे लिए किसी तरह की मदद नहीं करते तो उनको क्यों रखा जाये ? उनको रखने का सिर्फ एक ही कारण है और वह यह है कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेन्ट है । मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेन्ट है लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि उनको स्टेट मॉडल फार्म्स रन कीजिये । कहीं पर जब स्मॉल होल्डिंग का क्राइटेरिया है या स्मॉल होल्डिंग फेमिली बेसिस पर लागू करनी है और दूसरी तरफ बड़ी होल्डिंग्स हैं तो यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक इस तरह की भावना पैदा होती है कि क्योंकि एक आदमी एडवान्टेज में था और उसको फुली एक्सप्लोइट किया कि जमीन लेकर और ज्यादा जमीन लेकर उस फार्म को सुरक्षित रख ले और जिसके पास कम जमीन थी वह इन्वेस्ट नहीं कर सकता था । तो एक तो क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं होती कि कैसे फार्म्स चाहते हैं । हो सकता है कि कोऑपरेटिव फार्म्स से फायदा हो तो उसको लागू कर दिया और अगर यह फेल्योर हो जाये तो फिर फेमिली होल्डिंग भी लागू कर दिया और अगर यह भी फेल्योर हो जाये तो बड़े फार्म्स तो रखे ही हैं । यानि तीनों तरह के पेटर्नस हैं । अगर बड़े फार्म्स को मैं केपेटिलिस्ट फार्म्स कहूँ तो गलती नहीं होगी । कोऑपरेटिव फार्मिंग को सोशियेलिस्टिक फार्मिंग कहना ठीक है । तो यह डिफरेन्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मैथड्स किस तरह से देश में चल सकते हैं और किस तरह से देश उन्नति कर सकता है ?

एफीशियेन्ट मैनेज्ड का पता नहीं क्या क्राइटेरिया लगाया है ? उसके लिये काफी कहा गया । क्या जीप के ऊपर राउन्ड लगा देना ही एफीशियेन्सी है ? मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल होल्डिंग्स का हमारे देश में क्या कन्ट्रीब्युशन है । दूसरे, यह क्या गारन्टी है कि हजारों एकड़ का जो फार्म है उसको दो भाग या तीन भागों में बांट देते हैं तो उसकी प्रोडेक्शन फाल हो जायगी ? आपने ऑप्टीमम युनिट ३० स्टेन्डर्ड एकड़ माना है । आप उसको एक फेमिली के लिये काफी जमीन समझते हैं और उसका प्रोडेक्शन फाल होता नहीं है । आप खुद एक लॉजिक मान कर चलते हैं । आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ वह रखा है कि जो राजस्थान में मैग्जिमम एम्पलॉयमेंट देगा, यील्ड देगा और मैग्जिमम रिटर्न देगा । तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ तक तो आप हर फार्म को बैक कर सकते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपके लॉजिक के भी अगेन्स्ट यह जाता है । फिर दूसरा यह प्रश्न आता है कि जो बड़े फार्म्स में इन्वेस्टमेंट है और जो उसमें मशीनरी है आज यह भी माना जाये कि वह बड़ा फार्म लेबर को भी एम्पलॉय करता है तो प्रश्न यह आता है कि क्या आप उसकी मशीनरी को कोप-अप कर सकेंगे ? क्या फेमिली में लैण्ड डिस्ट्रिब्यूट करने के बाद में आदमी के पास इतनी लेबर आ जायेगी कि वह उतनी लेबर एम्प्लॉय कर सकेगा ? आज हमारे यहां फॉरन एक्सचेंज की प्रोब्लम को देखते हुए हम मशीनरी इम्पोर्ट नहीं कर सकते । आज जो देश में मशीनरी बनती है उसी को युटीलाइज करना पड़ेगा और जब हम उसको युटीलाइज करना चाहते हैं तो जितने भी ट्रेक्टर्स हैं और जो इम्प्लीमेंटस हैं उनको आपको रखना पड़ेगा या स्टेट को आपको नजर कर देना पड़ेगा । लेकिन मैकेनाइज्ड

( श्री श्रीभानसिंह )

फार्मिंग भारतवर्ष में नहीं चल सकता और जब चल नहीं सकता तो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रैक्टर्स को इम्पोर्ट करने में जाती है उनको आप बचा सकते हैं।

इसको दूसरे दृष्टि कोण से देखा जाये तो ऐसा है कि यह देखना पड़ेगा कि हमें जरूरत किस बात की है। हमारे देश की जरूरत क्या है? भारतवर्ष को लें तो हमारे यहां जैसा कि यू०पी० के एक्स-मिनिस्टर ने आर्ग्यू किया है कि हमारे यहां जरूरत इस बात की नहीं है कि प्रोडेक्शन पर–हैड बढ़े। जहां मैं एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन की बात करता हूँ तो यहां हमारे हिन्दुस्तान में जरूरत इस बात की है कि प्रोडेक्शन पर-मैन बढ़े नहीं प्रोडेक्शन पर–एकड़ बढ़े। क्योंकि हमारे यहां पर लेबर फोर्स और पोपुलेशन सबसे ज्यादा है। जब प्रोडेक्शन पर-एकड़ पर आ जाती है तो इन्टेन्सिव फार्मिंग नैसेसरी हो जाती है। जो एक्सटेन्सिव फार्मिंग है वह इकॉनोमीकेली रन नहीं करती क्योंकि वहां पर लेबर का वैस्टेज होता है। हमारी नैसेसिटी आज पर-एकड़ की है क्योंकि हमारे पास भूमि कम है और लेबर फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ऑन लैंड ज्यादा है। प्रोडेक्शन पर–एकड़ बढ़े इसका हमें समावेश करना है। लार्ज फार्म जितने भी हैं उनके स्टेटिस्टिक्स देखी जाये तो वह उतना यील्ड नहीं दे सकी। हम अगर रशिया के फार्म्स को देखें तो उनका रिटर्न इतना नहीं है जितना कि यू० एस० ए० के इन्डीविजुअल फार्म्स का है और उनका रिटर्न इतना नहीं है जितना कि २ एकड़ फार्म्स जापान का है। जापान वर्ल्ड के अन्दर सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है २.५ एकड़ की उसकी यील्ड है। तो यह क्लियरली इस बात को बताता है कि हमारे यहां पर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन यानि स्माल फॉर्मिंग का कन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन जो है वह सिवाय एरिया कवर करने के और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के और किसी बेनीफिट का नहीं है। जब बेनीफिट का नहीं है तो समझ में नहीं आता कि उनको मैन्टेन क्यों किया जाये? उनको किस बात के लिए रखना चाहते हैं, क्यों उनको एग्जम्पसन के अन्दर इन्क्लुड करना चाहते हैं? एक तरफ तो जमीन कम है, उसका प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन नहीं कर सकते और दूसरी तरफ एग्जम्पशन की वजह से बड़े फार्म्स रखना चाहते हैं। फिर सीलिंग क्या हुई?

मेरी तो यही मन्शा है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ ही जमीन रहेगी और जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने केल्कुलेट करके बताया और उन्हीं के बताये अनुसार १० लाख एकड़ जमीन रहती है तो क्या यह बता सकते हैं कि बड़े फार्म्स में कितनी जमीन जायेगी? तो आपके पास जब जमीन नहीं है।

**डॉ बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : समय हो गया।

**श्री सभापति** : Mr. Sribhan Singh how much time more you will take?

**श्री श्रीभानसिंह** : Atleast 10 or 15 minutes, Sir. I don't have facts and figures today which I will bring tomorrow.

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५–०० बजे बुधवार, दिनांक ६ दिसम्बर, १९५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

——

# संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार ८ दिसम्बर,-५६)

## शपथ ग्रहण

महुआ क्षेत्र से नव निर्वाचित सदस्य श्री छुट्टनलाल ने शपथ ग्रहण की

| | स्कम्भ | | स्कम्भ |
|---|---|---|---|
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | १३६६ | महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के सामने मजदूरों की बस्ती के बीच मिडिल पाठशाला भवन के निर्माण का विचार | |
| विभिन्न कार्य (activities) शुल्क | | कोटा में ठेकेदार द्वारा मांग का निर्धारित दर से अधिक भाव पर बेचा जाना | |
| बी. टी. सी. के एरियर की रकम का पेमेंट | | जिला परिषदों के गठन हेतु नियुक्त सरकारी कर्मचारी | |
| ग्राम डीडवाना में गोचर जमीन पर मकान न बनवाने देना | | नराणखेड़ा में अलॉट की गई भूमि का उन लोगों को कब्जा दिलवाना | |
| तहसील लूणकरणसर के कुछ कास्तकारों से अधिक तावान वसूल किया जाना | | राजकीय प्राथमिक शाला, नाहरी का नाका (जयपुर) | |
| बेसिक स्कूल, हथरोई और बेसिक स्कूल, रेजीडेन्सी रोड का एक ही मकान में चलना | | रतनगढ़ एस. डी. एम. द्वारा फैसला दो बार लिखा जाना | |
| राजासर भाटियान (लूणकरणसर) की जागीर के हिस्सेदारों को मुआवजा देना | | एस. टी. सी. ट्रेण्ड अध्यापिकाओं को ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड दिलवाना | |
| रा० जैन हायर सेकेन्डरी स्कूल के सीनियर टीचर, श्री महेश-बिहारीलाल माथुर के खिलाफ कार्यवाही | | ग्राम चिलेश्वर के जागीरदार की जागीर चाकराना को २००) रु० से कम आय के बावजूद ग्रहण किया जाना | |
| नये आबाद ग्राम फरीकाबाद का लगान वसूल करना | | | |
| प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स | | | |

स्कम्भ

माध्यमिक शाला, सुल्तानपुर में स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करना

जिला बांसवाड़ा में व्याप्त भुखमरी को दूर किया जाना

सिरोंज सब-डिवीजन (मध्य प्रदेश) में स्थित कर्मचारियों को राजस्थान में स्थानान्तरित कर लिया जाना

सिटी कैम्प के शरणार्थियों को दूसरी जगह बसाया जाना

कोटा जिले में नियुक्त स्थानों पर ८ साल से कार्य कर रहे राजपत्रित अधिकारी

जोधपुर तहसील के गांवों के अनुसूचित व पिछड़ी हुई जाति के लोगों को सहायतार्थ दी गई धन राशि

रेवेन्यू अकाउन्टेन्टस को रिवाइज्ड पे स्केल दिया जाना

करोली में गर्ल्स हाई स्कूल खोलना

शेरगढ़ और फलोदी के अकालग्रस्त गांवों में रिलीफ कार्य

तहसील आहोर तथा बाली, जवाई में भूमि एकीकरण कार्य

कृषि सहकारी समिति, आसीन्द

**स्थगन प्रस्ताव** १४३७

मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लि०, भीलवाड़ा के श्रमिकों से सम्बन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) ने दी थी उस पर राजस्व मन्त्री, श्री दामोदरलाल व्यास द्वारा एक वक्तव्य दिया गया।

उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय, द्वारा नहीं दी गई।

स्कम्भ

## विधायी कार्य

**राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८** १४४१

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ३ : धारा ३० जीः— आस्थगित रखी गई।

खण्ड ३ : धारा ३० जी जीः— बिना किसी संशोधन के स्वीकार की गई।

खण्ड ३ : धारा ३० एचः— बिना किसी संशोधन के स्वीकार की गई।

खण्ड ३ : धारा ३० आईः—इस धारा पर ३ सदस्यों द्वारा संशोधन रखे गये।

श्री श्रीभानसिंह अपने संशोधन पर बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५.०० बजे, बुधवार, दिनांक ६ दिसम्बर, १६५६ को

# Page No.112



स्कम्भ स्कम्भ

प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

**बुधवार, ६ दिसम्बर, १६५६ की कार्य सूची**

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८

(खण्डशः विचार-विमर्श)

---

परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखि

STATEMENT "A"

LIST OF THE P. LS. CONVERTED INTO M. LS.

| S. No. | Name of the party. | Name of the mineral | Area under M. L. | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Year-1954-55 | | | |
| 1. | Shri Bhanwari Lal Contractor. | Silica Sand | 80 acres | Manofa. |
| 2. | „ Kishan Agarwal. | Calcite | 96 acres | Raipur. |
| | Year 1955-56 | | | |
| 1. | Shri Vijay Kumar | Iron Ore | 240 acres | Bagoli Sarai. |
| 2. | „ Akbar Ali Ali Md. | Asbestos. | 80 acres | Rikahdeo |
| 3. | „ C. Didwania. | Iron Ore. | 2,158 acres | Dabla. |

8 December, 1959

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Shri Parmandand Contractor. | Quartz. | 80 acres | Dausa. |
| 5. | ,, M/s U. Asbestos. Mineral Suply Co. | Emerald. | 240 acres | Mala Ka Guda. |
| 6. | ,, Natwarlal Shamaldas. | Manganese. | 103 acres | Sagan. |
| | 1956-57 | | | |
| 1. | Shri Swaroop Narian Purohit | Flourspar | 200 acres | Chhapoli. |
| 2. | ,, Moti Lal R. Minda. | Soap stone | 104 acres | Negoria. |
| 3. | ,, Moolchand Lunkar. | Agate & Quartz. | 80 acres | Railway Station, Tinwara. |
| 4. | ,, Khan Mohammad. | Asbestos | ,, | Dheland. |
| 5. | ,, Sitaram Shodhani. | Manganese | 2,209.67 acres | Tambeshara. |
| 6. | ,, Moti Lal R. Minda. | Soap stone | 200 acres | Deola. |
| 7. | ,, Mayurbhunj Mineral Synd. | Calcite | 120 acres | Maonda. |
| 8. | ,, Dungarmal Sharraf. | Felspar, Calcite & Radio Active. | 100 acres | Saledipura. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Shri Motilal R. Minda | Soap stone | 597.5 acres | Parsola. |
| 10. | „ -do- | „ | 120 acres | Lohagarh. |
| 11. | „ Bachraj Sunga | Iron Ore. | 320 acres | Sainthed. |
| 12. | „ Kanmal Nahata | Asbestos. | 80 acres | Goria. |
| 13. | „ Gyarsilal Agarwal | Iron Ore. | 1,376 acres | Bagoli Sarai. |
| 14. | „ Nand Lal Agarwal | „ | 1,600 acres | Singhana & Gotra. |
| 15. | M/s. Mayurbhunj Mineral Syndicate | „ | 175 acres | Moriza. |
| 16. | Shri Rameshwar Das Sodhani | „ | 1,186 acres | Singhapuri & Kala puri. |
| 17. | „ Damodar Dass Khandelwal | „ | 320 acres | Thai. |
| 18. | „ Khan Mohammad. | Soap stone | 80 acres | Navwa. |
| 19. | „ Bansi Lal Chaudhari | -do- | 97.5 aores | Bharkundi. |
| 20. | „ Bhupal Singh Mathur | -do- | | Roopjiguda. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Shri Damodar Dass Khandelwal | Beryl & Garnet | 320 acres | Rajmahal |
| 22. | ,, Akbar Ali Mohammad | Soap stone | 97 acres | Negdia. |
| 23. | ,, Shri Chand Behari Lal Mathur | White clay. | | |
| 24. | ,, Moti Lal R. Minda. | Soap Stone | 180 acres | Dippura. |
| 25. | ,, -do- | -do- | 240 acres | Salaj, |
| | 1957-58. | | | |
| 1. | Shri Motilal R. Minda | Soap stone | 756 acres | Thana Deeppura |
| 2. | ,, Natwar Lal Shamaldas | Manganese | 182 acres | Goika Bori Kunta. |
| 3. | ,, Sohan Lal Vyas | Iron Ore | 160 acres | Baniya ka Bas. |
| 4. | ,, U. Asbestos Supply Co. | Asbestos. | 80 acres | Borundia. |
| 5. | ,, Suresh Chandra Teshniwal | Soap stone | 160 acres | Sembel & Kalora. |
| 6 | ,, Hanuman Pd. R. Chaudhary. | Felspar | 80 acres | Thandiberi. |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ,, | Hanuman Pd. R. Chaudhary. | Quartz & Felspar | 240 acres | Sarupganj |
| 8. | ,, | Khemka & Company | Iron Ore | 640 acres | Kali Pahari. |
| 9. | ,, | Hanuman Pd. R. Chaudhary | Calcite & Soap stone | 160 acres | Moraj & Chileva |
| 10. | ,, | A. K. Tehsin | Asbestos | 204 acres | Guga Kaguda. |
| 11. | ,, | Lalit Prasad Sharma | Mica & Felspar Quartz, | 124.44 acres | Grid N.K/84 |
| 12. | ,, | Mohammad Sharif. | Beryl. | 85.33 acres | Kakar. |
| 13. | ,, | Khan Mohammad | Asbestos | 106 acres | Dippura. |
| 14. | ,, | Ramratan Mining Co, | Soap stone. | 98 acres | Torna & Gungaka guda. |
| 15. | ,, | Shrikishan Agarwal | White clay | 151.73 ,, | Neem ki Dhani |
| 16. | ,, | Jamna Dass Vora. | Garnet | 80 ,, | Gaunri. |
| 17. | ,, | Chand Behari Lal Mathur | White clay | 160 ,, | Toda. |
| 18. | ,, | Chandu Lal Khusalchand | Beryl, Felsdar | 152, ,, | Banas. |

| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Shri Narendra Kumar Mathur | Iron Ore & Quartz | 187 acres | Kamal pura. |
| 20. | ,, Shamal Shah Gridhani Co. | Manganese | 257.6 acres | Kala Kunta. |
| 21. | ,, Bhonwari Lal Contr | Garnet | 80 acres | Kamal Pura. |
| | | Year 1958-1959. | | |
| 1. | ,, Murlidhar Jhunjhunuwala | Iron Ore | 1600 acres | Rasola. |
| 2. | ,, Mansinghka Brothers | Soap stone | 80 acres | Sadipura. |
| 3. | ,, Shamal shah Girdhanri | Manganese | 104.3 acres | Eklingji. |
| 4. | ,, Nihal chand Bhabhutmal. | Calcite | 80 acres | Gongrod. |
| 5. | ,, Chandu Lal Shamal Das | Soap stone | 80 acres | Autolia. |
| 6. | ,, Navin Bharat Industries | Asbestos | 101.33 acres | Thoril. |
| 7. | ,, Akbarali Ali mohammed | Soap stone | 80 acres | Ganga Ka Guda |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Shri Mewar Trading Synd. Ltd. | China clay | 80 acres | |
| 9. | ,, Narain Pd. Purohit | Kanite | 82.66 acres | Tung. |
| 10. | ,, Sohan Lal Vyas | Barites | 1440. acres | Gangoli. |
| 11. | ,, Hanuman Pd. R. Chaudhary | Soap stone | 80 acres | Sanwara. |

STATEMENT "B"

DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY RAJASTHAN UDAIPUR.
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF MINERAL WON DURING THE PROSPE
PERIOD AFTER 17-11-53.

| S. No. | Name of the Party | Mineral & Place | Period of P. L. | Balance on 17-11-53 | Production | As per M. C. R. No. 23 (ii) qua. exported during prospecting peri Exported free of royalty allowed under the rules. | Exported on payme of royal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | Tons. Cut. | Tons. Cut. | Tons. Cut. |
| | UDAIPUR DIVISION | | | | | | |
| 1. | M/s Natwar Lal Shamaldas & Co, Bombay. | Manganese Sagan Mine. | 17-11-53 to 11-9-55 | — | 546- | 10 | 20 |
| 2. | —do— | Manganese Goika Bas Khunta. | 9-2-56 to 24-4-57 | — | 879-8 | 10 | 20 |
| 3. | Naween Bharat Industires | Manganese Rumal & Sardarpura | 17-11-53 to 3-8-54 | 72- | 296-10 | 10 | 20 |
| 4. | Ayarved Sweashram Moti Lai Mindo | Manganese Lakarwas. | 17-11-53 to 20-1-54 | — | 300- | 10 | 20 |
| 5. | Daulat Ram Nand Lal | Manganese Talwara | 17-11-53 to 9-4-54 | 22- | 52-2 | 10 | 20 |
| 6. | M/s Akbar Ali Ali Mohmad | Asbestos Bhawa. | 17-11-53 to 2-11-54 | 95- | 50- | Cut 1 | Cut 2 |
| 7. | —do— | Asbestos Bdwas | 17-11-53 to 4-6-55 | | 102- | 1 | 2 |
| 8. | Shri Khan Mohammod. | Asbstos Udaipur Distt. | 26-7-54 to 25-7-55 | — | 46 | 1 | 2 |
| 9. | M/s A. K. Tehsin & Sons. | Asbestos Jogi-ka-Guda | 30-4-55 to 24-4-55 | — | 47-19 | 1 | 2 |
| 10. | Shri Moti Lal R. Mineralss | Soap stone Udaipur Div. | 17-11-53 to | — | 645 | Ton 5 | Ton 10 |
| 11. | „ Sitaram Sodani | Mangenese Tambesra | — | | 65 | 10 | 20 |
| | BHILWARA DIVISION | | | | | | |
| 12. | Seth Pushalal Mansinghka | Asbestos. | -do- | — | 39-10 | Cut 1 | Cut 2 |
| 13. | —do— | „ | 1955 | — | 317-7-3 | 1 | 2 |
| 14. | —do— | „ | 1956 | 221-4-3 | 3-2 C. Wt. | 1 | 2 |
| 15. | —do— | „ | 1957 | 87-2-3 | 160-10-2 | 1 | 2 |
| 16. | Narendra Kumar Mathur | Iron ore | June, 1956 to Nov. 1956 | — | Ton 4,388 | Ton 10 | Ton 20 |
| 17. | Shri Lalit Parsad Sharma | Kyanite | March' 56 to Dec. '57 | — | 60 | 5 | 10 |
| 18. | M/s Hira Lal Mali Ram | -do- | 1957 | — | Ton Cwt. 71-11 | Ton 5 | 10 |
| | JAIPUR DIVISION | | | | | | |
| 19. | Shri Murli Dhar Agarwal | Iron Puparawa | Jan' 56 to Dec. '56. | — — | 3,614 | Ton 10 | Ton 20 |
| 20. | Shri Sun Shine Investment Co. | Iron ore | -do- | — | 4,000 | 10 | 20 |
| 21. | Shri Mayurbhunj Mineral Syndicate. | -do- | 1955 | — | 1·150 | 10 | ·20 |
| 22. | Shri C. Didwaniya | -do- | 1955 | — | 6,441 | 10 | 20 |
| 23. | Shri Jamna Dass Bors. | Garnet (Gansia) | Jan. '56 to Dec. '56. | — | 14Cwt | 2 Cwt | 4 Cwt |
| 24. | Shri Mayur Bhunj Mineral Syndicate. | Calcite (Maunche) | 1955 | — | 225 | 10 „ | 20 „ |
| 25. | Parmanand Contractor | Quartz (Dausa) | 1954 | — | 545-12 | 5 „ | 10 „ |
| 26. | Shri Hanuman Prasad Co. Ltd. | Fespar | -do- | | 329-10 | 10 „ | 1-0 „ |
| 27. | Triloki Nath Consal Barites | Baytes Sainpur | -do- | / | 745 | 10 „ | 20 „ |
| 28. | -do- | Copper or Sainpur | -do- | | 325 | 5 Ton | 10 Ton |
| | JODHPUR DIVISION | | | | | | |
| 29. | Shri Mool Chand | Quartaz | 21-1-53 20-1-54 | — | 100 Ton | 5 Cwt. | 10 Cwt. |
| 30. | Shri Hanuman Parsad Choudhari. | Calcite | 19-8-54 18-8-59 | — — | 200 | 10 „ | 20 „ |
| 31. | -do- | -do- | 19-8-54 | — | 100 | 10 Cwt. | 20 |
| 32. | -do- | Quartz & Felspar Swaroop Ganj | -do- | — | 200 | 5 Cwt. 10 Cwt. | 10 Cwt. 1 Ton |
| 33. | M/s Panjas & Co. | Garnet & Garndle | 18-11-55 | — | 20- | 2 Cwt | 4 Cwt |

| ५८—५९ | ५९—६० | | | |
|---|---|---|---|---|
| | रकम ठेका | नाम ठेकेदार | रकम ठेका | रिमार्क |
| [illegible] | ..१)रु. | श्री ० वजीरमोहम्मद पुत्र श्री सुभान मुसलमान, कोटा | ३०००)रु. | |
| पुत्र मुसलमान, ी | ८०१) रु० | मुस० गुलाब जोजे श्री कजोड़ कलाल, कोटा | ६०५) रु० | |
| शोर पुत्र ाल कलाल, टा | ३०२) रु० | श्री नन्दकिशोर पुत्र पुत्र श्री मांगीलाल कलाल, कोटा जंकशन | ६३०) रु० | |

Page No.122



## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०३ का उत्तर देखिये )

(अ)

नकशा दुकानात भंग कोटा शहर मय नाम ठेकेदार व लाइसन्स फीस सन् ५४—५५ लगायतें ५६-

| क्रम संख्या | दूकान | ५४—५५ नाम ठेकेदार | ५४—५५ रकम ठेका | ५५—५६ नाम ठेकेदार | ५५—५६ रकम ठेका | ५६—५७ नाम ठेकेदार | ५६—५७ रकम ठेका | ५७—५८ नाम ठेकेदार | ५७—५८ रकम ठेका | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | घण्टाघर | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाल, किशोरपुरा | तीनों दूकानों का ठेका इकजाई ४,००३) रु० में हुआ | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाल, किशोरपुरा | ८१५) रु० | श्री रामनारायन पुत्र श्री कन्हैयालाल कलाल, लाडपुरा | १५०१)रु. | श्री प्रभूलाल पुत्र श्री भंवरलाल कलाल, कोटा जंकशन | २६०१)रु. | श्री श मो |
| २ | नयापुरा | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाल, किशोरपुरा | | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाल, किशोरपुरा | ५००) रु० | श्री बजीरमोहम्मद पुत्र श्री सुभान नीलगर, केशोरायपाटन | ५०१)रु० | श्री रामनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल कलाल, कोटा | ६२५) रु० | श्री श्री का |
| ३ | कोटा जंकशन | श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाक, किशोरपुरा | | श्री प्रभूलाल पुत्र श्री कजोड़ीलाल कलाल, किशोरपुरा | ८५०) रु० | श्री भंवरलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल कलाल, कोटा जंकशन | ८५१) रु० | श्री भंवरलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल कलाल, कोटा जंकशन | ८२५) रु० | श्री श्री |

(ब)

## नक्शा रेट सप्लाई भंग कोटा सिटी सन ५४—५५ से ५६—६० तक

| क्रम संख्या | सन् | गोदाम से सप्लाई करने की रेट प्रति मन | मुनाफा ठेकेदार | ठेकेदार के बेचने का रेट प्रति मन | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | ५४–५५ | १८०) | २०) | २००) | |
| २. | ५५–५६ | १८०) | २०) | २००) | |
| ३. | ५६–५७ | १८०) | २०) | २००) | नोट:–२६–३–३५७ से १८०) प्रति मन के बजाय २८०) प्रति मन सप्लाई रेट हुआ । |
| ४. | ५७–५८ | २८०) | २०) | ३००) | |
| ५. | ५८–५९ | २८०) | २०) | ३००) | बहुक्म कमिश्नर उदयपुर No. F. 37 (3)E.X.L 57 / 469 Dated 14-3-58. भंग पर 0-04- नया पैसा चार नया पैसे चुंगी टैक्स । |
| ६. | ५९–६० | २८०) | २०) | ३००) | प्रति सेर वसूल करने की आज्ञा फरमाई गई ठेकेदार अलावा मुकर्रर रेट 7-50 नया पैसा के 0-4 नया पैसा चुङ्गी के भी वसूल कर सकता है । |

———

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०४ का उत्तर देखिये )

### एक जिला परिषद् के लिए आवश्यक माने गये स्टाफ की सूची

(१) (१) अलवर (२) भरतपुर (३) जयपुर (४) उदयपुर, जिलों में जहां १२ से अधिक पंचायत समितियां हैं, नीचे लिखे अनुसार कर्मचारी आवश्यक समझे गये हैं और उनकी नियुक्ति मंजूर की गई है।

| क्रम संख्या | पद | संख्या | वेतन |
|---|---|---|---|
| १. | सचिव (पदेन) | १ | २५०–७५० आर. ए. एस. |
| २. | उच्च लिपिक | २ | ८०–२०० |
| ३. | कनिष्ठ लिपिक | ३ | ६०–१३० |
| ४. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | ३ | २५–४० |

(२) (१) गंगानगर (२) सवाई माधोपुर (३) जोधपुर (४) नागोर (५) पाली (६) कोट (७) भीलवाड़ा (८) चित्तौड़गढ़, जिलों में जहां ८ से अधिक व १२ तक पंचायत समितियां हैं नीचे लिखे अनुसार कर्मचारी आवश्यक समझ गये हैं और उनकी नियुक्ति मन्जूर की गई है।

| क्रम संख्या | पद | संख्या | वेतन |
|---|---|---|---|
| १. | सचिव (पदेन) | १ | २५०–७५० आर. ए. एस. |
| २. | उच्च लिपिक | २ | ८०–२०० |
| ३. | कनिष्ठ लिपिक | २ | ६०–१३० |
| ४. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | २ | २५–४० |

(३) (१) बीकानेर (२) चूरू (३) झुंझुनू (४) सीकर (५) टोंक (६) अजमेर (७) बाड़मेर (८) जैसलमेर (६) जालोर (१०) डूंगरपुर (११) बूंदी (१२) झालावाड़ (१३) बांसवाड़ा (१४) सिरोही, जिलों में जहां ८ या ८ से कम पंचायत समितियां हैं। नीचे लिखे अनुसार कर्मचारी आवश्यक समझे गये हैं और उनकी नियुक्ति मन्जूर की गई है।

| क्रम संख्या | पद | संख्या | वेतन |
|---|---|---|---|
| १. | सचिव (पदेन) | १. | २५०–७५० आर. ए. एस. |
| २. | उच्च लिपिक | १. | ८०–२०० |
| ३. | कनिष्ठ लिपिक | २. | ६०–१३० |
| ४. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | २. | २५–४० |

———

१६०५ ]

## परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये )

**फेहरिस्त आसामियान मौजा नारायण खेड़ा जिनको अलाटमेंट कमेटी द्वारा भूमि अलॉट की गई सन् ५८ में**

| क्रम संख्या नाम आसामी | खसरा | रकबा |
|---|---|---|
| १. श्री चतरभुज पिता करमा | ७३२ | १० बीघा |
| २. श्री देवाराम पिता बंशीराम | ,, | ७ ,, |
| ३. श्री चुनीलाल पिता बेनीराम | ,, | ७ ,, |
| ४. श्री चुनीलाल पिता रूपा ब्रा० | ,, | १० ,, |
| ५. श्री किशनलाल पिता रूपा | ,, | १० ,, |
| ६. श्री मेहताब पिता रूपा | ,, | ८ ,, |
| ७. श्री सोहनलाल पिता तुलछीराम | ,, | १२ ,, |
| ८. श्री प्रेमराज पिता तुलसीराम | ,, | १० ,, |
| ९. श्री तुलसीराम पिता जयराम | ५१६ | २ ,, |
| १०. श्री जगन्नाथ पिता गंगाराम | २३४ | १२ ,, |
| ११. श्री लछमण छोगा पिता नेनुराम | ७३८ | ६ ,, |
| १२. श्री शंकरलाल पिता नेनुराम | ,, | ६ ,, |
| १३. श्री रामा पिता माधुलाल | २३४ | १० ,, |
| १४. श्री ओंकारलाल पिता सवाईराम | ७३८ | ५ ,, |
| १५. श्री चतुरभुज पिता तुलसीराम | ,, | ९:४ |
| १६. श्री रामचन्द्र पिता गणेशराम | ७३२ | १५ ,, |

| क्रम संख्या नाम आसामी | खसरा | रकवा |
| --- | --- | --- |
| १७. श्री मोहनलाल पिता बन्शीलाल | ७३२ | ६ ,, |
| १८. श्री राधाकिशन पिता माधोलाल | २३४ | ७ ,, |
| १६. श्री मांगीलाल पिता छोगा | ७३२ | १५ ,, |
| २०. श्री बन्शीलाल पिता मेताब | ,, | १० ,, |
| २१. श्री देवीराम पिता गणेशराम | ,, | १० ,, |
| २२. श्री रामचन्द्र पिता परताब | ,, | ६ ,, |
| | योग | १६६ :४ |

## परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१५ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा जोधपुर तहसील के गांवों के अनुसूचित व पिछड़ी हुई जाति के वर्गों को सन १९५६—५७ ५७—५८ और ५८—५९ में जिस-जिस कार्य के लिए जितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई उसकी सूची

| नाम वर्ग | कार्य जिसके लिये सहायता दी गई | सहायता | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ५६—५७ | ५७—५८ | ५८—५९ |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| अनुसूचित जाति | १. अग्नि तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता | २०० रु० | ३८ रु० | १३७ रु० |
| | २. जल कष्ट निवारणार्थ सहायता | ५०० रु० | — | — |
| | ३. ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका द्वारा जल व रोशनी की व्यवस्था की गई | २५०० रु० | ६४० रु० | २००० रु० |
| गाड़िया लुहार | ४. बस्ती का विकास | — | ११००० रु० | ११९०० रु० |

# शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक ८ दिसम्बर, १९५९)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १३७१ | अन्तिम | Shrking | shirking |
| १३७४ | १० | वेन्यूऐक्ट | रेवेन्यू एक्ट |
| ,, | २० | वसल | वसूल |
| १३७५ | १७ | वणित | वर्णित |
| १३६३ | १७ | भव | भाव |
| १३६६ | अन्तिम से ३ | फलीभत | फलीभूत |
| १४०३ | ४ | स्कुल | स्कूल |
| १४१६ | अन्तिम से ३ | श्री दयाकष्ण | श्री दयाकृष्ण |
| १४१७ | ८ | रेश्वेलाइज्य | रेशनलाइज्ड |
| १४१८ | १ | ११५ | २१५ |
| ,, | १६ | States | state |
| ,, | अन्तिम से २ | eebn | been |
| १४२१ | ६ | नम्न | निम्न |
| १४३४ | २३ | पेजीशन | पोजीशन |
| १४४४ | १३-१४ | कॉन्क्वेन्सेज | कॉन्सीक्वेन्सेज |
| १४४६ | अन्तिम से ७ | इन्स्ट्रालमेन्ट | इन्स्टॉलमेन्ट |
| १४५१ | १०-११ | अव्यवहारिक | अव्यावहारिक |
| १४५२ | अन्तिम से ८ | कर्त्तव्य | कर्त्तव्य |
| १४५८ | अन्तिम से २ | अजमेरम | अजमेर |
| ,, | अन्तिम | खत | खत्म |
| १५६५ | १२-१३ | receved | received |
| ,, | अन्तिमसे१० | recommendtion | recommendation |
| १४६८ | २० | Bll | Bill |
| १४६८ | २६ | non | now |
| १५०० | अन्तिम | माकट | मार्केट |
| १५१२ | ३ | १२००-१३०० | १२००,१३०० |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ,, | ५ | १८०६ | १८००: |
| १५१३ | १८ | aiv | law |
| १५१४ | २२ | इक्वीविविलिरियम | इक्वीलीब्रियम |
| १५१६ | २१ | उटाने | उठानें |
| १५१८ | ६ | वविद | बर्बाद |
| १५१६ | ३ | मेहनतवड़ा | मेहनतकश |
| १५२० | १ | लिए | कर लिए |
| १५२२ | ६ | में इस | में इस |
| ,, | १२ | कसान | किसान |
| १५३० | अन्तिमसे१० | हा जावे | हो जावें |
| ,, | ,, ,, ६ | कामा | कामों. |
| १५३४ | अन्तिमसे१० | उसकेके | उसके |
| १५३७ | १७ | ओर | और |
| १५४२ | १८ | रेसोरेन्ट | रिक्वायरसेन्ट |
| १५४४ | १६ | शहरों को | शहरों का |
| ,, | २५ | वगलालें | बरगलालें |
| १५४६ | अन्तिमसे४व३ | जवान | जबान |
| ,, | अन्तिम | किन क | दिलकी |
| १५५० | २ | rehabilate | rehabilitate |
| १५५४ | १-२ | applcable | applicable |
| ,, | २-३ | proivided | provided: |
| १५५६ | १० | have another | have at another |
| १५५८ | १ व ५ | डिप्रे सियेट | डेप्रिशियेट. |
| १५६४ | १२ | श्री दामोदरमाल व्यास | श्री दामोदरलाल व्यास |
| १५६५ | १ व २ | sugar cane has | sugar-cane form if sugar-cane |
| १५६६ | १४ | will discussing | will be discussing |
| १५७१ | १४ | अदम | आदमी |
| १५८० | ७ | viem | view |